खण्ड-133, अंक-3
बुधवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1876
(31 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 133 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३१ मार्च, १९५४

बिधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्धर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मफ़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मुन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मदमंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजोलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुरहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

यतीमखाना बोर्ड के सदस्यों के नाम

**१—श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यतीमखानों के लिए कोई बोर्ड बना है? अगर बना है, तो उसके मेम्बरों के क्या नाम हैं और उस बोर्ड के मातहत कौन-कौन से यतीमखाने हैं?

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां। गत वर्ष सरकार ने इस सम्बन्ध में एक ऐडहाक बोर्ड बनाया था। इसमें कुछ सरकारी और कुछ गैर-सरकारी सदस्य हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :—

गैर-सरकारी सदस्य

(१) श्रीमती तारा अग्रवाल, एम० एल० सी०, कानपुर।
(२) श्रीमती दुर्गा देवी सेक्रेटरी, मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ।
(३) श्री बेचन राम गुप्त, एम० एल० ए०, बनारस।
(४) श्री व्रजलाल वर्मन, एम० एल० सी०, मथुरा।
(५) श्री एम० एम० सेठ, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, लखनऊ।

सरकारी सदस्य

(६) डाइरेक्टर मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश।
(७) डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
(८) डाइरेक्टर, कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश।
(९) सचिव, स्वायत्त शासन विभाग (बोर्ड के सचिव)।

यह बोर्ड कोई निर्दिष्ट संस्थाओं की देख-रेख के लिए स्थापित नहीं किया गया है, परन्तु ऐसी सभी संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सुझाव देने के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिए स्थापित किया गया है।

तारांकित प्रश्न

सन् १९५२ में आजमगढ़ जिले में नमक के मुकदमे

*१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५२ में कितने नमक के मुकदमे चलाये गये थे और उनका परिणाम क्या हुआ ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—२१ मुकदमे चलाये गये थे, जिसमें चार में सजा हुई, एक डिस्चार्ज कर दिया गया, १२ में रिहाई के आदेश हुए और चार अब भी चल रहे हैं।

भुवाली सेनिटोरियम में क्षय के रोगियों का दैनिक व्यय

*२—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भुवाली (सैनिटोरियम) क्षय रोग के आरोग्यशाला में जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और दूसरे प्रकार के रोगी रखे जाते हैं, उनसे फी रोगी कितने रुपया माहवार लिया जाता है और उसमें से फी रोगी रोज क्या खर्चा पड़ता है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—भुवाली सेनीटोरियम में क्षय रोगियों से निम्न प्रकार खर्च लिया जाता है, रेट दैनिक है :—

	वार्ड का किराया इत्यादि (प्रतिदिन)	खाने का खर्च (प्रति दिन)
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
प्रथम श्रेणी	३ ८ ०	२ ० ०
"प्रथम श्रेणी वाले रोगी स्वयं खाने का प्रबन्ध भी कर सकते हैं।		
द्वितीय श्रेणी	२ ८ ०	२ ० ०
तृतीय श्रेणी	१ ८ ०	२ ० ०
चतुर्थ श्रेणी	कुछ नहीं	२ ० ०
मुफ्त श्रेणी	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*३—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या क्षय रोग के बढ़ते हुए कारणों को ध्यान में रखकर वहां कुछ और जगहों (बेड्स) के बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*४—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार के रोग विशेषज्ञों ने प्रान्त के मैदानी क्षेत्र में इस रोग के लिए आरोग्यशाला बनवाने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो वह जगह कहां पर है, और उसके लिए क्या हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। सरकार अभी फिरोजाबाद (आगरा) में १०० शैय्या का एक सैनिटोरियम खोलने जा रही है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद तथा बनारस में भी सैनिटोरिया खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी पूर्व में कहीं पर सैनिटोरियम खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---जी हां, इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि यदि सम्भव हो सके तो फिरोजाबाद में सैनिटोरियम खोलने की व्यवस्था की जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि भुवाली सैनिटोरियम में कितने फ़्री बेड का इन्तजाम है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, वहां पर ९८ फ़्री बेड्स का इन्तजाम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रोगी हैं, उनका किराया कम करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की बेड वहां पर हैं, वह ज्यादातर खाली ही रहती हैं ?

श्री बनारसी दास---ऐसा तो नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्पताल बनारस में खुल रहा है, वह सारनाथ में खुलेगा ?

श्री बनारसी दास---जी हां, इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षयरोग से ग्रसित कारखाने के मजदूर तथा खेतिहर मजदूरों को अन्य रोगियों से कुछ विशेष सुविधा दी जाती है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, वहां पर जो फ़्री बेड्स का प्राविजन है, उसमें मजदूर तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति जो स्वयं अपनी चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, उनको वहां पर दाखिल किया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करगे कि फ़्री बेड वाले रोगियों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है ?

श्री बनारसी दास---जो लोग उन जगहों में होते हैं, उनको पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोगों की जिस प्रकार चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार से उनकी चिकित्सा की जाती है। जो बिलकुल फ़्री बेड होते हैं, वह उनको दिये जाते हैं और उनके लिए आपरेशन, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध फ़्री होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार फ़्री बेड्स को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---फ्री बेड्स तो काफी बढ़ाये गये हैं। पहले भुवाली के अन्दर २६ बेड्स थे, जो अब ९८ कर दिये गये हैं। दूसरे स्थानों में जहां सैनिटोरियम हैं, वहां पर भी बेड्स बढ़ाये गये हैं। फिरोजाबाद में जो सैनिटोरियम कायम होने वाला है, उसमें भी फ़्री बेड्स होंगे और भी नयी जगहों पर जहां-जहां यह खोले जा रहे हैं, कुछ न कुछ फ़्री बेड्स जरूर होंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि वहां ऐसे भी लोगों को रहने की इजाजत दी जाती है, जो किराया तो नहीं देते हैं, लेकिन उनसे ६० रुपया महीना खाने का लिया जाता है ?

श्री बनारसी दास---यह उत्तर में ही बताया जा चुका है कि चौथी श्रेणी के जो लोग वहां रहते हैं, उनसे किराया और दवाइयों का कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन भोजन का दो रुपया प्रतिदिन लिया जाता है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बढ़लगंज के पास कोई टी० बी० का सैनिटोरियम खोला जा रहा है ?

श्री बनारसी दास---इस समय ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह पता है कि बेड्स की कमी के कारण बहुत से लोग इस आरोग्यशाला से लाभान्वित नहीं होते हैं ?

श्री बनारसी दास---यह सही है । हमारे इतने बड़े सूबे को देखते हुए सैनिटोरियम कम हैं और उनके अन्दर शैयाओं की संख्या कम है ।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार पश्चिमी जिलों में कहीं सैनिटोरियम खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, मेरठ में २० शैयाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में जो गैर-सरकारी सैनिटोरियम चल रहा है, उसका उपयोग नये सैनिटोरियम के सिलसिले में किया जायगा ?

श्री बनारसी दास---जी हां, उसकी व्यवस्था की जा रही है ।

*५-६---**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)---[२८ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

१९५३-५४ में बस्ती जिले में सीमेंट का वितरण

*७---**श्री धनुषधारी पाण्डेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सीमेंट का स्टाक माह दिसम्बर, १९५३ तथा जनवरी, सन् १९५४ में कितना रहा ? यदि रहा, तो मांग करने वालों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बनारसी दास---दिसम्बर, सन् १९५३ ई० में ६,३८७ बोरे और जनवरी, १९५४ ई० में ३,२९७ बोरे सीमेंट का स्टाक था । दिसम्बर, १९५३ ई० में मांग करने वालों को ३,०९४ बोरे तथा जनवरी, १९५४ ई० में १,८३१ बोरे सीमेंट वितरित की गयी । यह सही नहीं है कि स्टाक रहते हुए भी मांगने वालों को सीमेंट नहीं दी गयी ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जनवरी, सन् ५४ में जो स्टाक जमा था, वह कब से जमा था ?

श्री बनारसी दास---प्रत्येक क्वार्टर और महीने के अन्दर कोटा आता है, उसमें से कुछ रिजर्व में रहता है, और बाकी लोगों को दिया जाता है । प्रश्न के जवाब में बताया गया कि दिसम्बर और जनवरी में कितना रिजर्व में था और कितना लोगों को दिया गया ।

मिर्जापुर नगर के उत्तरीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये नल-कूप की व्यवस्था

*८—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मिर्जापुर नगरपालिका में मिर्जापुर नगर के उत्तरीय क्षेत्र को पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए एक ट्यूबवेल लगभग दो वर्ष हुए बनाया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*९—श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय—क्या यह ट्यूबवेल बिना चालू किये हुए अभी तक बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यो ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। क्योंकि मिर्जापुर नगरपालिका उसको प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक धन लगाने में विलम्ब कर रही है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ट्यूबवेल के इन्स्टालेशन में कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—क्या यह सही है कि मिर्जापुर नगरपालिका की ओर से कोई प्रतिवेदन भी मन्त्री महोदय के पास ग्रांट और लोन के सम्बन्ध में आया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ग्रांट और लोन देने का समय उस समय आता है जब कि किसी भी जलकल की सारी योजना तैयार हो जाती है, और वह योजना इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट तैयार करता है। और इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट योजना तैयार करे उसके लिए आवश्यक है कि म्युनिसिपल बोर्ड दरख्वास्त करे और उसके लिए उसकी फीस जमा करे। नगरपालिका मिर्जापुर ने न उस तरह की कोई योजना तैयार करायी है, और न फीस ही दाखिल की है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के क्षेत्र में गंगा से भी वाटर सप्लाई किया जा सकता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रश्न तो जब पानी दिया जायगा तब देखा जा सकता है कि किस तरह से ज्यादा सुविधा होगी।

आजमगढ़ जिले में व्यक्तिगत कार्य के लिए कोयला न देने की नीति

*१०—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले में लोगों को व्यक्तिगत कार्य के लिए कोयला देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। जो कोयला जिले में उपलब्ध हुआ, वह भट्टे वालों के लिए ही पर्याप्त नहीं था, और चूंकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए नियंत्रित मूल्य पर ईंटें मिल सकती हैं, अतः गैर भट्टे वालों को व्यक्तिगत कार्य के लिए साधारणतः कोयला नहीं दिया जाता।

*११—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार की यह नीति है कि प्राइवेट ईंट के भट्टे वालों को कोयला न दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसी कोई नीति नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा चावल का स्टाक

*१२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा चावल का कितना स्टाक और वह कहां कहां है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—इस समय सरकारी स्टाक में ३३,५५९ मन गेहूं तथा १२,४७७ टन चावल है। यह स्टाक सारे प्रदेश में फैला हुआ है।

*१३—श्री श्रीचन्द—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह अन्न शीघ्र ही बेचा जाने वाला है ? यदि हां, तो किस भाव से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—गेहूं इस समय निम्नलिखित भावों पर बेचा जा रहा है।

आम जनता तथा व्यापारियों को ..	१६ रु० प्रतिमन।
रोलर फ्लावर मिलों को आटा बनाने के लिए	१५ रु० ८ आने प्रतिमन।
रोलर फ्लावर मिलों को मैदा, सूजी व रवा बनाने के लिए	१७ रु० ८ आने ६ पाई प्रतिमन।

सरकार ने चावल केन्द्रीय सरकार की ओर से खरीदा था। केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अनुसार सारा चावल दूसरे कमी वाले प्रदेशों को भेजा जा रहा है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाहर तथा विदेशों से कितना गेहूं और चावल किस भाव से मंगाया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं की बिक्री किस नियम के आधार पर की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियम तो कोई है नहीं, सिर्फ जिस भाव पर हमने खरीदा था और बाजार के भाव को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि कम से कम घाटा हो, हमने स्वयं ये दरें निर्धारित की हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिलमालिकों को सरकार के आदेश आटा, मैदा और सूजी को किसी निश्चित दामों पर बेचने के हैं अथवा नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टाक गेहूं और चावल का हमारे प्रदेश में पड़ा हुआ है वह हमारे प्रदेश में उत्पादित अन्न में से है या विदेशों से मंगाये हुये चावल और गेहूं का हिस्सा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो गेहूं है वह तो विदेशों से जो इम्पोर्टेन्ट ह्वीट है उसी का भाग है जिसको कि हमें बेंचना है, और चावल जो है वह हमारे प्रदेश का ही है जिसको हमने केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार स्वयं इकट्ठा किया था और जो हमारे पास है उसको केन्द्रीय सरकार की सलाह से विभिन्न कमी वाले प्रदेशों में भेजा जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट ने किस भाव पर यह अनाज खरीदा था और किस भाव पर इसको बेच रही है और इससे उसको कितना घाटा होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घाटे के आंकड़े तो नहीं दे सकता हूं लेकिन विभिन्न दरों पर हमने केन्द्रीय सरकार से यह गल्ला खरीदा था। २१ रु० प्रति मन पर भी खरीदा, २० रु० प्रति मन से नीचे भी खरीदा और २१ रु० प्रति मन से कुछ ज्यादा कीमत देकर भी केन्द्रीय सरकार से इम्पोर्टेन्ट ह्वीट को खरीदा था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार इस वर्ष भी चावल और गेहूं खरीदने का इरादा रखती है? अगर रखती है तो किस भाव पर?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो कोई इरादा नहीं किया है?

श्री रामदास आर्य—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस गेहूं में से हमारे प्रदेश में कितना गेहूं है और वह किस दर पर खरीदा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इतने वक्त सही आंकड़े तो नहीं दिये जा सकते। लेकिन अपने सूबे में गेहूं की मात्रा बहुत कम है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह गहूं जो बाजार में नहीं बिक रहा है उसके बारे में ऐसी अफवाह है कि वह खराब गेहूं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी तो कोई अफवाह नहीं है।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल—क्या सरकार जरूरत के वक्त के लिये गेहूं का स्टाक रखना उचित नहीं समझती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सरकार भी रिजर्व रखने की नीति रखती है और केन्द्रीय सरकार की भी रिजर्व रखने की नीति रही है और उस का हिस्सा हमारे प्रदेश के गोदामों में भी कुछ आकर पड़ेगा, और अगर जरूरत होगी तो उसी में से प्रयोग में भी लाया जा सकेगा।

प्रदेशीय जिला बोर्डों के चुनाव का प्रबन्ध

*१४—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेशीय जिला बोर्डों के चुनाव कराने का वह कब प्रबन्ध कर रही है और वर्तमान जिला बोर्डों को चुने हुये कितना समय हो गया?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश के वर्तमान जिला बोर्डों का संघटन अप्रैल-मई, १९४८ के आम चुनावों के फलस्वरूप हुआ था। उनके कार्यकरण का यह छठां वर्ष है। बोर्डों के पुनःसंगठन का प्रश्न मंत्रीयस्तर की समिति के विचाराधीन है। इस प्रश्न का निर्णय होने के पश्चात् बोर्डों का आम चुनाव हो जायगा।

*१५—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[२१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१७—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के रेकार्ड रखने का प्रबन्ध

*१८—श्री धर्मसिंह—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों के रिकार्ड रखने का गांवों में क्या प्रबन्ध है?

श्री मोहनलाल गौतम---गांव पंचायतों के रिकॉर्ड अभी तक पंचायत घरों में रखे जाते हैं ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर पंचायत घर नहीं हैं वहां रिकार्ड कहां रखे जाते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---जहां पंचायत निर्णय करे वहीं रखे जाते हैं ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि रिकार्डों का उचित प्रबंध न होने के कारण अक्सर फाइल और रजिस्टर गायब हो जाते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---हो सकता है कि कभी ऐसा हो गया हो ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार प्रत्येक पंचायत को एक एक अलमारी देने का विचार रखती है?

श्री मोहनलाल गौतम---जो रकम अभी सदन ने पास किया है उसमें कोई रकम ऐसी नहीं रखी है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन रिकार्ड्स को दीमक और पानी से बचाने के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह व्यवस्था स्वयं पंचायतों को अधिकार है जैसे चाहें वह करें ।

*१९---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---[२१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

रसड़ा, जिला बलिया में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*२०---**श्री गंगाप्रसाद सिंह**---क्या सरकार को ज्ञात है कि टाउन बलिया और मऊ (आजमगढ़) के फासला (४३ मील) के अन्दर कोई जनाना अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसी दास---जी हां ।

*२१---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कुछ माह पूर्व कस्बा रसड़ा में जो बलिया और मऊ के बीच में पड़ता है जनाना अस्पताल खोलने की दरख्वास्त दी गयी थी ? यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

श्री बनारसी दास---जी हां । यह प्रश्न विचाराधीन है । अभी जिला परामर्शदात्री समिति की राय सरकार के पास नहीं आयी है । परन्तु सबसे बड़ी अड़चन इमारत की है जब तक कि कोई किराये या बिना किराये की इमारत की वहां की जनता प्रबंध नहीं करती महिला चिकित्सालय खोलना संभव न होगा ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि एक इमारत के बारे में सिविल सर्जन के पास लिख कर भेजा गया था और उसने उसको देख भी लिया था ?

श्री बनारसी दास---हां, वहां एक क्लब की इमारत उपलब्ध थी लेकिन उसमें ३ कमरे और एक हाल ही था जिस में एक आउट डोर डिसपेंसरी कायम हो सकती है और न लेडी डाक्टर का प्रबन्ध हो सकता है और न कोई इनडोर बेड्स का ही इंतजाम हो सकता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि मऊ में जो जनाना अस्पताल है वह अब तक चालू नहीं हो सका है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। यह सही है। वहां की म्युनिसिपैलिटी और चन्दे के रुपयों द्वारा कुछ भवन बने हैं और मेन डिस्पेंसरी की इमारत भी बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। जैसे ही वह पूरी हो जायगी वहां पर अस्पताल खोल दिया जायगा ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया वहां पर जल्दी से अस्पताल खोलने के लिये किसी अन्य मकान को लेने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसी दास—जी हां । वहां पर यदि किराये का या मुफ्त का कोई मकान मिल जायगा तो वहां इसको खोलने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ में अस्पताल कब तक चालू हो जायगा ?

श्री बनारसी दास—मैंने अर्ज किया कि मेन डिस्पेंसरी की जो बिल्डिंग है वह काफी बन चुकी है लेकिन अभी तक पटी नहीं है। सरकार भी उसमें सहायता करने की व्यवस्था कर रही है। यह आशा है कि इस साल के अन्दर वह इमारत पूरी तरह हो जायगी और जैसे ही पूरी हो जायगी वहां उसको खोलने का इंतजाम होगा ।

राशन विभाग द्वारा छटनी किये हुये कर्मचारियों की संख्या

*२२—**श्री हर दयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राशन विभाग द्वारा छटनी (Retrenched) किये हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को अब तक सरकारी नौकरी पर स्थान दे दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—राशन विभाग द्वारा छटनी किये हुये कर्मचारियों की संख्या ८०६३ है। इनमें से उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक केवल २०३ कर्मचारियों को सरकारी नौकरी पर स्थान मिल सका है।

*२३—**श्री हर दयाल सिंह पिपल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे छटनी किये हुये कर्मचारी जो अभी तक सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं पा सके हैं जिला अलीगढ़ में कितने हैं ?

श्री बनारसी दास—१६३ ।

श्री हर दयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छटनी किये हुये कर्मचारियों में से जो अब तक नौकरी में नहीं लग सके हैं उनको नौकरी दिलाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री बनारसी दास—सभी विभागों के अध्यक्षों को आदेश जारी किये गये हैं कि जो रिट्रेन्ड एम्प्लाइज हैं उनको प्राथमिकता दी जाय और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनको स्थान मिले।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छटनी के समय जो क्लासिफिकेशन उनका सिविल सप्लाईज विभाग में हुआ था उसमें तब्दीली करने का अधिकार जिलाधीशों को या जिलों के अन्य अधिकारियों को दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास---जहां तक क्लासिफिकेशन का सम्बन्ध है वह तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने अपने आफिस के कर्मचारियों का और आर०एफ०सी० ने अपने विभाग के कर्मचारियों का किया है और उसी के अनुसार क्लासिफिकेशन की सूची सभी विभागाध्यक्षों को भेज दी गयी है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---जिस वक्त सन् १९५१-५२ में यह क्लासिफिकेशन हुआ उसके बाद उसके रिवीजन करने का अधिकार जिलाधीलों को या तत्सम्बन्धी अधिकारियों को दिये गये ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायतें सरकार के पास आयीं तो उनको रेफर कर दिया गया और यदि ऐसा उचित समझा गया तो संशोधन भी कर दिया गया लेकिन ऐसी संख्या अधिक नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---राशनिंग विभाग में इस समय कितने कर्मचारी शेष हैं और उनमें कितने गजटेड आफिसर्स हैं ?

श्री बनारसी दास---इस वक्त तो मेरे पास पूरी संख्या नहीं है। लेकिन करीब ८ हजार कर्मचारियों को हटाने के बाद जो कर्मचारी अब शेष रह गये हैं वे दो या ढाई हजार से अधिक नहीं हैं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि छटनी किये कर्मचारियों में से कितने पोलिटिकल सफरर्स थे और कितने डिस्प्लेस्ड परसन्स ?

श्री बनारसी दास---इस के लिये प्रत्यक्ष सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या यह सच है कि जिला अधिकारी छटनी किये हुये कर्मचारियों को नौकरी दिलाने में प्राथमिकता नहीं देते हैं ?

श्री बनारसी दास---हां, इस प्रकार की शिकायतें अवश्य मिली हैं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या आदेश जारी किये हैं ?

श्री बनारसी दास---अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था कि जितने स्थान रिक्त हों उनपर केवल छटनी किये हुये कर्मचारियों को रक्खा जाय लेकिन जब इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं तो यह प्रश्न विचाराधीन है कि छटनी किये हुये कर्मचारियों को एबजार्ब करने का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि एक ऐसा सर्कुलर गया था कि जितने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या पोलिटिकल सफरर्स हैं उनको छटनी न किया जाय और उनको तरजीह दी जाय ?

श्री बनारसी दास---जोकि एवरेज के ऊपर से कर्मचारी हो, पोलिटिकल सफरर्स या डिस्प्लेस्ड परसन्स उनका विशेष से रूप ध्यान रखा जाय और ऐसा किया भी गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का जो रिट्रेन्च्ड क्लारिकल स्टाफ है वह किसी दूसरे सरकारी विभाग में क्या बिना इम्तहान के भर्ती नहीं किया जा सकता है ?

श्री बनारसी दास---जहां पर भी लोगों को लेना होता है वहां अगर कोई सेलेक्शन कमेटी होती है तो उसके सामने उन्हें अपीयर होना पड़ता है अथवा यदि कोई निर्धारित परीक्षा होती है तो उसमें भी उन्हें अपीयर होना पड़ता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की मेहरबानी करेंगे कि जिन लोगों की शिकायतें आप के पास आयीं कि १०, १२ वर्ष के बाद भी नहीं लिये गये, क्या उनको आपकी तरफ से नौकरी दिलाने की कोई मदद दी जायगी ?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन है कि किस प्रकार से सभी कर्मचारियों को जहां हो सके एबजार्व किया जाय।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन छटनी किये हुए कर्मचारियों में हरिजन कर्मचारी कितने हैं ?

श्री बनारसी दास---इस समय मेरे पास यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इन रिट्रेन्च्ड सिविल सप्लाइज अफसरों को एबजार्व करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स में कोई रिलेक्जेशन कर दिया जाय ?

श्री बनारसी दास---मैंने अर्ज किया कि इस के सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन या और सेलेक्शन कमेटीज में उनके लिये रिजर्वेशन किया जाय, इस पर विचार किया जा रहा है और कुछ तो किया भी गया है।

रेण्ट कण्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

*२४---**श्री रामेश्वर प्रसाद** (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है कि सरकार ने रेन्ट कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी नाम की कोई कमेटी तैनात की है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

*२५---**श्री रामेश्वर प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत की है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कमेटी ने सरकार के सामने कब रिपोर्ट दी और क्या सुझाव दिये ?

श्री बनारसी दास---वैसे इसको काफी समय हो गया है लेकिन अब तक यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है क्योंकि उस ऐक्ट की अवधि अभी बाकी है। जिस वक्त में उनकी अवधि बढ़ाने के लिये यहां संशोधन विधेयक लाया जायगा उस समय इस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक संशोधन के साथ में बिल प्रस्तुत किया जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या यह सही है कि कानपुर हाउसेज एसोसियेशन ने इस कमेटी के सामने तथा सरकार को कोई मेमोरेन्डम इस बारे में दिया था ?

श्री बनारसी दास---जी हां, कमेटी के सामने कानपुर के किरायेदारों की तरफ से और मकान मालिकों की तरफ से मेमोरेन्डम दिया गया था और उनकी तरफ से कुछ लोग शहादत देने भी आये थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री बनारसी दास—मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट जोकि सरकार के विचाराधीन है जब इस पर सरकार विचार कर लेगी तब स्वयं यह रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बनी, इसके कितने सदस्य हैं और उनके क्या नाम हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं नाम वगैरह के लिये इजाजत नहीं देता हूं, लेकिन हां कमेटी कब बनी इसके बारे में जवाब दे दें ।

श्री बनारसी दास—यह कमेटी पारसाल बनी थी और ३१ मई तक उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी । उसने अपनी रिपोट दे दी है और अब वह कमेटी तोड़ दी गयी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस कमेटी ने कुछ किराया कम करने की भी सिफारिश की है ?

श्री बनारसी दास—जिस वक्त कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी, उस वक्त आप स्वयं अन्दाजा लगा लेंगे कि कमेटी की सिफारिशें क्या हैं, और जब कि वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है मेरे लिये बताना ज्यादा उचित नहीं है ।

*२६-२८—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[२१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिले में रूरा और अकबरपुर में टाउन एरिया स्थापित करने का सुझाव

*२९—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या स्वशासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि रूरा और अकबर पुर में जो कानपुर जिले की प्रमुख व्यावसायिक मंडियां हैं और जिनकी आबादी लगभग ५,००० है वे टाउन एरिया स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—रूरा और अकबरपुर को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*३०—श्री राम दुलारे मिश्र—क्या यह सच है कि अकबरपुर कस्बे में पहले टाउन एरिया स्थापित थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

*३१—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सच है कि रूरा और अकबर पुर में टाउन एरिया स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ साल पहले स्थानीय संबंधित अधिकारियों से पूंछतांछ अथवा जांच करवाई गयी थी ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन स्थानों को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव विधान मंडल के आम चुनाव के पहले प्राप्त हुआ था । तब यह निश्चय किया गया था कि विधान मंडल एवं स्थानीय निकायों के आम चुनावों के पश्चात् ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाय । अब ऐसे सब प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या दिसम्बर, सन् १९५४ तक विचाराधीन प्रस्ताव के ऊपर निर्णय हो जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---तिथि निश्चित करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रूरा और अकबरपुर के लोग अब भी गांव सभाओं के मुकाबले में टाउन एरिया चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---अब भी कहना मेरे लिये मुश्किल है कि आज या कल में क्या था। पहले की दरख्वास्त आयी थी उसी पर विचार हो रहा है।

पीलीभीत में दियूरिया डिस्पेंसरी

*३२---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत में क्या दियूरिया डिस्पेन्सरी बनवाने के लिये वह विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

*३३---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)---क्या उस डिस्पेंसरी के लिये जमीन मिल चुकी है ? यदि हां, तो उसका उपयोग कब तक होना आरम्भ हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । आवश्यक धन उपलब्ध होने पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जायगा।

अनाथालयों को सरकारी सहायता मिलने के आधार

*३४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह अनाथालयों को सरकारी सहायता देती है ? यदि हां, तो किस किस को और कितनी-कितनी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, सरकार हर साल कुछ संस्थाओं को संबंधित जिलाधीशों की सिफारिश और इनमें अनाथों की संख्या के आधार पर अनावर्तक (Non-Recurring) अनुदान देती है। वर्तमान आर्थिक वर्ष में जिन संस्थाओं को जितना अनुदान दिया गया है उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३०-२३१ पर ।)

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ अनाथालयों का हिसाब-किताब सुव्यवस्थित न होने पर भी सरकार उनको सहायता दे रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---हो सकता है कि कुछ अनाथालयों का हिसाब-किताब ठीक ठीक न हो लेकिन उसके लिये एक ऐडहाक कमेटी बनी है और कानून पर भी विचार हो रहा है कि किस तरह से अनाथालयों के हिसाब-किताब की ज्यादा देखभाल के लिये अधिकार सरकार ले और उनको ठीक-ठीक चलने में मदद दे सके।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार उन अनाथालयों को, जिनमें दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है, अधिक सहायता देने पर बिचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---उनकी आमदनी, उनका खर्चा और कितने लोग वहां रहते हैं, इन सब बातों पर विचार कर के ही यह सहायता दी जाती है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने अनाथालयों को सहायता दी जाती है उनका हिसाब-किताब आडिट भी कराया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिन अनाथालयों को सहायता दी जाती है उनको रजिस्टर्ड होना चाहिये और रजिस्टर्ड बाडी को अपना हिसाब-किताब जंचवाना चाहिये।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अनाथालयों से बालक शिक्षा पा कर जाते हैं उनको रोजगार देने की सरकार कोई व्यवस्था करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी इस तरह की व्यवस्था करने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनाथालयों के ऊपर सरकार ने कंट्रोल रखने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं अभी जवाब दे चुका हूं कि अभी जो एडहाक बोर्ड बना है और लेजिस्लेशन तैयार किया जा रहा है और जांच पड़ताल के लिये कोशिश की जा रही है और इन अनाथालयों को मदद देने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सिफारिश करते हैं, तो वह भी थोड़ी बहुत जांच-पड़ताल करते ही हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अनाथालयों को सहायता दी जा रही है वह सब रजिस्टर्ड संस्थायें हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इस वक्त यह नहीं कह सकता कि वह सब रजिस्टर्ड संस्थायें हैं लेकिन आमतौर से रजिस्टर्ड संस्थाओं को ही सहायता दी जाती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन अनाथालयों को कुल कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सन् १९५१-५२ में जैसा कि सदन को मालूम है १० हजार रुपये की स्वीकृति हुई थी, १९५२-५३ में २० हजार की और इस वर्ष ५०हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इन अनाथालय के बच्चों को गिन्ती कराने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह इससे उठता नहीं है लेकिन अभी तक मालूम नहीं कि गिन्ती कहां हो रही है।

सीतापुर जिले में १९५२-५३ में नमक और उसके विक्रेता

*३५---श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ और ५३ में अगल-अलग सीतापुर जिले के लिये कितने बैगन नमक गया और जिले में कुल कितने नमक के डीलर हैं और उनके नाम क्रमशः प्रति वर्ष कितने कितने बैगन नमक एलाट किया गया ?

श्री बनारसीदास---आवश्यक सूचना तालिका के रूप में दी गयी है जो माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३२-२३३ पर।)

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आत्मा राम नन्द किशोर की फर्म, जिसे १९५३ में जिले के २५ नमक के कोटेदारों में से इनको सब से ज्यादा वैगन दिये गये। इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास---सन् १९४८ ई० में जिस वक्त की यह बात है। नमक जो आता था उसका सब से ज्यादा काम उन्होंने किया और इसके अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट यह है कि यह ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और इंतजाम भी बहुत अच्छा है।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आत्मा राम नन्द किशोर की फर्म जो नये कोटेदार बनाये गये हैं उसके अलावा २५ और कोटेदार हैं जो बहुत पुराने हैं उनमें उससे भी ज्यादा अच्छे और ईमानदारी से काम करने वाले हैं ?

श्री बनारसीदास---इसमें जहां तक मासिक कोटे का सवाल है वह वोल्यूम आफ बिजनेस के हिसाब से दिया जाता है लेकिन एडहाक कोटा जो विशेष दिया गया है उसका अधिकार जिलाधीश को है वही इस बात का जज होता है कि किसको ज्यादा कोटा मिलना चाहिये।

महमूदाबाद जिला सीतापुर का जनाना अस्पताल

*३६---**हनुमान प्रसाद मिश्र**---क्या यह सत्य है कि महमूदाबाद, जिला सीतापुर के जनाना अस्पताल को, जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बन्द हो चुका था, राजा महमूदाबाद ने मय इमारत, सामान और दवाइयों के जो १ लाख रुपये के लगभग की हैं, सरकार को मुफ्त दे कर चलाने के लिये आग्रह किया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया ?

श्री बनारसीदास---राजा साहब महमूदाबाद ने जेहरा जनाना अस्पताल महमूदाबाद के २०,००० रु० की लागत के भवन को इक्युपमेंट और दवाओं सहित सरकार को एक जनाना अस्पताल चलाने के लिये दान देने हेतु लिखा है किन्तु उसमें कुछ शर्तें लगाई हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र---क्या सरकार को यह मालूम है कि २० हजार की सम्पत्ति जो सरकार को दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है वह बरबाद हो रही है और क्या सरकार बतलायेगी कि विचाराधीन की कोई मियाद होती है और यह कब तक खत्म होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस सम्बन्ध में राजा महमूदाबाद के मैनेजर साहब से जनाना अस्पताल को सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से चलाने के लिये कई मर्तबा बातचीत की है लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। प्रदेश में जितने ताल्लुकेदारों के अस्पताल चल रहे थे उन्होंने सब अस्पताल सरकार को दान कर दिये हैं और सरकार उनको चला रही है। सरकार की यह मंशा थी कि जिस तरह से और ताल्लुकेदारों ने अपने अस्पताल दान कर दिये हैं उसी तरह से ये भी अपने अस्पताल को दान कर दें जिससे सरकार यदि नई इमारत बनाना चाहे या उसमें कुछ रिपेयर्स करना चाहे तो वह स्वेच्छा से कर सके। लेकिन ऐसी कोई बात मैनेजर साहब ने स्वीकार नहीं की है। उनसे फिर यह कहा गया है कि जैसे और ताल्लुकेदारों ने अस्पतालों को दे दिया है उसी तरह से वह भी दे देते। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। जिस दिन से वह इसे स्वीकार कर लेंगे सरकार तभी से अस्पताल चलाने का काम प्रारम्भ कर देगी।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री उनसे दान मांगने की एक बार फिर कोशिश करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बार-बार कोशिश जारी है। जहां तक दान मांगने का विषय है उसमें सरकार कभी चूकती नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी कर के बतलायेगी कि जो शर्तें कि राजा महमूदाबाद ने लगायी है उनको वह गैर मुनासिब समझती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, जहां तक इमारतों के चुनाव का विषय है उसके लिये एक ही तरह से कार्य करना चाहते हैं। हमने किसी और ताल्लुकेदारों की इमारत को लीज पर नहीं लिया है और हम यह नहीं चाहते कि यह रियासत, जो इतनी बड़ी रियासत इस अवध की थी वह कोई इस प्रकार को हमारे ऊपर शर्त लगाये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी कर के बतायेगी कि इस वक्त तक जो इन्तजाम था राजा महमूदाबाद की तरफ से उसके एतबार से कितने बेड आकुपाइड अस्पताल में रहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अस्पताल तो बन्द पड़ा हुआ है। जब से जमींदारी उन्मूलन का काम शुरू हो गया, तब से वह अस्पताल बन्द कर दिया गया है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिन मैनेजर महोदय के साथ बात-चीत हो रही है उनको अधिकार है कि किसी जायदाद को दान में दें राजा साहब की अदम मौजूदगी में?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, कहा जाता है कि राजा साहब तो ईराक या और कहीं चले गये हैं। उन्हीं को सब अधिकार सौंप गये हैं और वही उनकी रियासत का संचालन कर रहे हैं।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र---क्या मंत्री जी को मालूम है कि राजा साहब महमूदाबाद कलकत्ते के अन्दर में, ८-१० दिन हुए, मौजूद थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आठ दस दिन पहले की तो सूचना मुझे नहीं है।

सिंधौली तथा फतेहपुर तहसीलों में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

३७---श्री हनुमान प्रसाद मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर और सीतापुर जिले की तहसील सिधौली में कोई जनाना अस्पताल नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री बनारसीदास---जी हां। इन स्थानों पर जनाना अस्पताल खोलने का विषय विचाराधीन है।

*३८-३९---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---[२६ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उन्नाव जिले में सीमेंट का मासिक कोटा

*४०---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिला के लिये प्रतिमास कितना सीमेंट दिया जाता है?

श्री बनारसीदास---उन्नाव जिला को औसतन प्रतिमास १२३ टन सीमेंट दिया जाता है।

*४१---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्टाक से कितने प्रतिशत सीमेंट शहर, कस्बों और कितने प्रतिशत देहाती क्षेत्रों को दिया जाता है?

श्री बनारसीदास---ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में वितरण का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

*४२---श्री देवदत्त मिश्र---क्या मिर्जापुर फैक्टरी के चालू हो जाने पर सरकार सीमेंट पर लगा कंट्रोल उठाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास---सीमेंट का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित होता है। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मिर्जापुर फ़ैक्टरी के चालू हो जाने के बाद केंद्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति होगी।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि देहाती क्षेत्र में सीमेंट का सर्वथा अभाव है ?

श्री बनारसीदास---ऐसा तो नहीं। उसका जो पब्लिक कोटा है, उसके अनुसार देहात के लोगों को भी सीमेंट दिया जाता है और इसके अलावा देहातों में विकास के कार्य के लिये, आबपाशी के साधनों के लिये अलग ऐग्रीकल्चरल कोटा तो निश्चित ही है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री को विदित है कि देहाती जनता जिले में सीमेंट लेने के लिये आती है और सप्ताहों उसे जिले में आ आ कर के वापस जाना पड़ता है और नहीं मिलता ?

श्री बनारसीदास---ऐसी भी शिकायतें हो सकती हैं।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी देहातों के लिये सीमेंट का कोटा निश्चित करने का विचार रखते हैं ?

श्री बनारसीदास---वहां के लिये कोटा यहां गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित करने का प्रश्न नहीं है। जितना भी कोटा पब्लिक के लिये जाता है, यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आवश्यकता समझें तो वह सारा कोटा भी देहात को दे सकता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमाकर बतायेंगे कि अब देहातों में जो सीमेंट भेजा जाता है उस पर से कंट्रोल उठा लेने में गौर फरमा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र के अन्दर सीमेंट का कोटा गांव वालों को दिया जाने वाला है ?

श्री बनारसीदास---नहीं, इस प्रकार का सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है, लेकिन बहुत से जिलों के अन्दर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जहां डेवलपमेंट के कार्यों के लिये पंचायतों के द्वारा उनसे तस्दीक़ करा करके सीमेंट देते हैं।

श्री हरिसिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किन एजेंसीज के द्वारा सीमेंट का वितरण किया जाता है ?

श्री बनारसीदास---आजकल जिलों में जो पब्लिक के लिये कोटा है उसमें से शहरों के लिये तो डी० एस० ओ० के द्वारा, देहातों के लिये वहां के तहसीलदारों के द्वारा और पक्के कुओं या विकास के अन्य कार्यों के लिये वहां के प्लानिंग आफिसर के द्वारा, उसका वितरण होता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या आनरेबिल मिनिस्टर को याद है कि गुजिश्ता साल में उन्होंने यह एलान किया था कि इस सूबे के अन्दर सीमेंट की मिकदार काफी है, तो फिर कंट्रोल की क्या जरूरत है ?

श्री बनारसीदास—यह इसका उत्पादन और प्रान्तों को इसका कोटा देना यह केंद्रीय सरकार के अधीन है। तो जितना कोटा हमारे प्रान्त को मिलता है वह हमारी आवश्यकता की दृष्टि से बहुत काफी कम है। इसलिये इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया है ? यदि हां, तो उससे क्या निर्णय हुआ ?

श्री बनारसीदास—यानी सीमेंट से कंट्रोल हटाया जाय इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने विचार नहीं किया और न इसकी आवश्यकता ही मालूम होती है क्योंकि हमारे प्रान्त में अभी तक सीमेंट का काफी अभाव है और उसकी मांग ज्यादा है, इसलिये उसका नियंत्रण हटाया जाय ऐसी हमारी प्रान्तीय सरकार की राय नहीं है।

श्री दीनदयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर फैक्ट्री में जब सीमेंट बनने लगेगा तब वह हमारे प्रान्त के लिये काफी हो सकेगा ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर की फैक्ट्री में जो सीमेंट तैयार होगा उसका कुछ भाग वह जनता के लिये भी दे सकेंगे ?

श्री बनारसीदास—अभी तो जब वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगा तभी यह तय किया जायगा कि सरकार की आवश्यकता कितनी है और जनता की आवश्यकता कितनी है। तो इस वक्त तो यह कहना कि कितना जनता को मिल सकेगा और कितना सरकार अपने पास रखेगी, बड़ा कठिन है।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 'मेहतरों की सुविधायें' नामक विज्ञप्ति

*४३—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सूचना विभाग द्वारा 'मेहतरों को सुविधायें' नामक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—विज्ञप्ति तो नहीं है बल्कि केवल इस नाम का एक फोल्डर प्रकाशित किया गया है।

*४४—श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या सरकार उस विज्ञप्ति में ४४ नगर-पालिकाओं में मेहतरों के लिये मकान बनाये जाने की जो योजना है, उनके नाम तथा प्रत्येक स्थान में कितने-कितने मकान बनेंगे विवरण सहित मेज पर रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। सम्बन्धित सूची इसके साथ नत्थी कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३४–२३५ पर।)

श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फोल्डर प्रकाशित हुआ है उस वक्त से और अब तक किन-किन म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं और नोटीफाइड एरियाओं पर उसका असर पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम---असर पड़ने का अगर यह अर्थ है कि वह टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया इन मकानों को बनाने के लिये तैयार हैं तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश म्युनिसिपैलिटीज उसके लिये तैयार हैं । प्रश्न यह है कि वह रुपया किस रूप में दिया जाय---अनुदान के रूप में या कर्जे के रूप में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस विज्ञप्ति के अनुसार मेहतरों को क्या क्या सुविधायें दी गई बतलायी जाती हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---विज्ञप्ति तो कोई नहीं थी, फोल्डर था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, चाहे वह फोल्डर था या . . . .

श्री अध्यक्ष---तो आप फोल्डर ही कहें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो उसमें क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं मेहतरों को यह बतलायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह छपा हुआ मौजूद है और कोई भी मेम्बर साहब इसको सूचना विभाग से प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह योजना जो ४७ नगरपालिकाओं में मेहतरों के लिये मकान बनाने की है, उसमें क्या कुछ काम भी शुरू हो गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---काम अगर किसी ने शुरू कर दिया है तो वह अपने धन से अगर हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं लेकिन अभी तक किसी म्युनिसिपैलिटी को रुपया नहीं पहुंचा है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आइन्दा मकान मेहतरों के लिये बनवाये जायंगे उन पर किराया भी लिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । अभी तक तो यही विचार है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ नगर पालिकाओं ने अपने अंश की धनराशि उसमें शामिल करने से असमर्थता प्रगट की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । ऐसा भी है ।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रस्तुत मकान निर्माण योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---तिथि निश्चित करना अभी मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इस प्रकार के मेहतरों के लिये मकान बनवाने के पूर्व उनका भी हिस्सा इसमें रखे, कुछ रुपया इनमें मेहतरों का भी लगाया जाय जिससे कुछ सालों के बाद मकान उनका हो जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बने तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जो उन नगरपालिकाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने मकान बनवाने की असमर्थता प्रगट की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ४४ नगर-पालिकों को मकान बनाने के लिए रुपया कबतक मिल जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसमें एक प्रश्न है और वह यह कि अगर यह पूरा रुपया कर्जे के रूप में दिया जाय तो उसका इकोनामिकरेंट स्वीपर्स नहीं दे सकेंगे और जब तक उसमें ग्रांट आदि न हों तब तक स्वीपर्स उन मकानों से फायदा उठा सकेंगे इसमें मुझे संदेह है । इसलिये यह प्रश्न है कि वह आधा रुपया किस तरह से मिले । जब यह मसला तय हो जायगा तो वह रुपया फौरन भेज दिया जायगा ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मकानों के बनाने के लिए कोई नक्शा सरकार ने दिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो रुपया इन नगर पालिकाओं को मकान बनाने के लिये दिया जा रहा है उसमें प्रान्तीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कितना कितना हिस्सा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी यह निश्चय नहीं हुआ ।

*४५---**श्री रामदास आर्य**---[२९ मार्च, १९५४ को प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

यू० पी० होम्योपैथी बोर्ड का कार्य

*४६---**श्री नवल किशोर** (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि U.P. Homoeopathic Medicine Act के अन्तर्गत जो होम्योपैथी बोर्ड बनाया गया है, उसने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्री बनारसीदास---होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की स्थापना १५ अगस्त, १९५२ को हुई थी । इसकी अबतक तीन साधारण बैठकें हुई हैं । होम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी नियमों के बारे में बोर्ड ने सरकार को सुझाव दिये हैं और उनके आधार पर नियम बन गये हैं जो शीघ्र प्रकाशित होंगे । रजिस्ट्रेशन से आमदनी शुरू होने पर बोर्ड होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथिक शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ योजनायें चलायेगी जो बोर्ड ने तैयार कर ली हैं । इनमें मुख्य यह है :

(१) देहाती क्षेत्रों में होम्योपैथिक डाक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिये सहायता देना,

(२) होम्योपैथिक डिप्लोमा देना,

(३) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का सुधार ।

*४७---**श्री नवलकिशोर**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त बोर्ड पर सरकार ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री बनारसीदास—(अ) बोर्ड के खर्चे के लिये १९५२-५३ में १०,८०० रपये अनुदान, १९५३-५४ में १०,००० रुपये अनुदान, ५,००० रुपये कर्जा,

(ब) देहाती क्षेत्रों में होम्योपैथिक डाक्टरों को प्रैक्टिस की सुविधा देने के लिये १९५३-५४ में ५,००० रुपये का अनुदान ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि बोर्ड ने अपने जो नियम बनाये हैं वे सरकार के पास कब भेजे गये ?

श्री बनारसीदास—वे नियम मिल चुके हैं। उनको सरकार गजट के अन्दर प्रकाशित करने वाली है और उसके बाद उन पर अमल होगा ।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि होम्योपैथ्स के रजिस्ट्रेशन का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—जैसे ही रूल्स गजट में प्रकाशित हो जायंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो जायगा ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायंगे कि बोर्ड की तरफ से कोई प्रार्थना आई है कि दस हजार रुपये का जो अनुदान उसे दिया गया है वह काफी नहीं है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उनकी तरफ से ऐसी शिकायत जरूर आई थी ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में होम्योपैथ डाक्टरों की प्रैक्टिस के लिये ५ हजार रुपये का जो अनुदान दिया गया है उसके अन्दर कितने डाक्टरों को प्रैक्टिस करने की सुविधा मिल चुकी है ?

श्री बनारसीदास—इसी साल के अन्दर तो वह ग्रान्ट रक्खी गई है ।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये रूल्स गजट के अन्दर कितने दिनों के अन्दर प्रकाशित हो जायंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह आशा की जाती है कि अगले महीने में वे गजट में प्रकाशित हो जायंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इन नियमों के प्रकाशित करने में यह जो देरी हुई उसका मुख्य कारण यह था कि ये नियम लीगल रिमेंब्रेंसर और एडवोकेट जनरल के यहां भेजे गये, क्योंकि उनमें लीगल दृष्टि से बहुत सी बातें देखी जाती हैं। इसके लिये सरकार को दुःख है ।

लोकल बोर्ड के कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु

*४८—**श्री लालबहादुर सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लोकल बोर्ड के कर्मचारियों के Retire होने की उम्र के विषय में सरकार ने अध्यक्ष जिला बोर्ड के प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्डों के अध्यक्षों का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*४९—**श्री लालबहादुर सिंह**—क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने लोकल बोर्डों को नये आदेश भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद के अस्पताल के प्रान्तीयकरण का विचार

*५०—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजियाबाद के अस्पताल के प्रान्तीयकरण का विचार सरकार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*५१—श्री तेजसिंह—क्या सरकार को वहां के किसी व्यक्ति ने इस अस्पताल को बड़ा करने के लिये १,००,००० (एक लाख रुपये) देने का वायदा किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । सर्व श्री सेठ वेदप्रकाश जी तथा बादर्स ने गाजियाबाद के मर्दाने अस्पताल के भवन निर्माण के लिये एक लाख रुपया दान देने का वचन दिया है ।

बिजनौर के सिविल अस्पताल में नर्सों की कमी

*५२—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को मालूम है कि बिजनौर के सिविल अस्पताल में नर्सों की कमी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*५३—श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार वहां के जच्चाघर में अधिक मकान बनाने और नर्सों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

चरखारी रियासत के विलीन हुए भाग में औषधालय की आवश्यकता

*५४—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चरखारी रियासत के विलीन हुए भाग में कोई औषधालय है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस भाग में कोई औषधालय खोले जाने का विचार करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, वहां एक एलोपैथिक चिकित्सालय है । इसलिये आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता नहीं है ।

राशनिंग विभाग की समाप्ति का प्रश्न

*५५—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह अधिकांश वस्तुओं पर राशनिंग समाप्त हो जाने पर भी राशनिंग विभाग और राशनिंग आफिसरों को रहने देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की नीति राशनिंग व्यवस्था को उचित समय पर पूर्णतः समाप्त कर देने की है । अभी यह समय नहीं आया है, क्योंकि अब भी अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखना पड़ रहा है । जब तक इस प्रकार का नियमित नियंत्रण रहेगा, तब तक यह विभाग भी रहेगा और उसके संचालन के लिये आवश्यक आफिसर आदि भी रहेंगे । पहले की तुलना में अब जो आफिसर और कर्मचारी रहेंगे, उनकी कुल संख्या बहुत ही कम है ।

ताजगंज वार्ड के जच्चा अस्पताल में अधिक शय्याओं की आवश्यकता

*५६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या स्वशासन मन्त्री को यह विदित है कि ताजगंज वार्ड में नगरपालिका का जो उच्चा अस्पताल है उसमें केवल दो तीन शय्याएं ही हैं जो ताजगंज की पच्चास हजार जनता के लिये बहुत नाकाफी हैं ? क्या स्वशासन मन्त्री जनता के इस कष्ट को दूर करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, इस पर विचार हो रहा है ।

जिला फैजाबाद में मालीपुर–जलालपुर रोड के बनवाने के लिये आर्थिक सहायता

*५७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वशासन मन्त्री कृपा कर बतावेंगे कि जिला बोर्ड फैजाबाद को १९५१–५२ के बजट में मालीपुर-जलालपुर रोड बनाने के लिये ५०,००० रुपये की जो सहायता दी गई थी उसमें अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और ८ मील में कितने मील सड़क बन चुकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—४५,१३६ रुपया ४ आना व्यय हुआ है और ४ मील ३ फर्लांग सड़क बनी है ।

*५८—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या जिला बोर्ड ने सरकार के पास और भी आर्थिक सहायता की मांग का प्रस्ताव भेजा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हाँ ।

जौनपुर जिले में ईंटों के भट्ठे

*५९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में १९५२ लगायत १९५४ की ३० जनवरी तक कितने ईंटों के भट्ठे खोले गये और उनका पूरा पता क्या है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५२ ई० से ३० जनवरी, १९५४ ई० तक जौनपुर जिले में १८ भट्ठे खोले गये जिनके नाम और पते निम्नांकित हैं:—

क्रम-संख्या	भट्ठेवालों के नाम	पता
	कोयले से ईंट पकाने वाले भट्ठे	
१	सर्वश्री जिला सहकारी संघ, जौनपुर	फतेहगंज, जौनपुर
२	,,	हिन्दू पट्टी , जौनपुर
३	,,	मछली शहर, जौनपुर
४	,,	मुंगरा बादशाहपुर , जौनपुर
५	,,	मरियाहूं, जौनपुर
६	,,	कराकत, जौनपुर
७	,,	शाहगंज, जौनपुर
८	,,	बदलापुर, जौनपुर
९	सर्वश्री सहकारी संघ, नवपुरवा, जौनपुर	नवपुरवा, जौनपुर
१०	सर्वश्री कन्ज्यूमर्स सहकारी स्टोर्स, सब एरिया, "सी" जौनपुर	कलीचाबाग, जौनपुर
११	सर्वश्री रामरूप पाठक कमला प्रसाद पाठक	उमरपुर, जौनपुर
	लकड़ी से ईंट पकाने वाले भट्ठे	
१२	सर्वश्री जगदेव प्रसाद सिंह, भानुसिंह	सुरीश शाहगंज, जौनपुर

क्रम संख्या	भट्ठे वालों के नाम	पता
१३	श्री रामदास	ग्राम गंजा, तहसील केराकत, जौनपुर
१४	श्री समरजीत सिंह	मलहानो, जौनपुर
१५	श्री सत्य नारायण सिंह	ग्राम गुरैनी, तहसील शाहगंज, जौनपुर
१६	श्री दीप नारायण सिंह	ग्राम आबूपुर, तहसील शाहगंज, जौनपुर
१७	श्री रायबहादुर सिंह	ग्राम तरयारी, तहसील केराकत, जौनपुर
१८	श्री नासिरुद्दीन	खेता सराय, तहसील शाहगंज, जौनपुर

*६०-६२--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--[११ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।

मुजफ्फरनगर में मलेरिया निरोधक योजना का अभाव

*६३--श्री बलवन्त सिंह--क्या यह सही है कि जिला मुजफ्फरनगर में गंगा, यमुना, सोलानो, कालोहिन्डन आदि नदियों के भीषण मलेरिया इलाके होते हुए भी कोई मलेरिया निरोधक योजना कार्य नहीं करती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है कि उल्लिखित क्षेत्र भीषण मलेरिया-ग्रस्त है। उस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप साधारण है और इतना अधिक नहीं है कि वहां एक मलेरिया निरोधक योजना चालू करने की आवश्यकता प्रतीत हो ।

*६४--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार मुजफ्फरनगर जिले में शीघ्र ही मलेरिया निरोधक योजना आरम्भ करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर में कुष्ठ रोगियों के लिये अस्पताल

१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में कुष्ठ-रोगियों के लिये अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जाने वाली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

१९५४-५५ के लिये पुस्तकालय समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष--मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि पुस्तकालय समिति के लिये आगामी वर्ष के लिये यानी १९५४-५५ के लिये निम्न सदस्य नामांकित किये गये :--

(१) श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)--सभापति

(२) श्री मंगला प्रसाद, एम० एल० ए०

(३) श्री राम स्वरूप गुप्त, एम० एल० ए०
(४) श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी, एम० एल० ए०
(५) श्री मुकुट बिहारी लाल, एम० एल० सी०
(६) श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, एम० एल० सी०
(७) श्री महाबीर सिंह, एम० एल० सी०
(८) डा० ईश्वरी प्रसाद, एम० एल० सी०
(९) श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० एल० सी०
(१०) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, एम० एल० ए०
(११) श्री नारायण दत्त तिवारी, एम० एल० ए०
(१२) राजा वीरेन्द्रशाह, एम० एल० ए०
(१३) श्री अजीज इमाम, एम० एल० ए०
(१४) डा० सीताराम, एम० एल० ए०
(१५) श्री कैलाश प्रकाश, एम० एल० ए०
(१६) श्रीमती विद्यावती राठौर, एम० एल० ए०
(१७) श्री वीरेन्द्रपति यादव, एम० एल० ए०
(१८) श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र, एम० एल० ए०
(१९) श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी, एम० एल० ए०
(२०) श्री नेकराम शर्मा, एम० एल० ए०
(२१) श्री रामनरेश शुक्ल, एम० एल० ए०
(२२) श्री इस्तफा हुसैन, एम० एल० ए०
(२३) श्री राम प्रसाद देशमुख, एम० एल० ए०
(२४) श्रीमती आशालता व्यास, एम० एल० ए०
(२५) श्री लक्ष्मीशंकर यादव, एम० एल० ए०

कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में विवाद

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रार्थना की थी माननीय राजस्व मन्त्री जी से कि कुमायूं टेनेंसी लॉ जो दूसरे आइटम पर है, उसे पहले ले लिया जाय बजाय इसके कि दूसरा आइटम लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मन्त्री को इसमें कोई आपत्ति है कि कुमायूं टेनेंसी लॉ जो नम्बर ६ पर है, उसे पहले ले लिया जाय ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कुमायूं टेनेंसी लॉ में अभी थोड़ा विचार करना है और कुछ संशोधन गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किये जा रहे हैं। इसलिए अगर आप उचित समझें, तो उत्तर प्रदेश चकबन्दी विधेयक को पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष---यानी ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक को दूसरे नम्बर पर ले लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह समझता हूं कि चकबन्दी बिल पहले लिया जाय और दूसरे नम्बर पर कुमायूं का विधेयक ले लिया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—ऐसा मैं समझता हूं कि जो कहा गया है और मदन मोहन उपाध्याय जी ने जो निवेदन किया था कि कुमायूं वाला जो विधेयक है, वह ज्यादा आवश्यक है, तो उसको पहले ले लिया जाय। अगर उसको पहले नहीं लिया जाता है, तो फिर जो क्रम है, उसी के अनुसार लिया जाय। लेकिन मैं यह समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री मेहरबानी करके कुमायूं वाले विधेयक को पहले ले लेंगे। इसलिए कि अगर कुमायूं वाला बिल पास नहीं हुआ तो फिर शायद उसमें दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि अब तो नामुमकिन हो गया है कि उसको शुरू में लिया जाय। उसको दूसरे नम्बर पर ले लिया जायगा, क्योंकि विभाग की ओर से कुछ संशोधन उसमें होने जा रहे हैं, तब तो बाद में ही उसको ले लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—हमने श्री मौर्य जी से निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि पहले कुमायूं वाले बिल को लिया जाय और मैं समझता हूं कि मौर्य जी खुद इस बात को मान जायेंगे कि वह पहले उस विधेयक को लेने के लिये कह चुके थे और उनसे बातचीत हो चुकी थी। पहले जिस बिल को वह लेना चाहते हैं, उनका ख्याल है कि वह चन्द घण्टों में पास हो जायगा, लेकिन हमारा ख्याल है कि उसमें २, ३ दिन जरूर लग सकते हैं। प्राइवेट बिजिनेस का दिन परसों है, तो इधर वह बिल पास हो सकता है।

श्रीमन्, मैं तो दूसरी बात कहना चाहता था। आजकल फ्रेंच सैटिलमेंट पांडीचेरी में जो आन्दोलन चल रहा है, उसके विषय में श्री नारायण दत्त जी का प्रस्ताव था, तो उसके विषय में मैं जानना चाहता था कि आपने क्या फैसला किया।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे कहा था कि अभी वह प्रस्ताव विचाराधीन है और एक दो दिन के अन्दर उसके ऊपर निर्णय कर लिया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बात जरूर हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि कोई आपत्ति नहीं होगी, किन्तु जैसा मैंने अभी कहा कि उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं। चकबन्दी बिल में कोई ज्यादा समय लगने की सम्भावना नहीं है। इसलिए उस कुमायूं बिल को दूसरे नम्बर पर ले लिया जाय।

श्री गेंदासिंह—मुझे इसमें आपत्ति है। अगर कुमायूं विधेयक को पहले नहीं लिया जाता है, तो फिर जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिया जाय। लैन्ड एक्वीजीशन विधेयक पहले है, तो उसको ही पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री उपाध्याय जी की ओर से यह प्रार्थना की गयी थी और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था कि उसको दूसरे नम्बर पर लिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जैसा क्रम है, अब उसी प्रकार से लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पहले वाले के लिये तो मैंने स्वयं कहा था और आप से निवेदन किया था कि पहले वाले को अभी न लिया जाय क्योंकि उसमें भी कुछ संशोधन तैयार हो रहे हैं। इसलिए चकबन्दी को पहले ले लिया जाय।

श्री राजनारायण---हमने चकबन्दी बिल पर कोई संशोधन नहीं दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमको मालूम हुआ उसी प्रकार से हम करना चाहते थे। अब अगर माननीय मन्त्री जी इसको लेते हैं, तो यह हमारे अधिकारों का हनन होगा। अगर कुमायूं बिल अभी तैयार नहीं है तो वह लैन्ड एक्वीजीशन बिल को ले लें। चकबन्दी बिल पर अभी संशोधन नहीं दिये गये हैं। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि चकबन्दी को पहले न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब तो कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके कि जिस प्रकार से यह कार्यक्रम है, उसी प्रकार से अब यह कार्य चलेगा।

वर्तमान उपवेशन तथा आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, कल सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताने के लिये कहा था कि हाउस कब तक चलेगा? इसलिए मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि सेशन किस तारीख तक चलेगा और आगे क्या प्रोग्राम है?

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय उपनेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह बतायें कि इस विषय में क्या फैसला हुआ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---यह मौजूदा बैठक २ अप्रैल को खत्म हो जायगी और उसके बाद १९ अप्रैल को फिर से यह हाउस बैठेगा। इस बीच में जो बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेंगे, उनकी रिपोर्ट तैयार हो जायगी और तब उस काम को इस सदन में लाया जायगा।

†लैंड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

*माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि लैन्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

इस विधेयक के द्वारा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में कुछ सुधार इस विचार से किये गये हैं कि जमीन जो पब्लिक परपजेज के लिये एक्वायर की जाती है, उसमें अधिक समय न लगे और जिस काम के लिये जमीन ली जा रही है, उसमें कुछ जल्दी हो सके। इस आशय से भी इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक परपजेज की डेफिनीशन में यह बात भी जोड़ दी गयी है कि कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य के लिये किसी भूमि की आवश्यकता हो या किसी सुधरे हुए रूप में किसी गांव या शहर को बसाने की कोई प्लान्ड योजना हो, अथवा ऐसे व्यक्तियों के लिये जो कमजोर तबके के हैं, उनके खेतों के लिये जमीन प्राप्त करनी हो, ऐसी जमीन को प्राप्त करना भी पब्लिक परपजेज में शामिल कर दिया गया है। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ में जो नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, वह यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही जब नोटिफिकेशन हो जाय, तब ही उसकी कार्यवाही चल सकती है, लेकिन इस संशोधन के द्वारा जिलाधीश को धारा ४ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि पहला जो नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ही जमीन की सर्वे आदि का काम शुरू होता है तथा अन्तिम नोटिफिकेशन धारा ६ में प्रकाशित होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है। इस संशोधन में धारा ४ के नोटिफिकेशन का अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है और धारा ६ का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के जरिये से ही किया जायगा।

---

†२५ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जहां तक कम्पेंसेशन देने की बात है मारकेट वैल्यू के हिसाब से कम्पेंसेशन दिया जाता था और १५ प्रतिशत इसलिए भी दिया जाता था कि उस जमीन को जबरदस्ती ले लिया जाता था, लेकिन इस ऐक्ट में वह १५ प्रतिशत जो मारकेट वैल्यू के हिसाब से ज्यादा दिया जाता था, वह नहीं रखा गया है। भूमि को हस्तगत करने में कोई कम्पेंसेशन वगैरह देने के बाद भूमि को हस्तगत करने की कार्यवाही होती थी। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में एक धारा है कि कोई वैस्ट लैन्ड हो, परती हो या बंजर हो, तो ऐसी भूमि, कम्पेंसेशन का निर्णय होने के पहले भी ले ली जा सकती थी, लेकिन अब इस संशोधन विधेयक में और भी कोई भूमि हो या मकान वगैरह हो तो आवश्यकतानुसार वह भी पहले ले लिया जा सकता है, ऐसा संशोधन इस विधेयक में रखा गया है और वह खास तौर पर डेवेलपमेंट के काम के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, ताकि डेवेलपमेंट के काम में जल्दी हो सके। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून के अन्दर एतराज करने की अवधि इस वक्त ३० दिन की है, लेकिन संशोधन के जरिये उस अवधि को अब २१ दिन कर दिया गया है। किसी व्यक्ति की भूमि को लेने के सम्बन्ध में कोई एतराज अगर दाखिल करना हो तो अब बजाय ३० दिन के २१ दिन के अन्दर उसे एतराज दाखिल करना होगा। ये खास खास संशोधन इस विधेयक के जरिये लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में किये गये हैं और इसमें जैसा कि हमने पहले कहा कि इस विधेयक को लाने की जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट पर विचार करने के लिये एक कमेटी बैठी थी, ताकि लैन्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही जल्दी और आवश्यकतानुसार हो सके और भी जो बातें इस सम्बन्ध में कही जाती हैं उन पर भी कार्यवाही की जा सके तो उस कमेटी ने जो रिकमेन्डेशन्स किये हैं, उन्हीं के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा लैन्ड एक्वायर करके जो प्लान्ड काम हैं और जो पब्लिक परपज के लिये डिफाइन किया गया है, ऐसे कामों के लिये आवश्यकतानुसार जल्दी भूमि हस्तगत की जा सके। मुझे आशा है कि इस विधेयक को यह भवन स्वीकार करेगा।

*श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं ऐसा प्रस्ताव क्यों करता हूं इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं। विधेयक के उद्देश्य में यह कहा गया है कि एक कमेटी बैठी थी, और उसने विचार किया और उसके विचार के बाद यह मालूम हुआ कि भूमि के हस्तगत करने में जो देर होती है, उस देर को न होने देने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाय। इसमें यह भी कहा गया है कि प्लानिंग कमीशन ने भी इस तरह की कोई बात कही थी कि आज सार्वजनिक कार्यों के लिये जमीन लेने में जो दिक्कत होती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिये कुछ कानूनी पेचीदगियों को दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्देश्य में जो कुछ लिखा गया है, उसी के अनुसार यह विधेयक नहीं आया है। इस विधेयक में ऐसी बात भी है, जो न तो कमेटी के दिमाग में थी, न इसके उद्देश्य में उस बात को स्वीकार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि अनुसूची की धारा ३ के आखिर के हिस्से में लिखा हुआ है कि "The setteement of land for agriculture with the weaker section of the people." हालांकि न तो उद्देश्यों में इस बात का जिक्र किया गया है और न कमेटी ने कभी इस बात को सोचा था। मैं इस बात को ऐप्रिशियेट करता हूं कि तारीफ भी कर दी है कि "वीकर सेक्शन आफि दि पब्लिक" को दें। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात आयी, लेकिन यह घुमा कर नाक पकड़ने जैसी बात है। अगर मैं यह कहूं कि "वीकर सेक्शन आफ दि प्युपिल" की चिन्ता तो उनको बहुत कम है, लेकिन आज के जो हमारे प्रदेश के भूपति हैं, जिनके पास बड़े-बड़े खाते हैं, उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ और देने की फिक्र है, तो यह ज्यादती की बात उनके साथ न होगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि सन् १९१९ में जब महात्मा गांधी हमारे पड़ोस चम्पारन में आये थे, तो वहां पर मुजरिब पट्टेदारों के खिलाफ आन्दोलन हुआ था और जब नील बोने वाले अंग्रेजों को मालूम हुआ कि हमें देश छोड़ना पड़ेगा, और जमीन भी छोड़नी पड़ेगी, उस समय बेतिया राज कोर्ट आफ वार्ड्स में था, अंग्रेजी हुकूमत थी। उस वक्त हुकूमत की तरफ से कोर्ट आफ वार्ड्स के द्वारा लाखों रुपया उन मुजरिब पट्टेदारों को दिया गया। यथार्थ बात तो यह थी कि वह लोग चम्पारन को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन मकसद यह था कि वह इंग्लैन्ड को कुछ पैसा लेकर जायं, तो इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया उनको दिया गया। देश में भूमि बटवारे की चर्चा बड़े जोर से है, और हर बार नान आफिशियल डे को कई कई प्रस्ताव भूमि बटवारे के आ जाते हैं। आज को सरकार को भी चिन्ता है कि जमीन का बटवारा हुए बिना न रहेगा। जिस तरीके से जमींदारी विनाश कानून को बिगाड़ कर रखा गया है, उसी तरह से यही उद्देश्य इसका भी है कि २ लाइन का विधेयक लाकर खूब मामले को बिगाड़ा जाय। हालांकि लिख दिया गया कि वीकर पब्लिक के लिये और पब्लिक परपज के लिये ऐसा किया जा रहा है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---आपकी क्या शिकायत है, वह भी तो कहिये ?

श्री गेंदासिंह---मैं तो चाहता हूं कि वह हमारी सही शिकायतों को तस्लीम किया करें, लेकिन यह तो उनकी आदत के विरुद्ध है। हमारी शिकायत है कि वह बड़े-बड़े भूपतियों को कम्पेंसेशन देने की बात अब भी सोचते हैं और वह २५ लाख एकड़ जमीन लोगों से निकाल कर बांटने की बात भी कभी कभी सोचते हैं और उसका करोड़ों रुपया मुआविआ देना चाहते हैं और इसलिए विधेयक में ऐसा प्राविजन किया गया है। इसलिए मैं सबसे पहले इस बात की सख्त मुखालिफत करता हूं। जो बातें इसमें की जायं, वह सीधी सीधी की जायं।

जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, उसी के मुताबिक उसको होना भी चाहिए, लेकिन उस उद्देश्य से अलग यह विधेयक जाता है, हालांकि अध्यक्ष महोदय, जहां पर यह बात कही जाय कि जितने जमीन के मालिक हैं, उनसे जमीन लेकर कुछ छोटे लोगों को नहीं देना चाहते भूमिहीन किसानों को भूमिहीन ही रहने देंगे और छोटे जोत वालों को छोटी जोत वाला ही रहने देंगे, यह बात नहीं है। उससे एक कदम आगे जरूर है, लेकिन मेरी जो शिकायत है, वह तो मैंने अर्ज कर दी है। मेरी शिकायत तो यह है कि वीकर सेक्शन के लिये जो जमीन वे एक्वायर करेंगे उनके मुआविजे के लिये पैसा कहां से आवेगा। कितनी जमीन वीकर सेक्शन के लिये निकालना चाहते हैं ? अगर दस बीस लाख एकड़ निकालना चाहते हैं तो करोड़ों रुपये के मुआविजे का जो सवाल उठेगा, वह वीकर सेक्शन आफ दि पीपुल जो जमीन लेगा वह देगा या माननीय राजस्व मन्त्री जी उसका बन्दोबस्त करेंगे, किस तरह से होगा, यह इस विधेयक में नहीं है।

अब मैं इस विधेयक के जो कुछ और अंग हैं, उन पर भी माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देर लगने की बात कही गयी है। मैं इसी कमेटी के कुछ शब्दों को माननीय राजस्व मन्त्री की खिदमत में रखना चाहता हूं। यह जो लैन्ड एक्वीजीशन कमेटी की रिपोर्ट है, उसके १६वें पन्ने पर "कापी आफ दि रेवेन्यू (ए) डिपार्टमेंट मेमोरैन्डम नम्बर १०८९ आर/आई-ए, दिनांक २२ नवम्बर, १९५० में यह बात लिखी हुई है---

"It has been noticed that the standing rules regarding the procedure for acquisition of land for public purposes under the Land Acquisition Act are not carefully followed. Sometimes proposals for the acquisition of the same land have been made by different departments independently and there have been occasions when this has given rise to a conflict between

[श्री गेंदासिंह]

them. On other occasions likely objections were not anticipated or considered which later led to complications. These difficulties have arisen not from any defect in the rules but from a failure to observe them."

अब अध्यक्ष महोदय, इस चिट्ठी को देखते हुए मुझे तो यह नहीं लगता कि देर जो होती है, वह कानूनी दिक्कतों की वजह से होती है। मुझे निजी तौर पर इस बात का अनुभव है कि जो देर होती है, वह इसलिए कि सरकारी अफसरों की इच्छा नहीं होती कि सार्वजनिक कार्य के लिये जल्दी से जल्दी जमीन मिले और वह कार्य जल्द से जल्द हो जाय। मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो हर वर्ष लाखों रुपये का अनुदान लैप्स हो जाता है, उसमें भी क्या कोई कागजी दिक्कत है। बजट में अनुदान की रकम स्वीकृत होती है, उसको मौके पर खर्च होना चाहिए, लेकिन वह रकम खर्च नहीं होती, और वह लैप्स हो जाती है। इसी प्रकार से मैं यह भी कहता हूं कि जमीन लेने की बात भी है। जहां पर सरकार की आवश्यकता होती है और सचमुच जहां पर सरकार चाहती है और कलेक्टर साहब चाहते हैं कि जमीन ले ली जाय वहां जमीन ले ली जाती है। मैंने आपसे निजी अनुभव से अर्ज किया कि देवरिया जब नया जिला बना तो, वहां पर नयी जमीन ली गयी और बहुत सी जमीन ली गयी और ऐसी जमीन ली गयी जो ऐसे काश्तकारों के पास थी, जो बहुत ज्यादा मंहगा सौदा करके उसको बेंचते थे, लेकिन कई सौ एकड़ जमीन ली गयी और जल्द जमीन हासिल हो गयी, और इसलिए हुई कि मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चन्द्र मोहन जी निगम थे, वे न सिर्फ कागजी दौड़ में रहते थे बल्कि यत्न भी करते थे कि जिस तरीके से हो, उसके लिये प्रोसीजर जल्द से जल्द पूरा हो जाय, और आज देवरिया में करीब एक करोड़ रुपया खर्च करके इमारतें बनी हैं। जमीन भी मिली और जमीन के लिये मुखालिफत भी हुयी। यह बात नहीं है कि जिनकी जमीन निकली जा रही थी वह लोग सोये हुए थे, ऐसी बात नहीं थी। वह लोग शहर के रहने वाले थे और जितनी कोशिश वह कर सकते थे उतनी कोशिश उन्होंने की और उन्होंने उठा कुछ नहीं रखा लेकिन आखिर में वह जमीन निकली। तो मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क़ानून के बनाने से जमीन हासिल नहीं हो सकती, जमीन तो हासिल होगी इच्छा से। यह पत्र जो मैंने अभी उनकी खिदमत में पेश किया वह हमको मजबूर करता है यह कहने के लिये कि अब भी वह असल में फालो नहीं करते। जो काम करना चाहिये उसे करने के लिये उनके पास दिल नहीं है या यह कि उनके पास फुर्सत नहीं है। कहा भले ही यह जाय कि देर होने के कारण या क़ानूनी कारण हैं लेकिन वह क़ानूनी कारण नहीं है बल्कि वह पुराने जमाने से जो एक लाल फीते वाली बात कही जाती है कि काग़ज़ पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है, वह बात ज्यादा सही है।

कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ी शिकायत थी। पहले भी जो जमीन एक्वायर की जाती थी सड़कों के लिये या और कामों के लिये, सरकारी कामों के लिये तो जमीन जोतने वाला जो है जिसकी रोजी चलती है उस जमीन से उसको तो बहुत ही मामूली रकम मिलती थी लेकिन जो जमींदार थे जिनको कि सिर्फ उस जमीन की मालगुजारी वसूल करने का अख्तियार था उनको उसमें सबसे बड़ी रकम मिलती थी। इस समय उसे मैं बिल्कुल ठीक बतलाने में विवश हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद १०० में ७५ पा जाता था जमींदार और बाकी २५ जोतने वाले को मिलते थे जिसकी कि रोजी उसके साथ-साथ चली जाती थी।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी जल्दी की गयी थी कि उस कानून को जल्दी से जल्दी बदल दिया जाय और बहुत जल्दी की जाय लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जल्दी करने के लिये जो एक कमेटी बैठी वह सन् १९५२ ई० में ५ सितम्बर को बैठी इसलिये कि जल्दी से जल्दी जमीन हासिल

की जाय, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट सदन में ३० मार्च, १९५४ को आती है । अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट भी १७ पन्ने की है। इस १७ पन्ने की रिपोर्ट को देने में २ वर्ष लगे, जब इसमें ऐसे लोग भी नहीं थे जिनको बहुत दूर से बुलाना पड़े। इसमें बड़े फुर्तीबाज लोग थे और इसमें बड़े तेज चलने वाले लोग थे, जैसे माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय गिरधारी लाल जी, माननीय चरण सिंह जी, श्री जे० निगम, श्री ए० एन० झा, श्री बी० पी० बागची, श्री जहूरुल हसन, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री बी० बी० लाल, श्री आर०एन० शर्मा, श्री० एस० एन० एम० त्रिपाठी और श्री पी० सी० भाटिया। ये सब लखनऊ के ही रहने वाले हैं और इनको दो वर्ष लगे इस छोटी सी रिपोर्ट देने में। तो क्या इस कमेटी के लोग देर करना चाहते थे? माननीय राजस्व मंत्री जी को तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उनको तो मैं जानता हूं कि बड़े तेज आदमी हैं लेकिन उनकी मौजूदगी में भी इस कमेटी ने दो वर्षों में रिपोर्ट दी है, तो मैं कहता हूं कि जरा सरकार खिसकना शुरू करे तेजी से। क्योंकि अगर यह सरकार कुछ तेजी से खिसकना शुरू करेगी तो फिर सरकारी अफसर भी तेजी से काम करना शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय कलेक्टरों को इस काम के लिये जरा ऐसा संकेत कर दें कि जमीन निकालने में जल्दी हो तो क्या किसी कलेक्टर की मजाल है कि वह किसी कागज को ६ महीने तक सड़ाता रहे, वरना मैं समझता हूं कि किसी क़ानून के होते हुये भी काम पूरा नहीं हो सकता। यह ठीक है कि यह विधेयक हमारे सामने आया है । लैन्ड किस तरह से अक्वायर की जाती है और उसमें क्या-क्या होता है इस पर विचार करने का अवसर माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया है। इसके लिये हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो उद्देश्य इस विधेयक का है उसके पूरा होने में मुझे कुछ शक है ।

मुआविजे के सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मैं यह सोचता था कि जमीन जिनकी निकलेगी उनके लिये शायद अब कुछ ज्यादा यह सरकार सोचेगी कि अगर जमीन उनकी निकल जाती है, रोजी का जरिया निकल जाता है, तो उनको बेरोजी न किया जाय। लेकिन इस विधेयक को देखने के बाद मुझको मालूम हुआ कि वह अंग्रेजी सरकार जो यहां से सात समुद्र पार रहने वाली थी वह कुछ सोचती भी थी कि आदमी की जमीन निकल जाय तो कुछ सोचो तो, लेकिन यहां पर कुछ और सख्ती करने का विचार माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है । जैसा कि माननीय मौर्य जी ने फरमाया कि हम बहुत जल्दी-जल्दी जमीन लेना चाहते हैं और कुछ कम अब देना भी चाहते हैं, क्योंकि पहले मार्केट वेल्यू से १५ फीसदी और ज्यादा देने की गुंजाइश थी और अब वह १५ फीसदी देने की गुंजाइश हटाने जा रहे हैं, वह १५ फीसदी अब नहीं देंगे । हम ऐसा सोचते थे कि जिन लोगों की जमीन निकाली जायगी उन लोगों को इस बात के लिये गुंजाइश दी जायगी कि फिर उनको रोजी का कोई सिलसिला तो हो। लेकिन इस विधेयक में, अध्यक्ष महोदय, कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है'। उनको मरने के लिये छुट दी जायगी । हमारे यहां भी लोग ऐसे हैं कि जिनकी जमीन निकली और जमीन निकलने के बाद उनके लिये कहीं ठिकाना नहीं लगा कि वे किसी तरह से अपना गुजारा कर सकें। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं और मैं बिलकुल माननीय राजस्व मंत्री जी के साथ हूं कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिये, सार्वजनिक कार्य के लिये जमीन लेनी चाहिये। चूंकि हमारे सार्वजनिक कार्यों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है तो क्या यह सार्वजनिक कार्य नहीं है कि अगर किसी आदमी की रोजी छिन जाय तो उस आदमी को रोजी दिलाने का भी बन्दोबस्त किया जाय। क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इसको सार्वजनिक कार्य नहीं मानते हैं? हम समझते हैं कि सरकार को इसको भी सार्वजनिक कार्य समझना चाहिये। अगर इस तरह के लोग भी हैं जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या आध एकड़ जमीन है और किसी सार्वजनिक कार्य के लिये वह जमीन निकल जाती है तो फिर यह आवश्यक है कि इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश होनी चाहिये थी कि उनको किसी न किसी तरह से हम रोजी का जरिया दें। ऐसे गांव भी हैं, ऐसी जगहें भी हैं जहां पर ऐसे लोग हैं जिन के पास जमीन है, बेकार जमीन है और उस जमीन को उनसे

[श्री गेंदासिंह]

निकालने के बाद भी उनका जरिया नहीं छीना जायगा, तो फिर अगर उसी गांव में सार्वजनिक कार्यों के लिये कोई जमीन ऐसे आदमी की ली जाती है जिसके पास कोई रोजी का जरिया नहीं रह जाता है तो क्यों नहीं इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश की गयी कि ऐसे लोगों से जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे बिला रोजी वाले लोगों को रोजी दिलाई जायगी। यह भी इस विधेयक में नहीं है । ज्यादा जमीन वाले लोगों से चाहे जितनी मुरौवत सरकार करे, वह मेरे कहने से तो मानते नहीं, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह फर्ज नहीं होता है कि जो आदमी बिला रोजी का हो जाता है उसको कहीं नौकरी दिलाई जाय या उसके लिये कोई न कोई उपाय निकाला जाय ? उपाय निकालने की कोई बात इस विधेयक में नहीं है लेकिन यह उपाय सरकार ने कर दिया है कि जो कुछ उसको मिलता था उससे भी १५ फीसदी कम उसको मिलेगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है। मुमकिन है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को सोचा न हो और उनके न सोचने में यह बात रखी गयी हो। इसलिये यह बात उनके ध्यान में दिलाने के बाद मैं समझता हूं कि वह इस ओर ध्यान देंगे और ध्यान देकर वह फिर इसको सुधारने की कोशिश करेंगे।

इस विधेयक में, अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के लोगों को जमीन दिलाने की बात कही गयी है, एक तो कम्पनियों को और एक सार्वजनिक कार्य के लिये। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ कम्पनियों से इस वक्त मुहब्बत करने लगे हैं। नहीं मालूम वह कम्पनियां कैसी हैं। इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश की गयी है कि अगर कहीं एक्सेसिव एमाउन्ट चला गया है किसी आदमी के पास यानी हम ऐसा ही समझते हैं इसको कि मुआविजे की रकम कम्पनी की तरह से अगर किसी व्यक्ति को अधिक मिल गयी तो कलेक्टर स्वत: नोटिस देगा और नोटिस दे कर ६ महीनों के भीतर उस रकम को मालगुजारी की तरह से वसूल करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी वहीं इस बात की भी गुंजाइश करेंगे कि जिस आदमी की जमीन निकाली गयी है और उसको कम मुआविजा मिला है, कोई गलती हो गयी है तो जिस प्रकार कम्पनी के लिये इस बात की गुंजाइश की गयी है उसी तरह से उसके लिये भी गुंजाइश की जाती कि वह तलब कर के उन लोगों से भी मालगुजारी की तरह वसूल करेगा और उस आदमी को रुपया पहुंचायेगा लेकिन ऐसा नहीं है । और भी एक बड़ा भारी भेद मुआविजे के सिलसिले में माननीय राजस्व मंत्री जी ने भूमिधरों और गैरभूमिधरों के साथ किया। यह मैं मानता हूं कि भूमिधरों ने दसगुना अदा किया और दसगुना अदा करने के बदले में जब उनकी जमीन निकले तो उनको कुछ मुआविजा अधिक पाना चाहिये लेकिन क्या जो असामी या अधिवासी है, जो सही माने में जमीन का जोतने वाला है उसको इतनी रक़म पानी चाहिये जिससे वह अपने को खड़ा न कर सके ? जो जमींदार पहले जमींदारी से निकाले गये उनको रिहैबिलिटेट करने के लिये तो हम २५ गुना तक दे सकते हैं लेकिन जो असामी और अधिवासी अपनी जमीन से निकाले जाते हैं उनको हम इतनी रक़म नहीं देना चाहते कि वे भी रिहैबिलिटेट हो सकें। बड़ा भारी दृष्टिकोण का फर्क है और मैं इस विधेयक के सिलसिले में माननीय राजस्व मंत्री जी के दृष्टिकोण से इत्तफाक़ नहीं कर सकता।

मैं उम्मीद नहीं करता था कि जो लैन्ड एक्वीजीशन विधेयक अबकी आयेगा उसमें इस तरह की बात होगी। मैं उम्मीद करता था कि उसमें कम से कम जो खामियां पहले के ऐक्ट में थीं उनको दूर किया जायगा, लेकिन उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गयी । जिस उद्देश्य से कमेटी बैठायी गयी थी उस उद्देश्य को पूरा न करने का भी दोष मैं लगाता हूं बल्कि ऐसी बातें भी की गयी हैं जो उस उद्देश्य से बिल्कुल उल्टी मालूम होती हैं। इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और अगर ऐसा किया जायगा तो मेरा यह विचार है कि इसमें जो बहुत सी खामियां हैं वे

बहुत कुछ दूर हो सकेंगी बशर्ते कि माननीय राजस्व मंत्री जी सेलेक्ट कमेटी में इस मूड में रहें कि हमारी बात सुन सकें। मैं इन्हीं शब्दों को कहने के बाद दरख्वास्त करूंगा सदन से और खासतौर से माननीय राजस्व मंत्री जी से कि वे इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, अगर किसी बात के ऊपर बहस के दो टुकड़े कर दिये जायं और एक दफा बहस एक तरीके से कर दी जाय और दूसरी दफा दूसरे तरीक़े से कर दी जाय तो उसका मतलब बिलकुल ही उल्टा हो जाता है। अभी भाई गेंदा सिंह जी ने भाषण के भीतर दो प्रकार से दो जगह बहस की। एक जगह तो आपने मिसाल इस बात की दी कि चम्पारन में अंग्रेजी हुकूमत का यह रवैया था कि वह ज्यादा रुपया जमींदार लोगों को दिलवा दे और एक जगह जिस वक्त आप किसानों के लिये या और ग़रीब आदमियों के लिये बोलने लगे तब आपने कहा कि कम्पेन्सेशन की मिक़दार बहुत ज्यादा होनी चाहिये। और जो स्कीम गवर्नमेंट ने इस विधेयक में कम्पेन्सेशन की रखी है उससे बड़ा भारी नुक्सान हो जायगा। क़ानून जब हम बनाते हैं तो वह ऐसा होना चाहिये कि जो इस समय विधान बना हुआ है उसके अनुकूल हो। क़ानून ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिये कि एक जगह एक बात रख दें और दूसरी जगह दूसरी बात रख दें। जिस समय वह क़ानून कोर्ट के सामने जाय तो फौरन ही वह क़ानून नल एंड वायड करार दे दिया जाय। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि जिस समय वह कानून बनायें तो वह इस बात को ध्यान में रखें कि अपने देश का जो विधान है और जो क़ानून बने वह उसके प्रतिकूल न हो। अब जो बातें माननीय गेंदा सिंह जी ने कहीं मैं समझता हूं कि वह उससे किसी भी तरह से लगती नहीं हैं।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है और यह विधेयक केवल चार पांच सेक्शंस का है। दो बातें इसके अन्दर रखी गयी हैं। उसके लिये इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और सेलेक्ट कमेटी में बहुत समय लगे। एक जगह तो आप कहते हैं कि इस छोटे से विधेयक को लाने में दो साल का समय लग गया। सरकार को इस २० सफे की रिपोर्ट में इतना समय लग गया और दूसरी जगह आप कहते हैं कि इस ४-५ सेक्शंस के विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो यह बहस न्यायसंगत नहीं है।

इस विधेयक के अन्दर इस बात का प्रावीजन किया गया है कि जो पुराने लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में खामियां थीं उनको पूरा कर दिया जाय, इस बात को करने की इस विधेयक में कोशिश की गयी है। अपने देश के अन्दर जो हमारी जरूरियात बढ़ गयी हैं उनको पूरा करने की कोशिश की गयी है। पहले क़ानून के अन्दर यह नहीं था कि किसी गांव की हालत को सुधारने के लिये, किसी कस्बे की हालत को सुधारने के लिये भूमि ली जा सकती हो तो इस क़ानून के अन्दर अब इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जो असुविधायें होती रहती थीं उनको दूर कर दिया जाय और भूमि इस कार्य के लिये ले ली जाय। एक बात जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है वह यह है कि जो गरीब आदमी होंगे उनकी जमीन सरकार गलत तरीके से लेना चाहती है। इस व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश की जाती है जो व्यवस्था हमारे देश के अन्दर है और आपने मिसाल दी है जमींदारी उन्मूलन क़ानून की। उसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि देश का सर्वोच्च न्यायालय था उसके लिये भी वही बात कही और वह ठीक-ठीक रहे और उसका जो लाभ हो सकता था वह लाभ भी होगा। तो अगर हम इस क़ानून के अन्दर देखें तो उसके जरिये से वह जो छोटे और गरीब आदमी हैं, जो वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी इसके अन्दर कहा गया है, उनको इसके जरिये से कुछ भूमि प्राप्त हो सकेगी। अब यह देखने की बात है कि ऐसी भूमि कोई गांव में या कस्बों में तो जरूरत ऐसे लोगों को देने की होगी नहीं। ऐसी जो भूमि होंगी वह तो ऐसी जगह होनी चाहिये कि जो जिनके पास जरूरत से ज्यादा भूमि हों और उन लोगों को सही तरीके से मिल सकें, तो

[श्री बलवन्तसिंह]

आपकी जो यह भावना है कि वह गरीब आदमियों से पैसे ऐसे लिये जायेंगे और वह अमीर आदमियों को दिये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सर्वथा निराधार रहेगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। हां, एक बात की इसमें जरूरत है कि जहां पर इसमें ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिए भूमि लेने की बात है, मैं समझता हूं कि इसमें मकानात बनाने के लिये भी कुछ ऐसी बात आ जानी चाहिये कि अगर मकानात बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता हो तो वह भी ली जा सकती है। यह चीज इसके अन्दर जो सब-सेक्शन ३ है "एफ" का उसमें आ जाना चाहिये और उसके आ जाने से गरीब आदमियों की जो समस्या भूमि सम्बन्धी है वह बहुत कुछ पूरा हो सकेगी।

अब इसमें जो इस बात के ऊपर भाई गेंदा सिंह जी ने जोर दिया कि साहब कलेक्टर साहब को यह इजाजत दे दी गयी है कि वह, अगर किसी ने गलत तरीके से रुपया ले लिया हो तो उसको ठीक करके उससे रुपया वापस ले लें, तो मैं यह समझता हूं कि इसमें क्या बात है? अगर गलती से क्लेरिकल मिस्टेक से या अरिथमेटिकल मिस्टेक से, जैसा कि इसमें १२ के सब-सेक्शन (१) में दिया है, अगर क्लेरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक हो जाय और उसको ठीक करके कलेक्टर वापस रुपया ले ले तो क्या आपकी मंशा यह है कि अगर कानून के अन्दर किसी वजह से कोई गलती रह जाय, किसी जोड़ में या किसी क्लर्क के लिखने पढ़ने से, तो क्या उस गलती को वैसे का वैसा ही रख दिया जाय? यह तो बिलकुल अनुचित बात होगी, हर एक क़ानून के अन्दर यह बात दी हुयी है। हम अपना सिविल प्रोसीजर कोड लें या दूसरे क़ानून हैं, उनके अन्दर सेक्शंस दिये हुए हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में जाब्ता दीवानी में १५१ में, १५२ में है कि जो इस प्रकार की मिस्टेक और गलतियां हो जायं तो ठीक हो सकती हैं। इसी प्रकार से प्रयत्न इसके अन्दर भी किया गया है कि अगर कलेक्टर साहब, कोई ऐसी मिस्टेक हो गयी हो तो उसको दूर कर दें। और एक बात जो मैं समझता हूं सबसे अच्छी इसमें दी हुई है वह यह है कि अब कुछ दिनों से फार्स का यह ट्रेंड हो गया था और पिछले क़ानून भी ऐसे थे कि उन्होंने मुआविजे के पैसे को इतना बढ़ा दिया था कि अवसर उसको छोड़ देना पड़ता था। बहरहाल जिस वक्त आप इस क़ानून के ऊपर बहस करें और बतलायें तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखेंगे। उस पक्ष को भी जिसके लिये भूमि ली जा रही है और उसको भी ध्यान में रखेंगे जिससे भूमि ली जा रही है। अगर आप सिर्फ एक ही पक्ष को ध्यान में रखें कि जिससे ली जा रही है और उसका ध्यान न दें कि जिनके लिये ली जा रही है तो मैं समझता हूं कि आपके इस क़ानून का जो मंशा है वह बिलकुल ही गलत हो जायगा। जिन लोगों के लिए भूमि ली जा रही है, बहरहाल उनको आपको सब से पहले देखना है। आमतौर से वह कौन होते हैं? आपकी म्युनिसिपैलिटी होंगी, आपकी गांव पंचायतें होंगी, गरीब आदमी होंगे, स्कूल होंगे, कालेजेज होंगे, अस्पताल होंगे जिनको सोसायटी में हमें कायम रखना है और जिनको हमें उन्नतिशील बनाना है, उन संस्थाओं के लिए हम भूमि लेते हैं। अगर हम भूमि का मुआविजा या कम्पेंसेशन इतना बढ़ा दें, जैसा कि अब तक बढ़ता हुआ चला आ रहा था, मुझे कई मिसालें मालूम हैं कि जिसमें यह हुआ कि कम्पेंसेशन की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ा दी गयी थी कि उसमें एक्वीजीशन की कार्यवाही को छोड़ देना पड़ा। मैं समझता हूं कि ऐसे एक्वीजीशन से क्या लाभ कि जिस मतलब के लिए भूमि ली जाय और जो संस्था लेने वाली हो, वह उसका पैसा ही न दे सके। हां, मैं यह मानता हूं कि जिन लोगों से ली जाय उनसे भी बिलकुल ऐसा न हो कि उनसे जबरदस्ती छीन ली जाय। एक तरीका बनाया जाय दोनों का ख्याल रखते हुए। जिनसे जमीन ली जाती है उनका भी पूर्णतया ख्याल रखा जाय और जिन लोगों के लिये ली जाती है उनका भी ख्याल रखा जाय। तो वह तरीका होगा क्या? वह कौन सा क़ानून हो सकता है जो दोनों के लिये ठीक हो? वह यह हो सकता है कि जो मार्केट वेल्यू हो, जो बाजार की कीमत हो उस जमीन की, वही कीमत उसको उस संस्था से दिलवा जाय या उस अथारिटी से दिलवाई जाय जो कि उसको एक्वायर करता है। मैं यह समझता हूं कि अगर बाजार की कीमत का ख्याल

रक्खा जाय तो इसमें न तो लेने वाले को ही कोई तकलीफ होगी और न जिससे ली जायगी उसको ही कोई तकलीफ होगी। उनको यह होगा कि यहां से आपने उनकी जमीन ले ली और उनको उसकी कीमत बाजार में जो है वह दे दी तो वह उससे फिर दूसरी जगह जाकर जमीन खरीद सकते हैं। वैसे दिक्कत तो कुछ जरूर पड़ेगी क्योंकि अगर कोई किरायेदार किसी मकान में रहता है, उसको दो चार महीने रहते हो गये वहां, और फिर उसे दूसरे मकान में जाना पड़े, चाहे वह उससे अच्छा ही क्यों न हो, फिर भी उसे दिक्कत कुछ न कुछ मालूम होती है, कुछ न कुछ कष्ट उसे होता ही है। जिससे जमीन ली जायगी उसको कष्ट तो जरूर होगा, मगर क्या करें? अगर सोसाइटी की तरक्की करनी है, उसे उन्नति करना है तो बहरहाल इन सब चीजों को तो सामने लाना ही पड़ेगा। एक को तकलीफ होगी और १०० को आराम होगा अगर इस नीयत से इस भवन में यह क़ानून लाया गया है तब तो ठीक है। मगर मुझे तो कुछ ऐसा दीखता है कि जैसे एक देहाती कहावत है कि सावन में अगर कोई अन्धा हो जाय तो उसे हरा-हरा ही दिखायी देता है। कुछ ऐसी भावनायें हो गयी हैं कि एक चश्मा चढ़ा लिया आंखों पर और उस चश्मे से ही हर चीज को देखा जाता है। मैं तो यह समझता हूं कि जिस समय हमको किसी क़ानून को बनाना हो तो हमें बिलकुल निष्पक्ष होकर बनाना चाहिये। न तो हमें जिनसे जमीन् ली जाय, उनके लिये कोई खास तौर से रियायत करनी चाहिए और न जिनके लिए जमीन लेते हैं उनके लिए कोई रियायत की बात सोचनी चाहिए। मैं तो यह समझता हूं जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसमें खास तौर से कम्पनियों का ध्यान रखा जा रहा है, कम्पनियों का ध्यान तो जो पहले क़ानून था उसके अन्दर है। मगर इसमें तो जो पब्लिक परपजेज होते हैं, वे बिलकुल साफ हैं। खास तौर से उन्हीं का ख्याल रखा गया है। इसमें उन्हीं का ख्याल रखा गया है जो गरीब हैं या जो हमारे ऐसे गांव हैं या शहर हैं कि जहां पर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से या और कारणों से हमें उसको तरक्की देनी है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर हमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये और न इसमें सेलेक्ट कमेटी की कोई आवश्यकता है। अगर कोई संशोधन इस प्रकार का उनका ह तो उसको मान लिया जायगा और उनको इस कानून को बनाये जाने देना चाहिये क्योंकि यह सोसाइटी के लाभ के लिये ही कानून है और इसमें कोई नुक्सान की चीज नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस वक्त पेश हुआ है मैं उसकी ताईद करता हूं। उसमें कुछ ऐसी खामियां भी रह गयी हैं जिनको मैं आगे बतलाऊंगा। यह विधेयक जमीन एक्वायर करने के लिये पहले की बनिस्बत सहूलियत देता है। जहां बंगले वगैरह बहुत ज्यादा हैं और बंगलों में इतनी जमीन पड़ी हुई है जोकि बिला वजह किसी काम की नहीं है और इतना ही नहीं करीब करीब दो-दो, फर्लांग, तीन-तीन, चार-चार फर्लांग और इसी लखनऊ में राजा महमूदाबाद की कोठी है जहां क़रीब-क़रीब एक मील जमीन पड़ी हुई है, तो वह जमीन इस तरह पड़ी हुई है और शहरों में खास कर गरीब लोगों के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां कि वह मकान बनवा सकें। मेरे यहां इलाहाबाद में एक लाख रुपया मेहतरों के मकान बनाने के लिये म्युनिसिपैलिटी ने रखा। लेकिन सात साल हो गये जमीन ढूंढ़ते, लेकिन जमीन नहीं मिली और वह मकान बनवा नहीं सके। तो अगर ऐसा विधेयक पास हो जाय और जो उसके अन्दर खराबी है वह साफ कर दी जाय कि य गरीब उनमें मकान भी बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट अक्वायर करके उनको दे दे। तो बहुत सी समस्या हल हो जायगी। शहरों के अन्दर एक दिक्क़त और है। बंगलों में आउट हाउसेज भी हैं जिनमें पहले नौकर लोग रहा करते थे। लेकिन अब अफसरान ज्यादा नौकर नहीं रखते बल्कि उनमें ग़रीब लोग किराये पर रहते हैं। मकान मालिक उन्हें उठा देते हैं और जो टिनेंट होता है वह अपनी तरफ से उनसे किराया वसूल करते हैं। एक-एक कोठरी का आठ-आठ दस-दस रुपया किराया लिया जाता है और वह किराया हर समय बढ़ता रहता है। यह समस्या हल हो जायगी। उन ग़रीबों के लिये जिनके पास मकान नहीं हैं और जिनके रहने का ठिकाना नहीं है। मैं इन सब बातों को

[श्री श्यामलाल]

देखते हुये ज्यादा समय आपका न लेकर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो विधेयक, आप लाये हैं उसके अन्दर यह भी जोड़ने की कोशिश करें कि गरीब लोग अपने मकान बनाने के लिये जमीन चाहें तो उनको भी गवर्नमेंट अक्वायर करके जमीन दिला सके।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा है। मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं माल मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई दूं। वस्तुस्थिति यह है कि जमीनों के अर्जन करने में इतनी कठिनाई पड़ा करती थी कि पांच पाच, छः-छः साल तक अक्वीजीशन की कार्यवाही होती रहती थी। क़रीब २२ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजमगढ़ में काम करने का मुझे तजुर्बा है। उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि ५-५, ६-६, वर्ष तक कार्यवाही हुई है और अब तक मामले पड़े हुये हैं और जमीन अक्वायर नहीं की जा सकी है। अर्जन में इतना विलम्ब हुआ करता था कि संशोधन की आवश्यकता थी। यह कानून जिस पर कि संशोधन पेश किया गया है १८६४ का बना हुआ है। तब से आज तक जमाना बदल गया है, स्थिति बदल गयी है, लेकिन कानून वही चला आ रहा है।

माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत से प्रश्न इस पर उपस्थित किये हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिये बड़े अफसोस की बात है कि मई ५२ में कमेटी बनी और कमेटी की रिपोर्ट ३० मार्च, १६५४ को प्राप्त हुई है। मैं समझता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक है। देर में काम हो और ठीक से काम हो तो अच्छा समझा जाता है। मुझे मालूम होता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को माननीय गेंदासिंह जी ने गौर से पढ़ा नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि सात बैठकें इस कमेटी की हुई हैं। तीन उप-समितियां इस कमेटी की बनी हुई थीं। तीनों ने बड़े ही परिश्रम से काम किया है। इस कमेटी ने हर बात पर विचार करके अपना निर्णय किया है।

सबसे बड़ी कठिनाई पुराने कानून में यह थी कि सब कार्यवाही करके, प्रोसीडिंग तैयार करके, दरख्वास्तें जिलाधीश को देते थे। वह यहां भेजते थे यहां आ जाने पर कितना समय लग जाता था, सचिवालय में फाइलों में पड़ी रहती थी। अब वह कानून खत्म हो रहा है। अब जिलाधीश को अधिकार दिया जा रहा है धारा ४ में जो नोटिफिकेशन होता था अब कलेक्टर किया करेगा। इससे हमको सहूलियत होगी। हमको आशा है कि सारी कार्यवाही जो लैंड अक्वीजीशन की हुआ करती थी वह आसानी से और शीघ्र से शीघ्र समाप्त होगी। मैं एक बात के लिये और माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने इस विधेयक में यह प्राविजन रक्खा है भूमि एक्वायर की जायगी 'वीकर सेक्शन' के लिये। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 'वीकर सेकशन' क्या है इसको डिफाइन कर दिया जाय। इसमें 'वीकर सेक्शन' की डेफिनीशन नहीं है। वीकर सेक्शन की डेफिनीशन अवश्य होनी चाहिये। ला कोर्ट में बाल की खाल निकाली जाती है और यह इश्यू उठ खड़ा होगा कि वीकर सेक्शन है या नहीं। एग्रिकल्चरल पर्पेजेज के लिये वीकर सेक्शन के लिये भूमि अर्जन करने का जो प्राविजन इस विधेयक में रखा गया है वह बहुत ही शोभनीय है और उसके लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वीकर सेक्शन केवल शहरों में ही नहीं देहातों में भी है जैसे हमारे हरिजन भाई हैं। उनके मकान ऐसी जगहों पर होते हैं जो बड़े इनहाइजिनिक होती हैं। मैं चाहता हूं कि इस विधयक में इस किस्म का कोई प्राविजन होना चाहिये कि उन लोगों के लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी जगह पर मकान बनाने के लिये जमीन एक्वायर की जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधयक का समर्थन करना चाहता हूं और माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय उसका विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। इसलिये कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है। प्रवर समिति

में भेज कर और समय गवाना उचित न होगा। लिहाजा इसको तुरन्त पास कर देना चाहिये। जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी दें उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह विधेयक एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। हमारे और इस सदन के दुर्भाग्य से उस कमेटी में विधान सभा का कोई सदस्य नहीं रक्खा गया। अगर इस कमेटी में विधान सभा के चुने हुये सदस्यों को लिये जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो शायद माननीय मंत्री जी की उसमें मदद ही हो सकती थी। गैर सरकारी जो दृष्टिकोण है—जिनका सम्बन्ध देहाती जीवन से होता है—वह भी इस कमेटी को उपलब्ध हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो त्रुटियां रह गयी हैं उसका एक कारण यह भी है कि सदन का कोई माननीय सदस्य इस कमेटी में नहीं रखा गया।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस कमेटी की रिपोर्ट जैसी भी माननीय मंत्री जी ने उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस विधेयक को परिवर्तित नहीं किया है, क्योंकि ऐक्ट के बदलने के बारे में जितनी सिफारिशें थीं उनमें से सात सिफारिशें नहीं मानी गईं। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जो सिफारिश थी उसको भी ठुकरा दिया गया। धारा तीन में पुराने ऐक्ट में "पब्लिक पर्पजेज" का अर्थ स्पष्ट नहीं था। उसमें यह है—

"The expression 'public purposes', includes provision of village sites in which the provincial Government shall have declared by notification in the official gazette that it is customar for the Government to make such provision."

कमेटी ने इसके सम्बन्ध में प्लांड डेवलपमेंट के लिये जो सिफारिश की थी जिसमें भूमि की आवश्यकता थी और उसको काफी विस्तृत रूप दिया गया था, उसको भी नहीं माना गया।

"The acquisition of land for purposes of planned development from public funds and subsequent disposel thereof in whole or in part by lease assignment or outright sale with the object of securing further development as planned."

लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने बिल में जहां पर प्लाण्ड डेवलपमेंट का जिकर है खंड १ के उपखंड २ में लैण्ड एक्वीजीशन करने में वहां पर केवल इतना ही जिकर किया है। न तो प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को ही माना है और न उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट की जो भावना थी उसको ही माना है और न विकास की योजना में कोई मदद दी है।

जहां तक सवाल मुआविजे का है वह भी स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में कोई घोषणा अभी तक मौर्य जी ने नहीं की है कि उन्होंने कहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट को माना है और सरकार ने न अभी तक इस बात को माना है कि हमने कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इसलिये मैं इतना कयास करने के लिये तैयार नहीं हूं जितना कि गेंदा सिंह जी कर पाये। क्योंकि हमको यह नहीं मालूम है कि कई बातें जो इस रिपोर्ट में कही गयी हैं वे संशोधन में हैं या नहीं और मालूम नहीं कि सरकार उनको कहां तक मानती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने मुआविजा देने के तरीके में क्या परिवर्तन किया है। एक बात इस कमेटी की रिपोर्ट में है कि ११ महीने के ड्युरेशन में लैंड एक्वीजीशन प्रोसिडिंग हो जायेंगी। यह शिड्यूल में दिया हुआ है कि इतना समय लगेगा। इसमें आप देखेंगे कि मुआविजे के बांटने में ३ महीने का समय लगेगा। अमलदरामद पजेशन में २ महीने का समय लगेगा। मुआविजे के स्टेटमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को तैयार करने के लिये १ महीने का समय लगेगा। तो प्रोसीडिंग के लिये जो यह ११ महीने का समय दिया गया है वह और भी कम हो सकता था। आखिर जितना भी कम से कम समय हो सकता है उसको माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार नहीं किया है और इसकी घोषणा भी नहीं की है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कितने समय के अन्दर लैंड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग को लाना चाहते हैं। एक बात और भी स्पष्ट होने के लायक है कि माननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि धारा ३३ में एक नयी धारा ऐसी जोड़ी जाय जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिसकी जमीन एक्वायर की जाय वह किसी समय दान देना चाहे तो वह दान दे दे। इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि—

"A new sub-section (5) to section 31 be added to facilitate a person interested in a land under acquisition to make a gift to the Government."

श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि प्रान्त में यह जो श्रम का आन्दोलन चल रहा है इसमें बहुत से काश्तकारों ने, गांव सभा ने या अन्य संबंधित व्यक्तियों ने सड़कों के लिये या मकान बनाने के लिये या अस्पताल के लिये भूमि दान में दी है। हमारे जिले में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे स्थानों के लिये जहां पर भूमि को दान में दिया गया है मैं समझता हूं कि एक्वीजीशन आफ लैन्ड का प्रोसीडिंग बहुत आसानी से हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि इतने बड़े श्रमदान आन्दोलन की तरफ माननीय मंत्री जी का दृष्टिपात नहीं हुआ। अगर होता तो कम से कम ऐसी लैंड का एक्वायर आसानी से हो सकता था। मुझे मालूम है कि हमारे यहां एक सड़क बनी। उस सड़क में एक एक जगह के लिये ३,३ बार एक्वायर करने की प्रोसीडिंग हुयी लेकिन कोई इस्टिमेट नहीं बन पाया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो जमीन एक्वायर की गयी थी वह निरर्थक हुई और उसकी लेने की आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आवश्यकता केवल इस एक्ट को बदलने की नहीं है, बल्कि नियमों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस विधेयक से सम्बन्धित जितने नियम हैं उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वह तभी हो सकता है जैसा कि अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह बिल प्रवर समिति को जाय। प्रवर समिति के सामने जाने से ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसकी सिफारिश इस कमेटी ने की है और जिनको इस सदन के माननीय सदस्य इस विधेयक में रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस सदन के सदस्य इस कमेटी के अन्दर नहीं थे। तो अब माननीय सदस्यों के लिये एक ही तरीका है और वह यह है कि प्रवर समिति में जाने का वह अपना सुझाव दें और विधेयक में जहां कहीं भी वे कुछ परिवर्तन करना चाहें, कर सकें। सब से बड़ी आवश्यकता १३वीं सिफारिश मंजूर होने की पूरी होगी। इसमें लिखा है—

Incorporation of other Acts—All special Acts which have become more or less of a permanent nature under which land is acquired for specific purposes may be incorporated in the Land Acquisition Act of 1894."

तो जबतक आप दूसरे विधेयकों की धाराओं को इसमें शामिल नहीं करेंगे तबतक आप एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स को जल्दी नहीं कर सकते। बिना १३वीं सिफ़ारिश को माने एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स जल्दी नहीं हो सकतीं। इसलिये यह परम आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और माननीय सदस्यों को वहां मौक़ा मिल सके इस पर विचार करने का और परिपक्व रूप में यह विधेयक फिर यहां आवे।

*श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रवर समिति को इस विधेयक के सुपुर्द किये जाने में कोई आपत्ति नहीं थी अगर उससे कोई मतलब पूरा होता। लेकिन मुझे

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आशंका है कि ऐसा न होकर और देर होगी जिसकी माननीय सदस्यों को खुद शिकायत है। उनकी और उनके समर्थकों की यह शिकायत है कि कमेटी बनी सितम्बर, सन् ५२ में और रिपोर्ट आयी डेढ़ बरस बाद। ठीक है देर हुई लेकिन वह इसलिये कि हमने बहुत गौर किया। यह जरूर है कि अफसरान उस कमेटी के मेम्बर रहे और वह परमानेंट सर्विसेज के मेम्बर हैं। वह यहां रहते हैं और उनको और भी बहुत से काम करने होते हैं। तो सब की सहूलियत से तारीखें मीटिंग्स के लिये रखी गयी थीं। कई मीटिंग हुईं और तफ़सील में हम गये जिसमें कोई सैलेक्ट कमेटी जा नहीं सकती है। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में कोई बड़ा उसूल का सवाल नहीं है। केवल आफ़ीशल प्रोसीज्योर क्या हो और कैसे जल्दी सहूलियत से एक्वायर हो जाय, उस पर विचार किया गया है। उसके लिये कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन के तजुर्बे के आदमियों की जरूरत थी। इसीलिये उसमें डिप्टी कमिश्नर लखनऊ, हमारे फायनेंस डिपार्टमेंट के अफसर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और लैंड रिफ़ार्म्स कमिश्नर वगैरह हैं। तो जिन लोगों का रोजाना इस काम से वास्ता पड़ा उनको हमने कमेटी में रखा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह---श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं यह गुजारिश कर रहा था कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस लिये बनायी कि आया लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में किसी संशोधन की जरूरत है या नहीं और अगर जरूरत है तो उसमें तथा नियमों में क्या संशोधन होने चाहिए। इसके लिये जो कमेटी मुकर्रर की गयी उसमें तीन मिनिस्टर्स थे और कुछ तजुर्बेकार राज कर्मचारी थे। माननीय गेंदासिंह जी और माननीय तिवारी जी ने यह आपत्ति उठाई थी कि उसमें लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं रक्खे गये। मेरा इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन यह है कि इसको आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि उसमें कोई उसूली बात तय नहीं करनी थी, बल्कि इस कानून को अमल में लाने में जो कठिनाइयां थीं उनकी वाकफ़ियत उन्हीं राजकर्मचारियों को अधिक रहती है और वे उन कठिनाइयों को मिटाना चाहते थे। गवर्नमेंट के भी नुमायंदे उसमें शामिल थे। उन्होंने वह रिपोर्ट दी। गेंदासिंह जी का तो कहना यह है कि इस कानून के तरमीम की जरूरत ही नहीं है। जब वे इस राय पर आ चुके हैं तो फिर प्रवर समिति में उसके भेजने की क्या आवश्यकता है, जब राय कायम हो ही चुकी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्रवर समिति में उसके भेजे जाने की क्य आवश्यकता है। फिर भी उनसे सहमत नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि कानून में तरमीम कीआवश्य कता है, अगर्चे कि वह बहुत थोड़ी है। जिस चीज को वह लाल फीता या देरी का कारण कहते हैं तो लाल फीते का मतलब केवल इतना है कि नियमों की पाबंदी की जाय और उसमें देरी होती है। जहां जहां भी अदालतों का गवर्नमेंट के कामों पर टीका करने का अधिकार होता है, जनतंत्र होता है, व्यक्तिगत अधिकारों का मान होता है, वहां अधिनियम बनाये जाते हैं, उनके मातहत नियम बनाये जाते हैं, तथा उनके मातहत हिदायतें निकलती हैं। किसी काम को कायदे के साथ करने की कोशिश की जाती है उसी कारण देरी होती है, इसी को आप लाल फीता कहते हैं। इससे मैं इंकार नहीं करता कि कहीं नियमों के पालन करते हुये भी जल्दी हो सकती थी और जल्दी नहीं की गई, ऐसी बातें भी होती हैं। ऐसी सूरत में माननीय गेंदासिंह जी के सुझाव का स्वागत करता हूं कि अगर ऐसी गलती कहीं होती है तो गवर्नमेंट को चाहिये कि वह ऐसी देर न होने दे। और उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। लेकिन इस कानून में संशोधन की आवश्यकता थी। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की दफा ४ में यह नोटिफिकेशन होता था कि "उस भूमि के किसी सार्वजनिक काम के लिये जरूरत होने की संभावना है"। इस नोटिफिकेशन को भी आज कल के कानून के अनुसार गवर्नमेंट ही करती थी और उसके बाद धारा ५ (ए) के तहत ऐतराजात होते थे। फिर दफा ६ के मुताबिक यह नोटिफिकेशन होता था "नाउ दी लैंड इज नीडेड फार पब्लिक परपजेज।"

[श्री चरणसिंह]

अब उस जमीन को वाकई में सार्वजनिक काम के लिए आवश्यकता है। तो हमने यह तय कर दिया है, जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वह यह है कि जमीन की किसी सार्वजनिक कार्य के लिये आवश्यकता की संभावना है, यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर दे और वाकई आवश्यकता है किसी सार्वजनिक कार्य के लिये, किसी पब्लिक परपज के लिये तो यह गवर्नमेंट तय करे। तो जहां तक दो तीन महीने की बात है। कोई कम्पनी या कोई आदमी दरख्वास्त दे, एक आदमी के लिए तो कोई जमीन एक्वायर की ही नहीं जा सकती मगर कम्पनी के लिये की जा सकती है और कम्पनी कानूनी तौर से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड हो, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के मातहत कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो तो वह भी उसमें शामिल है, कारखाने तो शामिल हैं ही, लेकिन कोई स्कूल हो, अनाथालय हो, कोई अस्पताल खोलना चाहे तो ये सब कोआपरेटिव सोसाइटीज या कम्पनी के डेफनिशन के अन्दर आते हैं। उस स्कूल या अस्पताल के लिए या अनाथालय के लिये या कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले कलेक्टर के यहां जांय और कलेक्टर साहब फिर खुद उसकी प्रिलिमिनरी इनक्वायरी करें, क्योंकि इनक्वायरी तो करेंगे ही फिर गवर्नमेंट को लिखें और फिर गवर्नमेंट से भी क्वेरी होगी। इस तरह से चार छः महीने तक बात लटक जायगी। इन्हीं सब बातों पर विचार करके इसमें संशोधन की जरूरत महसूस हुई और इस संशोधन की मंशा यही है कि पब्लिक परपज के लिए इसकी जरूरत की संभावना हो तो कलेक्टर तय करे और वाकई इसकी जरूरत हो तो जैसा कि दफा ६ में दिया हुआ है गवर्नमेंट ने इस अधिकार को अपने हाथ में रखा है, ताकि तीन चार महीने की जो देर हुआ करती थी वह नहीं हुआ करेगी। इस तरह से हम इस संशोधन को कर रहे हैं। मैं उन सब संशोधनों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे सहयोगी श्री द्वारका प्रसाद जी ने उन सब को बतला दिया है।

मैं सिर्फ दो चार बातें इस सिलसिले में बतलाना चाहता हूं। यह कहा गया है कि कम्पेनसेशन बहुत कम है। अब इसके लिए मैं क्या कहूं। माननीय गेंदासिंह जी ने एक नथुने से तो गरम हवा निकाली है और एक नथुने से ठन्डी हवा निकाली है। उसका जवाब माननीय बलवन्त सिंह जी दे चुके हैं, लेकिन जहां तक कम्पेनसेशन की बात है मेरी समझ में वह कम है नहीं। जहां भूमिधर की बात है वहां उनको ऐसा लगता है जैसे बैल लाल चिथड़े को देखकर चमक जाता है। तो जहां भूमिधर का नाम आता है वहां माननीय गेंदासिंह जी चमके जरूर, लेकिन बाद में उन्होंने चमकना बन्द कर दिया, जबकि उन्होंने यह महसूस कर लिया कि जब वह दसगुना दाखिल करता है तो उसे चालीस गुना मिलने में कोई हर्ज नहीं है। जहां तक अधिवासी को भूमि देने की बात है उसका तो कोई अधिकार उस भूमि पर नहीं है। जो असमर्थ हैं, नाबालिग हैं, बेवा हैं उनकी जमीन उसके पास है और वह असमर्थ होने पर भी अपनी जमीन खुद खेती करने के लिये लेना चाहे तो ले सकता है। वह बेचारा तो एक साल के लिये है इसके लिये उसे मुआविजा दे दिया गया है। इसलिये नहीं कि उसकी असमर्थता दूर हो जाय, या बालिग हो जाय या साउंड माइंड का हो जाय तभी वह जमीन से बेदखल करा सकता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय गेंदा सिंह जी को इतना कानून तो जरूर मालूम होगा कि जो असमर्थ लोग हैं, जो खुद खेती नहीं कर सकते हैं, उनकी जमीन पर एक साल तक अधिवासी का कब्जा जरूर रहेगा, तो उसका जितना हर्ज होगा उसका मुआविजा दे दिया गया है। अधिवासी का राइट तो पार्टिंग फेज है। उसके बारे में क्या निश्चय होगा, बहुत मुमकिन है कि इस सिलसिले में सदन के सामने बहुत जल्द कोई प्रस्ताव आये लेकिन अब तक जो अधिवासी के अधिकार हैं वे पक्के नहीं कहे जा सकते। इसलिये मुआवजे का अधिकार नहीं उठता।

यह भी कहा गया कि जिन लोगों की जमीन ली जाय उनके लिये कोई इन्तजाम किया जाय मैं भी इस विचार से सहमत हूं कि सरकार को चाहिये कि जहां तक हो सके ऐसे लोगों को जो बिल कुल बेजमीन हो गये हों, या जिनकी तमाम जमीन लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत ले ली गई हो किसी सार्वजनिक कार्य के लिये कहीं न कहीं जमीन देने का इन्तजाम करे। यह हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये। वैसे गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करती है। बहुत से मामले हमारे सामने आते

हैं अक्सर लोगों की जमीन बिलकुल ले ली जाती है । अभी देहरादून में कालसी डेयरी फार्म के लिये जमीन ली गई तो उन लोगों को जिनकी आधी या आधी से अधिक जमीन ली गई थी उनसे हमने कहा कि आपको मुआवजा पूरा मिलेगा और उसके साथ-साथ उनकी जितनी जमीन ली गई है उसका दुगुना रकबा तराई में मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे आदमियों का भाविष्य अन्धकार में हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं रह जाता है । लेकिन चूंकि जमीन तो हमें लेनी ही थी क्योंकि स्कूल, अस्पताल या डेरीफार्म वगैरह हवा में तो बन नहीं सकते, इसलिये जमीन तो किसी न किसी की लेनी ही पड़ेगी और किसी न किसी को तकलीफ भी जरूर होगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है। आज तो ठीक है गवर्नमेंट के पास तराई में ७० हजार एकड़ जमीन है और बहुत सी जमीन खाली हो जायगी और हम उसे ऐसे लोगों को आफर कर सकते हैं लेकिन ५ साल बाद अगर यह जमीन न रहे तो क्या सरकार को माननीय गेंदासिंह कोई तदबीर बता सकते हैं कि उस वक्त जमीन कहां से आयेगी । अगर हम कानून में लाजमी कर देते हैं तो कहीं न कहीं से आपको पहले जमीन का इन्तजाम उनके लिये करना होगा और आपके यह अस्पताल लटके ही रह जायंगे । इसलिये हम इस चीज को कानून का रूप नहीं दे सकते ।

श्री व्रजविहारी मिश्र ने कहा था कि मकान बनाने के लिये जमीन एक्वायर करने का भी प्रबन्ध होना चाहिए । पहली बात तो यह है कि जो संशोधन विधेयक है उसमें भी जो नई उपधारा (एफ) (२) लाई गई है उसमें है "the laying out of village sites, townships or the extension, planned development or improvement of existing village sites or townships." तो आबादी वगैरह के लिये या किसी पब्लिक परपज के लिये मकान चाहिये तो उसका इन्तजाम इसमें है, लेकिन अगर एक या दो आदमियों की जरूरत है, उसके लिये भी गवर्नमेंट ले यह ठीक नहीं है। और मुमकिन भी नहीं है । किसी योजना के साथ अगर कोई आबादी वगैरह बनानी है तो उसके लिये इसमें प्राविजन है कि "लेइंग आउट आफ विलेज साइट्स" के लिये एक्वीजिशन हो सकता है । दस बीस लोग चाहते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हो सकता है । बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई रहने की बड़ी तकलीफ है, खानदान बढ़ता जाता है तो उस झोपड़ी में कहां तक गुंजाइश बढ़ सकती है । इसीलिए हमने गांव समाज मैनुअल में भूमि प्रबन्धक कमेटी को अधिकार दिया है कि वह अगर चाहे तो किसी को मुफ्त जमीन दे सकती है अगर उनके पास जमीन है । अगर जमीन कम है तो नीलाम की जायगी और जिनके पास जमीन है उनके मुकाबिले पर लैंडलेस लोगों को बोली से २५ प्रतिशत कम पर मिल सकेगी । कांस्टीट्यूशनली हमको मजबूरी थी कि अगर एक चीज को दो आदमी चाहें तो एक को तो मुफ्त दे दें और दूसरे से पैसा लें । यह कर सकते हैं कि दूसरे के मुकाबिले में कुछ कम में दे दें । वैसे अगर जमीन काफी है तो वह बंजर अपनी उठा दें जितनी दे सकता है । इसमें फल यह भी मालूम हुआ मेरे एक दोस्त ने बतलाया कि उन के जिले में उस हिस्से में जहां से वे चुन कर आय बंजर भूमि नहीं है । हो सकता है अगर्चे ऐसे गांव बहुत कम होंगे लेकिन अगर ऐसे हैं तो चकबन्दी का कानून बना हुआ है । उसमें लाजिमी नहीं है कि अनकल्टीवेटेड लैंड ही आबादी के लिये रखे जांय । अगर ३ हजार एकड़ के रकबे में से ५० एकड़ का रकबा वसावत के लिये छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है । बाकी कोई स्कीम है। इससे एक्वायर कर सकते हैं १०, २० आदमी चाहें तो कोआपरेटिव, सोसाइटी बना सकते हैं । इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अतिरिक्त एक सज्जन ने कहा कि "वोकर सक्शन आफ दी पीपुल" का जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया गया है उसमें कोई अदालत कुछ तय करे और कोई अदालत कुछ तय करे कि कौन वोकर सैक्शन में आता है यह आशंका है । लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है । पहली बात तो यह है कि बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके माने सभी समझते हैं । जैसे "नारायणदत्त जी" के यहां कुमायूं में सीरतान उसको सभी लोग समझते हैं कि क्या है । अब सीरतान को डिफाइन किया जाय और उसके डिफनीशन में कोई लफ्ज आयें तो उसको डिफाइन किया जाय तो यह ऐसी अमेंडिंग चेन हो जायगी जिसका अन्त नहीं होगा । इसलिये

[श्री चरणसिंह]

बोफर शेक्शन को सब समझते हैं लेकिन जो न भी समझते हों तो धीरे धीरे उनकी समझ में आ जायगा कि जिसके पास जमीन नहीं है या इतनी कम जमीन है या ज्यों ज्यों हमारी फ्रेजियालोजी और टर्मिनालोजी में यह घुसता जायगा। लोग अपने आप समझते जायेंगे। इसके अलावा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वह यों हीं अधाधुंध नहीं है बल्कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ४६ में यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मैं आपकी इजाजत से वह अंग्रेजी है उसको पढ़ना चाहता हूं——

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular of the Schedule Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

[राज्य जनता के दुर्बलता विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।]

तो यहां यह लफ्ज लिखा है तो इंटरप्रिटेशन की नौबत नहीं आयेगी और अगर आयेगी तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होगा हमारी अदालतों की नौबत नहीं आयेगी लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि कि इंटरप्रिटेशन की नौबत नहीं आयेगी क्योंकि जहां तक लैंड एक्वीजिशन का ताल्लुक है इसमें लिखा है कि जहांतक पब्लिक परपजेज की चीज है उसमें डिस्प्यूट नहीं हो सकता और उसमें गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल है। इसके लिये माननीय सदस्यों का ध्यान धारा ६ के डिक्लेरेशन और उसकी उपधारा तीन की तरफ आकर्षित करूंगा। धारा ६ में डिक्लेरेशन इस प्रकार है——

"That any particular land is needed for a public purpose."

और उपधारा तीन में इसी डिक्लेरेशन को कहा गया है कि——

"Such declaration shall be conclusive evidence that the land is needed for a public purpose."

तो कोर्ट में जाने का सवाल नहीं आता है। हम अगर यह कर दें कि वीकर सेक्शन में लैंडलेस होंगे या जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन होगी वे होंगे तो वीकर सेक्शन के लिये इसका गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। आगे चलकर लुहार, कुम्हार सबको वीकर सेक्शन कर दे तो इसमें कोई वेगनेस नहीं है और किसी साहब को समझ में आता भी हो तो वह सेक्शन ६ (३) के मुताबिक कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है और अगर माननीय गेंदासिंह जो हमारे साथ मेहरबानी करें कि यह आज ही पास हो जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि अभी दो बिल और पेश करने को हैं और उनको भी पास कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

अधिष्ठाता——राजनारायण जी क्या आप बोलना चाहते हैं? आपको बोलने का कोई राइट तो है नहीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——श्रीमन्, इस विधेयक को माननीय मौर्य जी ने मूव किया था इस लिये मैं समझता था माननीय मौर्य जी ही अन्तिम जबाब देंगे। उस समय जबकि माननीय राजस्व मंत्री जी बोले नहीं थे हम और माननीय राजस्व मंत्री जी दोनों उठे थे। इसके पहले भी जब माननीय नारायणदत्त जी बोल रहे थे तब भी राजस्व मंत्री जी बोलने के लिये उत्सुक थे इस लिये मैंने सोचा कि अन्तिम रिप्लाई मौर्य जी देंगे इसलिये मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा। श्रीमन्, यह एक बहुत ही अहम सवाल है और अगर आप थोड़ा सा मौका दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

अधिष्ठाता—जैसा कि डेफनीशन में दिया हुआ है—

'Minister' means a member of the Council of Ministers and includes any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules ; तो उसमें माननीय द्वारकाप्रसाद जी भी आ जाते हैं लेकिन अब आपको बोलने का कोई राइट नहीं है मगर मैं आपको as a special case १५ मिनट दे सकता हूं।

श्री चरणसिंह—क्या आपने as a special case बोलने का आज्ञा देदी ?

अधिष्ठाता—जी हां ।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा आपको धन्यवाद देते हुये, जहां आपने मुझे as a special case बोलने की इजाजत दी है वहां माननीय मौर्य जी को भी कुछ समय दे दीजियेगा ताकि उनको भी जो कुछ जबाव देना हो दे देवें । उनको समय दिलाने के लिये मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं ।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने जो इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है उसका इस सदन में हमारे जिन जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया अपने भाषण में, मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी परम्परा बना ली है जो कुछ भी विरोधी दल की ओर से प्रस्ताव किये जांय उनको अनावश्यक और असंगत करार दे करके ही उनके औचित्य पर न जायं । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस तीन पन्ने कि विधेयक में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि यदि उनको समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाय तो हमारे समाज का सारे का सारा सोशल स्ट्रक्चर चेन्ज हो सकता है (सामाजिक ढांचा बदल जाता है)। हमारी कुछ बदकिस्मती है कि हम जो कोई भी विधेयक माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये प्रस्तुत करते हैं उसे माननीय चरणसिंह जी निजी तौर पर ले लेते हैं लेकिन मैं उनके सामने माननीय राजस्व मंत्री जी के लिहाज से प्रस्तुत करता हूं । श्रीमन्, मेरे दिल में माननीय चरणसिंह जी का बड़ा आदर है ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो अनुसूची धारा २ है उसमें खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । श्रीमन्, अगर देखा जाय तो कितने गूढ़ शब्द निकलते हैं—

"Expression 'public purpose' includes provision for or in connection with sanitary improvements of any kind including reclamation laying out of village sites, townships or the extension, planned development or improvement of existing village site of town-ship, the settlement of land for agriculture with the weaker section of the people."

श्रीमन्, यह विधेयक जमीन लेने का है । अगर माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे दृष्टिकोण से इस विधेयक को कार्यान्वित करें तो इसमें जिन लोगों के पास सरप्लस जमीन है और जिन लोगों के पास अतिरिक्त जमीन है, उन तमाम जमीनों को अक्वायर करके हम ऐसे लोगों में बांट सकते हैं, जिनके पास आज जमीन नहीं है, जिनके पास आज जमीन कम है, और जो आज अपनी जीवन की बुनियादी जरूरत की चीजों को पा सकने में असमर्थ हैं । तो इतना बड़ा विधेयक आज जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, इस विधेयक को जो माननीय सदस्य यह कह करके कि तीन पेज का विधेयक है सिलेक्ट कमेटी में जाने से क्या फायदा, माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वतः, श्रीमन्, हमारे उन माननीय सदस्यों के विचार का खंडन किया है जो इसको छोटा सा विधेयक मानते हैं । माननीय राजस्व मंत्री ने खुद यहां पर बताया कि जो डेढ़ साल का समय इस नन्हें से विधेयक को प्रस्तुत करने में लगा वह बहुत ही विचारों के आदान प्रदान में व्यतीत हुआ । तो उन सम्मानित सदस्यों से जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, जिनकी काफी अवस्था है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और बहुत सी कमेटियों के न मालूम कितने समय से मेम्बरान रह चुके हैं, उन लोगों से मेरा यह निवेदन है कि वह केवल

[श्री राजनारायण]

एक पन्ना का विधेयक है, दो पन्ना का विधेयक है, तीन पन्ना का विधेयक है, इसीसे उस विधेयक के महत्वपूर्ण होने या न होने का फैसला न कर दिया करें। श्रीमन्, बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न इस सदन में समय समय पर उठा करता है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि उनको इस चेंज की कोई जरूरत ही नहीं है, यह मैं समझता हूं कि वह ज्यादती कर रहे हैं। माननीय गेंदासिंह जी ने कभी यह नहीं कहा कि उनको लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में परिवर्तन की जरूरत है। अगर माननीय गेंदासिंह जी किसी परिवर्तन की जरूरत न समझते तो वह इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव ही नहीं करते बल्कि यह कहते कि यह निकम्मा बिल है और मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी दूसरे की जीभ को अपने मुंह में रख लिया करते हैं और दूसरे का न कही हुयी बात को खुद अपने से कहते हैं और दूसरे का जवाब खुद दे देते हैं ताकि इस सदन के लोग यह समझें कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कितनी खूबी के साथ इसका उत्तर दे दिया। तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कुछ ज्ञान का अर्जन किया है, जो कुछ टोटल सम आफ ह्यूमेन नालेज अक्वायर किया है अपने जीवन में, माननीय राजस्व मंत्री जी उसका सदुपयोग करें, केवल तर्क के लिये तर्क देकर इस सदन में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि जिससे ट्रेजरी बेंचेज के लोग यह समझ सकें कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो कह रहे हैं वही वस्तु स्थिति है ऐसी बात न करें। मैं कहता हूं, श्रीमन्, कि यदि केवल टेक्निकैलिटी को दूर करने की बात थी तो एक नहीं अनेक उदाहरण मैं आपकी इजाजत से इस सदन में रख सकता हूं जहां पर कि २,२ हजार एकड़ जमीन किसानों की ले ली गयी है और एक महीने के नोटिस के अन्दर ले ली गयी है और माननीय द्वारकाप्रसाद जी मौर्य स्वतः उसकी जानकारी में हैं। अदलपुरा, मिर्जापुर जिसके सत्याग्रह के सिलसिले में भी जेल हो आया हूं जो कि जमीन बाद में दी गयी, वहां के लिये गवर्नमेंट ने नोटिस निकाली और एक महीने के अन्दर दो हजार एकड़ जमीन ले ली गयी और फिर १,३०० एकड़ जमीन छोड़ी गई। यहां पर स्पेशल मेजर में लिखा हुआ है अगर लैंड अक्वीजीशन ऐक्ट की १७ धारा को पढ़ें--

"In case of urgency whenever the Provincial Government so directs the Collector though no such award has been made may on the expiration of 15 days from the publication of notice mentioned in section 9 sub-section(1) take possession of any waste or arrable land needed for public purposes or for a company. Such land shall thereupon vest absolutely in the Crown."

श्रीमन्, इस तरीके से इमर्जेंसी के लिये आगे यह है कि जहां पर कहीं बाढ़ आजाय, कहीं पर रेलवे लाइन हो और वह बह जाय, तो ऐसी चीजों के लिये यह मेजर रखा गया है। पुराने ऐक्ट में किसी कार्यवाही के करने में जो बिलम्ब होता था उसी टेक्निकैलिटी को दूर करने की बात अगर माननीय राजस्व मंत्री जी करते हैं तो हम इसके लिये सही समझते हैं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी मे भेजने की जरूरत नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी का केवल इतना कहना कि लैंड अक्वीजीशन की कार्यवाही होने में विलम्ब होती है, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, और उसी बिलम्ब मात्र को दूर करने की बात माननीय राजस्व मंत्री जी कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अगर विधेयक में इतनी ही बात होती तो माननीय गेंदासिंह जी, इतनी सूझ बूझ वाले व्यक्ति इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात नहीं करते। मगर यह तीर कहीं दूसरी जगह जा रहा है। इस विधेयक में नमालूम कितने तीर निकलते हैं और उसमें हमें डर है, श्रीमन् कि जो वीकर सेक्शन आफ दी पीपुल है वह परेशान किया जा सकता है। इसलिये हमें जरूरत है माननीय राजस्व मंत्री के दृष्टिकोण को समझने को और अपने दृष्टिकोण को माननीय राजस्व मंत्री को समझाने की। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए माननीय गेंदा-

सिंह जी ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का प्रस्ताव रखा है । क्या मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह जान सकता हूं कि जब सदन यह कहता है कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में न जाय तो इस सदन के सदस्य खुद अपने प्रति अन्याय नहीं करते हैं ? इतना बड़ा विधेयक जिसका उत्तर प्रदेश के ९० फीसदी रहने वालों से ताल्लुक है उस विधेयक पर अगर सेलेक्ट कमेटी में विचार नहीं किया जायगा तो फिर किस विधेयक पर सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जायगा । श्रीमन्, हमें बड़ा ताज्जुब होता है जबकी बार बार माननीय राजस्व मत्री जी कम्पेन्सेशन की बात कहते हैं कि लाल ही दिखाई पड़ता है । लाल दिखाई नहीं पड़ता है । जो वस्तुस्थिति है उस वस्तुस्थिति को हम ज्यों का त्यों देखते हैं । वस्तुस्थिति को उल्टा रख कर उसको सही दिखाने की कला हमने सीखी नहीं है । इस कला में रंगत माननीय राजस्व मंत्री जी ही इस सदन में वस्तुस्थिति को उल्टा रख कर उसको सही दिखाने के लिये बार-बार सदन में अपने विधेयक को पेश करते हैं ।

श्री चरणसिंह—आप ही सही को गलत करके दिखलाइये न !

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं समझता था कि शायद कोई ऐसी बात माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि हमको कुछ जानकारी होगी वर्ना मैं फ्लोर ईल्ड न करता (बैठता न) तो मैं यह निवेदन कर रहा था श्रीमन्, कि जरा कम्पेन्सेशन की धारा को पढ़ा जाय । यह सही है और माननीय राजस्व मंत्री जी को भी अब इस समय कम से कम इसे स्वीकार करना चाहिये कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक आया, हमारे एक सम्मानित सदस्य ने यहां पर कह दिया कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक को मान्यता तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अब उस पर इस सदन में क्या बात होती है । ठीक है, हम भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी मगर मान्यता दे देने मात्र से ही कोई विधेयक जन कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता । केवल जन कल्याणकारी विधेयक मात्र नाम दे देने से ही कोई विधेयक जन कल्याणकारी नहीं हो जाता । हम चाहते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको जरा समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से मान्यता दी है तब से कितनी बार जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुये, तीन-चार बार और हमें यक़ीन है कि अभी और संशोधन विधेयक जमींदारी उन्मूलन विधेयक में इस सदन में प्रस्तुत होंगे क्योंकि जिस बात को हम आज कहते हैं मंत्री जी पांच वर्ष बाद उसकी सत्यता समझते हैं । कुछ ऐसा लगता है कि अगर हमारे कंट्री (देश) का पोलिटिकल डेवलपमेंट (राजनीतिक प्रगति) देखा जाय तो अपने देश के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां कि लोग १५ वर्ष, १० वर्ष और ५ वर्ष पोलिटिकली बैकवर्ड हैं । तो जिस बात को हम आज कहेंगे उस बात को माननीय राजस्व मंत्री जी चार वर्ष के बाद समझेंगे और यही हमारे और राजस्व मंत्री में भेद है । जब जमींदारी उन्मूलन पेश हुआ उस समय जितनी बातें हमने कहीं उन्होंने उनको उस समय नहीं माना । दस गुना लगान का जब नियम बनाया तो हमने यह बात बार-बार कहीं कि दस गुना मत लें । न पब्लिक के पास रुपया है, नहीं नोटों के बन्डल मूस कुतर रहे हैं और दीमक चाट रहे हैं मगर माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि नहीं, १७२ करोड़ रुपया हम तीन महीने में ले लेंगे । दो वर्ष के बाद यह बात उनकी समझ में आयी कि अगर देहात का कुल रुपया भी ले लिया जाय तो भी पूरा नहीं होगा । इसलिये मैं कहता हूं कि यह विधेयक बहुत अहम है । जमीन जब हम एक्वायर कर रहे हैं और फार ऐग्रीकल्चर परपजेज एक्वायर (खेती के काम के लिये ले रहे हैं) कर रहे हैं तो अगर सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर और माननीय मिश्रा जी जो रईसे आजमगढ़ हैं वे बैठ कर विचार करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि वीकर सेक्शन की डफनीशन कर देना बहुत जरूरी है तो कौन सा हर्ज है । कहीं कहीं पर वीकर सेक्शन में महिलाओं को भी माना गया है और कांस्टीट्यूशन की जिस धारा का माननीय राजस्व मंत्री जी ने पढ़ा अगर उसको देखा जाय तो वीकर सेक्शन का अर्थ स्पष्ट नहीं है । वीकर सेक्श और वीकर सेक्शन के अर्थ समझने में गल्ती कर रहे हैं । वीकर सेक्श वीकर सेक्शन में ही आ जाता है ।

अधिष्ठाता—आपका समय बहुत थोड़ा रह गया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जो तर्क माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेजे जाने का, वह तर्क उल्टा है और अशान्ति पैदा करने वाला है । अगर यह मान लिया जायगा तो मैं दावे से कह सकता हूं अधिष्ठाता महोदय, कहीं आप नोट कर लें क्योंकि असेम्बली प्रोसीडिंग्स में शायद आपको भी न मिले । इसके बारे में राजस्व मंत्री जी कम्पेल (वाध्य) होंगे फिर से एक संशोधन लाने के लिये, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब एक विधेयक प्रस्तुत है, सदन एक कमेटी बना ले और हम देरी नहीं करना चाहते हैं । जो बीच में गैप है उसी में बैठकर इस पर विचार कर लें ताकि इसमें देरी न हो विलम्ब न हो, और इस आदरणीय सदन में जो भिन्न-भिन्न खित्ते के और भिन्न-भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनको उसमें रख लें और एक कंसालिडेटेड सर्वांगीण रिपोर्ट पेश करें और उसको समझ लिया जाय ।

हमें विश्वास है श्रीमन्, क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी काफी मेहनत करके जब समझ जाते हैं तो मजबूती के साथ समझते हैं । सिलेक्ट कमेटी में हमें काफी मौका भी मिलेगा और राजस्व मंत्री हमारी इस बात को मानेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हठवादिता का आदर्श नहीं होना चाहिय । हठवादिता अगर नहीं है तो इतना तर्क प्रस्तुत करने के बाद जहां पर कम्पेन्सेशन का मामला है उसको हमने छोड़ दिया है । उसको जरा पढ़ लें, श्रीमन् रिपोर्ट में जो कम्पेन्सेशन का क्लाज है उसमें और जो यहां पर ४० गुना, २० गुना और ५ गुना, भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और आसामी की जो यह व्यवस्था थी उसको माननीय मौर्य जी समझें । चार वर्ण इस लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में हैं और उसके मुताबिक कम्पेन्सेशन देने की बात है । अगर तमाम जमीन एक्वायर कर ली जायगी तो वह कैसे बांटी जायेगी । वह लैंडलेस लेबर को बांटी जानी चाहिये यानी जिनके पास जमीन नहीं है उन खेतीहर मजदूरों को पहले जमीन दी जानी चाहिये । माननीय राजस्व मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं तो उनके लिये सुप्रीम कोर्ट जाना आसान है लेकिन हमारे ऐसे गरीबों के लिये आसान नहीं है । जमीन और आकाश एक करने पर भी हम नहीं जा पाते हैं । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि राजस्व मंत्री जरा गम्भीरता से विचार करें । ऐसी गम्भीर बातें इसमें हैं जो ९० प्रतिशत पापूलेशन (आबादी) से संबंधित हैं । इन तमाम बातों को सिलेक्ट कमेटी में ले जायं और ऐसी डेफिनिट (निश्चित) चीज करें जिससे हर आदमी समझे कि न्याय हो रहा है ।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, कई बार यह जिक्र आ चुका है कि मैंने यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर १८० करोड़ रुपया किसान दाखिल कर देंगे । मैं आज आपके जरिये माननीय राज नारायण जी से और सब साथियों से यह कहना चाहता हूं कि कहीं वह, मेरा बयान दिखा दें तो मैं कल से दाढ़ी रख लूं, यह गलत काम मैं भी करूंगा ।

(हंसी)

यह मेरा चैलेन्ज है । वह इसको स्वीकार कर लें ।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात.....

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि वह दाढ़ी रखा लेंगे, तो क्या दाढ़ी रखा लेने में कोई सिद्धान्त सन्निहित है ?

श्री चरणसिंह---मैंने तो यह कहा कि मैं यहां तक जाने के लिए तैयार हूं उनका साथ निभाने के लिये ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात उन्होंने यह कही कि साहब, यह वीकर सेक्शन आफ दी पीपल लफ्ज जो है जो कि कांस्टीट्यूशन की धारा ४६ में मैंने पढ़ी उसमें है, तो उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब ही है लेकिन उन्होंने मुझे मश्विरा दिया है कि अगर और आगेको पढ़ेंगे तो उसमें महिला भी आ जायेंगी । तो मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि यह जो शब्द 'सेक्शन, है यह 'सेक्स' से नहीं बना है । उन्हें यह ख्याल होगा कि "वीकर सेक्स" है । तो यह वीकर सेक्स नहीं है । वह तो वीकर सेक्शन है साहब और उसमें महिलायें कहीं नहीं आती हैं ।

मैं पढ़ कर सुनाता हूं आर्टिकल ४६ को। यह है, आप लोग गौर करें—

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

[राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।]

इसमें ढूंढने से भी वीकर सेक्स नहीं दिखायी दे रहा है। तीसरी बात यह है..... तीसरी बात कोई है ही नहीं।

श्री राजनारायण—मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीने नहीं ६ हफ्ते की बात कही। अगर माननीय चरण सिंह जी मूंछ मुड़वाने की बात कह दें तो मैं एक नहीं १० बार साबित करने के लिये तैयार हूं। जबकि हमने रिटिन मेमोरेन्डम दिया है तो ६ हफ्ते की बात श्री चरण सिंह की सरकार ने कही है। यह तो उनके (राजस्व मंत्री) के दिमाग का दिवालियापन प्रगट करता है। इसलिए अगर सदन में मूंछ मुड़वा देने की बात करें तो मैं १० मर्तबा कहने के लिये तैयार हूं।

कुछ सदस्य—वापस लें, वापस कीजिये।

श्री चरणसिंह—मैं जरा जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। आप जरा गुस्से में हो गये। मैं सुन नहीं सका।

अधिष्ठाता—आपने दाढ़ी की बात कही उन्होंने मूंछ की बात कही। और कोई बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि लैंड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि लैन्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय:

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (जिसको यहां पर आगे चलकर ऐक्ट १,१८९४ मूल अधिनियम कहा जायगा) जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी का, जहां तक उत्तर प्रवृत्ति का एवं संघ (union) के प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये प्रदेश में उसकी भूमि के अर्जन (acquisition) से उसका संबंध है, अनुसूची में निर्दिष्ट प्रवृत्ति का संबंध संशोधनों के अधीन, प्रभावशील होगा। है, संशोधन।

अधिष्ठाता—खंड २ पर संशोधन कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं आपके सामने खंड २ प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—एक आपकी व्यवस्था में जानना चाहता हूं। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने किसी पार्टी को नहीं किसी व्यक्ति को कहा कि यह दिमाग का दिवालियापन है। क्या आप इसको पार्लियामेंट्री समझते हैं? और मैं आपसे प्रार्थना

[श्री रामनरेश शुक्ल]

करता हूं कि अगर आप इसको पार्लियामेंट्री शब्द नहीं समझते हैं तो कृपया इसको एक्सपंज आउट करने के लिये आज्ञा दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर का वक्त अब कोई है नहीं। वह बात तो अब खत्म हो गई। उसके बाद बहुत सी बातें हो गईं। तो अब इसका समय तो रहा नहीं।

अधिष्ठाता—अब उस बात को फिर उठाना तो मैं जरा उचित नहीं समझता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल—आपका ध्यान किसी भी समय जो प्रोसीडिंग है उसको एक्सपंज आउट करने के लिये दिलाया जा सकता है।

अधिष्ठाता—तो इसके लिये आप स्पीकर महोदय के पास दरख्वास्त लिखकर दे दें कि इस प्रोसीडिंग में से यह एक्सपंज आउट कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर आप आज्ञा दें तो मैं साफ कर दूं।

अधिष्ठाता—नहीं-नहीं, आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। उससे और स्थिति खराब होगी।

खंड ३

अपवाद।

३—धारा २ में किसी बात के होते हुये भी, मूल अधिनियम की धारा २३, भूमि के किसी अर्जन के संबंध में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले उक्त अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार किया गया हो, इस प्रकार की भावना होगी, मानो उसकी उपधारा (२) निकाल दी गयी थी।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में आये हुये शब्द "निकाल दी" के स्थान पर "नहीं निकाली" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुवाद में कुछ गलती हो गयी है। अंग्रेजी का जो विधेयक है उसमें जो शब्द आये हुये हैं उनका अर्थ लगाने में गलती कर दी गई है। "निकाल दी" रख दिया गया है। उसके स्थान पर "नहीं निकाली" होना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के अन्त में आये हुये शब्द "निकाल दी" के स्थान पर शब्द "नहीं निकाली" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

(धारा २)

लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ का संशोधन—

ऐक्ट १, १८९४ की धारा ३ का संशोधन।

१—लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ में—

(१) खंड (f) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(f) the expression "public purpose" includes provision for or in connexion with—

(i) sanitary improvements of any kind, including reclamation ;
(ii) the laying out of village sites, townships or the extension, planned development or improvement of existing village sites or townships ;
(iii) the settlement of land for agriculture with the weaker section of the people ; and" ; और

(२) खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (h) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(*h*) "Land Reforms Commissioner" means the Land Reforms Commissioner appointed by the State Government."

२—मूल अधिनियम की धारा ४ में

(१) उपधारा (१) में शब्द "Government" के पश्चात् शब्द "or Collector" जोड़ दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) में शब्द such Government के पश्चात् शब्द "or Collector" जोड़ दिये जायं। ऐक्ट १, १८९४ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ ए की उपधारा (१) में शब्द "thirty days" के स्थान पर शब्द "twenty-one days" रख दिये जायं। ऐक्ट १, १८९ की धारा ५। का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) में शब्द "more" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:— ऐक्ट १, १८९ की धारा १२ का संशोधन।

"and also send a copy of the award to the Land Reforms Commissioner."

५—मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२ ए के रूप में जोड़ दी जाय :— ऐक्ट १, १८९४ में एक नयी धारा १२ ए का रखा जाना।

"12-A. (1) The Collector may at any time but not later than six months from the date of the award, or, where a reference has been made under section 18, before the making of such reference, correct any clerical or an arithmetical mistake in the award either of his own motion or on the application of any person interested.

Correction of award

(2) The Collector shall give immediate notice of any correction made in the award to all persons interested.

(3) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1) such person shall be liable to refund the excess, and if he defaults or refuses to pay, the same may be realised as an arrear of land revenue."

६—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित को एक नयी धारा (१ए) के रूप में रख दिया जाय :— ऐक्ट १, १८९ की धारा १ का संशोधन।

"(I-A) The power to take possession under sub-section (1) may also be exercised in the case of other than waste or arable land, where the land is acquired for or in connection with sanitary improvements of any kind."

ऐक्ट १, १८९४ की धारा १८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारायें (३) और (४) के रूप में जोड़ दी जायं :—

"(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Land Reforms Commissioner may, where he considers the amount of compensation allowed by the award under section 11 to be excessive, require the Collector that the matter be referred by him to the Court for determination of the amount of compensation.

Explanation—In any case of land under Chapter VII the requisition under this sub-section may be made by the Land Reforms Commissioner at the request of the Company on its undertaking to pay all the cost consequent upon such requisition.

(4) The requistion shall state the grounds on which objection to the award is taken and shall be made within six months from the date of the award."

ऐक्ट १, १८९४ की धारा २३ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २३ में—

(१) खंड " first " में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में, अन्त में जोड़ दिया जाय,

"*Explanation*—In judging the market value aforesaid in any case where land is acquired for or in connection with sanitary improvements of any kind or planned development due regard shall be had to the insanitary and inhygienic conditions of the land on the date aforesaid."

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

ऐक्ट १, १८९४ की धारा २५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २५ से शब्द "or be less than the amount awarded by the Collector under section 11." निकाल दिये जायं।

ऐक्ट १, १८९४ की धारा ३९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३९ की संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(2) In cases of acquisition of land for a society registered under the Societies Registration Act, 1860, sub-section (1) shall have effect as if for the words and figures "sections 6 to 37 (both inclusive)" the words and figures "sections 6 and 7 " had been substituted."

अधिष्ठाता—अब हम अनुसूची लेते हैं और इसमें जो अमेंडमेंट होंगे वह आ जायेंगे।

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

अनुसूची के खंड १ के उपखंड (१) के पैरा (iii) के शब्द "weaker section of the people" के स्थान पर "Landless labourers and possessing holding less than 2 1/2 acres of land." रख दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात बताना चाहता था। इसके पहले खंड १ में एक संशोधन हमारा था। वह संशोधन केवल इतना ही है कि खंड १ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि उसको लिया जाना चाहिये था। अजेंडा ऐसा छप गया है कि ऊपर का नीचे छप गया है।

अधिष्ठाता---बहुत गड़बड़ छप गया है। कौन अमेंडमेंट आप ले रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---जो खंड १ है उसका तीसरी भाग जो है, ८ नम्बर पर जो संशोधन है वह सबसे पहले आना चाहिये।

अधिष्ठाता---ले लें, आप पहले उसी को ले लीजिये।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता, महोदय, इसको निकालने के लिये मैं इसलिये आग्रह कर रहा हूं।

अधिष्ठाता---जरा मुझे बताइयेगा कि खंड १ में उपखंड (३) कौन है? बिल में तो है नहीं।

श्री गेंदा सिंह---जहां पर संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ है, अनुसूची के पहले उसमें खंड १ दिया है। उसको हम खंड १ मानते हैं। उसी का तीसरा भाग है।

अधिष्ठाता---पहला खंड तो यह है कि "यह अधिनियम लैंड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा" उसका दूसरा सबक्लाज है" यह तुरन्त प्रचलित होगा" तोसरा तो है ही नहीं।

श्री गेंदा सिंह---यह तुरन्त प्रचलित होगा उसके बाद दूसरे पेज पर।

अधिष्ठाता---वह तो खंड २ है।

श्री राजनारायण---यह होना चाहिये कि खंड ३ निकाल दिया जाय।

अधिष्ठाता---लेकिन खंड ३ तो पास हो चुका।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, अभी तो खंड ३ आया ही नहीं।

अधिष्ठाता---खंड ३ अभी पास हो गया। वह विधेयक का अभी अंग बन गया। अब आप अमेंडमेंट कैसे मूव कर सकते हैं। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। आपने गलत अमेंडमेंट मूव किया।

श्री गेंदा सिंह---गलत अमेंडमेंट मैंने नहीं दिया। एजेंडा में ग़लत छपा है। जो ऊपर छपना चाहिये वह नीचे डाल दिया है। हमारी कोई खता है नहीं।

अधिष्ठाता---खंड १ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय यह छपा हुआ है और सेक्शन ३ पास हो चुका है। उसमें अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह---उसमें अगर ग़लत छपा हुआ है तो मैं शुद्ध कर लेता हूं।

अधिष्ठाता---मेरी मजबूरी यह है कि खंड ३ पास हो चुका है, इसलिये उस पर कोई अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकता है।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, यह एक ऐसा खंड है जिसमें मैं समझता हूं कि इस विधेयक की एक खास चीज पर जोर देना चाहता था। सम्भव है कि उस पर माननीय राजस्व मंत्री जी विचार भी करते। अगर आप इस तरह से व्यवस्था कर सकें कि उस पर फिर विचार हो सके।

अधिष्ठाता---मेरी बड़ी मजबूरी है कि नियमों के अनुसार जो खंड पास हो चुका है उस पर कोई अमेंडमेंट आ नहीं सकता।

आपका दूसरा अमेंडमेंट है अनुसूची के बारे में। इसको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह---मुझे तो मजबूरी है। जैसी आपकी आज्ञा हो।

अधिष्ठाता---मैं भी मजबूर हूं। जो खंड पास हो चुका है उस पर मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गेंदा सिंह---मैं इतनी बात आप से जरूर कह देना चाहता हूं कि मेरी खता नहीं है जिस तरह से एजेंडा में छपा है उसी तरह से यह हमको बरदाश्त करना पड़ रहा है।

अधिष्ठाता---उसी वक्त अगर आप ने टोक दिया होता कि मेरा अमेंडमेंट है। लेकिन आपने टोका नहीं। मैंने साफ़ कहा था कि खंड ३ पर अब कोई अमेंडमेंट नहीं है और खंड ३ को पुट कर दिया। आप ने टोका भी नहीं। मैंने जब पुट कर दिया तो वह पास हो गया।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस बात का ध्यान रखते हुये कि जब स्पीकर साहब खड़े हों तो उस वक्त मुझे खड़ा न होना चाहिये, इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं पिछड़ गया। उसी में मेरे और संशोधन भी छूट गये, इसलिये मजबूर हो कर मुझे यह गुस्ताखी करनी पड़ी।

श्री चरण सिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो जैसा आपने फरमाया जैसी आप की रूलिंग है वह खंड पास हो चुका लेकिन मेरी अपनी तरफ से वैसे कोई ऐतराज नहीं है। आपको कोई आपत्ति न हो और आप कोई रास्ता निकाल सकते हों तो माननीय गेंदा सिंह जी को संशोधन पुट करने की इजाजत दे दी जाय।

अधिष्ठाता---जहां तक मैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के नियमों को समझता हूं मैं बड़ा मजबूर हूं कि मैं किसी तरह से अनुमति दे सकूं।

श्री चरण सिंह---मैं हर्गिज यह नहीं कहता कि अनुमति दी जाय, लेकिन जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैं बचना नहीं चाहता। मैं स्वागत करूंगा उनका ताकि मैं बाद में जवाब दे सकूं।

अधिष्ठाता---मुझे कोई नियम नहीं मालूम होता जिसके द्वारा मैं इस अमेंडमेंट को मूव करने के लिये उनको अनुमति दे सकूं क्योंकि वह पास हो चुका है।

श्री गेंदा सिंह---तो मैंने अधिष्ठाता महोदय यह कहा था कि यह वीकर सेक्शन जो है वह जरा वेग मालूम होता है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और मैं समझता हूं हूं कि यह दिक्कत होगी....

अधिष्ठाता---आप ने अपना अमेंडमेंट मूव कर दिया ?

श्री गेंदा सिंह---कर दिया था। पहले पर कुछ नहीं कह रहा हूं।

अधिष्ठाता---दूसरे पर कह रहे हैं ?

श्री गेंदा सिंह---जी हां।

अधिष्ठाता---यह जो अमेंडमेंट आप का नंबर सात पर छपा हुआ है।

श्री गेंदा सिंह---जी हां। यह सातवें नंबर के अमेंडमेंट पर ही बोल रहा हूं। अव्वलन तो मैं यह समझता हूं कि यह जमीन किस तरह से निकल सकेगी और किन लोगों को इस जमीन का बटवारा हो सकेगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस विधेयक में कुछ स्पष्ट नहीं हैं लेकिन इन सबको मैं इसलिये छोड़े देता हूं कि बाद में उनको स्पष्ट किया जायगा। लेकिन अगर यह स्पष्ट हो जाय कि यह जमीन किनको दी जायेगी तो यह अच्छी बात होगी। और अगर यही मतलब है राजस्व मंत्री जी का वीकर सेक्शन से जो हमने लिखा है तो उनको

कोई चिढ़ न होनी चाहिये उसे स्वीकार करने से। अगर मैं भूलता नहीं तो ढाई एकड़ से कम खेती करने वाले जो हमारे प्रदेश में हैं उनके खाते ६७, ६८ फीसदी के क़रीब होंगे। उनको यह दी जायगी ? लेकिन मैं यह समझता हूं कि जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्रदेश में उनको है जो भूमिहीन हैं। इसलिये सबसे पहला हक़ तो भूमिहीन लोगों का होना चाहिए।

श्री चरण सिंह—मैं यह जानना चाहता था कि कौन से संशोधन पर भाषण हो रहा है।

अधिष्ठाता—नत्थी 'ख' में सातवें नंबर पर जो संशोधन है उसी पर वह भाषण कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं उम्मीद करता हूं कि इन शब्दों को माननीय मंत्री जी पसन्द करेंगे। मैंने यह कहा है कि लैंडलेस लेबरर्स को (भूमिहीन लोगों को) वह जमीन दी जाय और खेती करने वाले जिनके पास ढाई एकड़ से कम है उनको वह जमीन दी जाय। यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो फिर यह बहस जल्द खत्म हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री गेंदा सिंह जी का मन्तव्य यह है कि अनुसूची के खंड १ के उपखंड (१) के पैरा ३ में जो परिभाषा दी गयी है उसके शब्द यह हैं कि: "The settlement of land for agriculture with the weaker section of the people" इसमें "Weaker section of the peiple" के स्थान पर "landless labourers and possessing holding less than 2 1/2 acres of land" को बढ़ाना चाहते हैं। वीकर सेक्शन आफ दि पीपुल के स्थान पर इसको बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी तक इसका इस्तेमाल शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये हुआ है। जो जाति पिछड़ी हुई है उनके लिये वह आता है। जहां तक इंटरप्रिटेशन का सवाल है माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि इसको सुप्रीमकोर्ट इन्टरप्रिटेशन करे। मैं यह समझता हूं कि कानून बनाने का साधारण यह नियम है कि किसी चीज को उलझी हुई न रखा जाय ताकि किसी शब्द के लिये उसके इन्टरप्रिटेशन के लिये ला पर निर्भर करना पड़े। यदि इसको इसी समय विधेयक में स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है तो कानून बनाने का जो साधारण नियम है वह उसके विपरीत होगा। वीकर सेक्शन आफ दि पिपुल का प्रयोग शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये होता है। पिछड़ी हुई जाति के सम्बन्ध में होता है लेकिन भूमिहीन किसान और पिछड़े हुये अन्य लोगों के लिये नहीं हो सकता है और दूसरे प्रकार के भूमिहीन लोग भी उसमें नहीं आते हैं। फिर इसके लिये वीकर प्रयोग करने से स्ट्रान्गर शब्द के भी जानने की आवश्यकता पड़ेगी। जो यहां पर डिफाइन नहीं है। तो बजाय इसके कि इसका इन्टर-प्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करे यहीं कर देना उचित होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसको बिलकुल स्पष्ट कर दिया जाय कि भूमिहीन कृषक मजदूर और ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास २।। एकड़ से कम जमीन है उनको वह जमीन दी जायगी।

अधिष्ठाता—मैं माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जी, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं आप की इजाजत से जो शब्द इस संशोधन में आये हैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है कि : अनुसूची के खंड १ के उपखंड (१) के पैरा ३ के शब्द "Weaker section of the people" के स्थान पर "Landless labourers and possessing holding less than 2 1/2 acres of land." रख दिये जायं।

[श्री शिवनारायण]

मैं आप की इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन आफ दि पिपुल का अर्थ बहुत खुला हुआ है और विस्तृत है। उसके अन्दर हरिजन, ब्राह्मण, वैश्य, चमार सब आ जाते हैं। हर आदमी इसके अन्दर आ सकता है और विधान का जो क्वोटेशन दिया गया उसमें कुछ लोगों के लिये ही वह दिया गया है लेकिन यहां हर आदमी को मौक़ा है। सेक्शन और सैक्स में बड़ा अन्तर है। दोनों शब्दों के वजन को हमें तौलना चाहिये। जो शब्द बिल में हैं वे बहुत सोच समझ कर रखे गये हैं। हवा वाली बात नहीं रखी गयी है। मैं गेंदा सिंह से कहना चाहूंगा कि अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय गेंदासिंह जी और कमला सिंह जी के संशोधन में संशोधन दिया है और उसकी आखिरी पंक्ति में यह है कि शब्द "Landless labourers and possessing holding less than 2 1/2 acres of land." निकाल दियें जायं और उनके स्थान पर शब्द "Landles agriucltural labourers." रख दिये जायं।

अभी हमारे देश में इस क़दर गरीब आदमी हैं कि उनके पास भूमि नहीं है जैसे चमड़े का काम और हाथ के कर्घे का काम करने वाले लोग हैं। तो उनको मकान इत्यादि के लिये जमीन देना जरूरी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि खेती पर काम करने वाले भूमिहीन लोगों को यह जमीन दी जाय। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन माननीय मंत्री जी को स्वीकार होगा।

अधिष्ठाता---(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि जब भी वह अपना भाषण दिया करें तो उसमें पर्सनल बातें न लावें तो अच्छा हो। उससे वाद विवाद अच्छा नहीं होता और बेकार के लिये तू, तू मैं, मैं हो जाती है। आप कुछ कहेंगे तो दूसरे भी कहेंगे। इसलिये पर्सनल बातों को एवायड करें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण---श्रीमान्, मैं आप का आभारी हूं और मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको हमसे कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर पहले एक बात कही गई तो उसको निरुत्तर नहीं जाने देना चाहिये। आप यदि माननीय राजस्व मंत्री को कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन बहुत ही साफ है और एक प्रकार से अगर देखा जाय तो इस संशोधन के पक्ष में यद्यपि विपक्ष का नाम लेते हुये ट्रेजरी बेंच के लोगों ने भी अपने भाव व्यक्त किये हैं। उन्होंने चाहे शब्द वीकर सेक्शन का समर्थन किया है मगर उनका भाव भी यही आया कि जो आज भूमिहीन हैं और जिनके पास खेती करने लायक़ जमीन कम है उनको जमीन दी जानी चाहिये खेती के काम के लिये यदि जमीन एक्वायर की जाय। इस पर मैं विशेष टाइम लेने को आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन के जितने सम्मानित सदस्य हैं यह किसी के बूते में नहीं है कि इसका कोई भाष्य करे और यह समझे कि यह डैफ़िनिट है। यही भाष्य फाईनल है लेकिन लैंडलेस लेबरर (बिना जमीन वाले मजदूर) का अर्थ बिलकुल डेफीनिट है। इसे सब कोई जानता है कि किसके पास लैंड (जमीन) है और किसके पास लैंड (जमीन) नहीं है। उसके आंकड़े माननीय राजस्व मंत्री जी के भी पास हैं और उसके आंकड़े हमने भी बराबर पेश किये हैं। ऐसे आदमी एक करोड़ हैं जिनके पास जमीन नहीं है। इसलिये लैंड-लैस लेबरर कर दिया जाय तो बिलकुल स्पष्ट हो जायगा। इसी तरह से माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात से भी अवगत होंगे कि किन लोगों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। ७३ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास २ एकड़ से कम जमीन है। इसलिये इसके रखने से उन ७३ प्रतिशत का भी लाभ हो जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त वीकर सेक्शन का

और क्या अर्थ हो सकता है। अगर हो सकता है तो इस सदन के सम्मानित सदस्य मुझे बतायें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह वीकर सेक्शन कौन सा है। केवल उन शब्दों के रखने से कोई बात स्पष्ट नहीं होती। हमारे ख्याल में तो वीकर सेक्शन वही है जो कि अपने फाइनेंसेज से अपनी नेसेसिटीज आफ लाइफ (अपनी आमदनी से अपनी आवश्यकता) की पूर्ति करने के योग्य नहीं है। जिसके पास अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन कतई नहीं हैं जिनके पास जमीन नहीं है जो दूसरे की जमीनों में मजदूरी करते हैं या कोई और काम करते हैं या जिनके पास केवल १, २ या ३ एकड़ जमीन है। इस संशोधन से स्पष्ट और कोई संशोधन नहीं हो सकता। अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि इस साफ संशोधन को वे मानने की कृपा करें।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रक्खा है उसके छपने में ग़लती हो गयी है। वह इस रूप में कर दिया जाय....

अधिष्ठाता---परन्तु मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री कमला सिंह---मैंने इसके लिये पहले भी सेक्रेटरी साहब से कह दिया था। अगर उसमें 'परसन्स' शब्द नहीं बढ़ाया गया तो वह संशोधन ही बेकार हो जाता है। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है।

अधिष्ठाता---अगर आप यह कहेंगे कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं तो ठीक होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसकी एक कापी मेरे पास भेज दीजिये। केवल इस प्रकार से कहकर अगर आप जारी रखेंगे तो ग़लती होगी।

श्री कमला सिंह---ठीक है। श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन में मेरा यह संशोधन है कि शब्द "and" के बाद और शब्द "possessing" के पहले "persons" रख दिया जाय। इसके रहने से अमेंडमेंट इस प्रकार हो जायगा :-

"Landless labourers and persons possessing holding less than 2 1/2 acres of land."

असल में माननीय राजस्व मंत्री जी ने संविधान की धारा ४६ जो इस सदन में पेश की है उसके शब्द ये हैं---

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

[राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा]

जहां तक इस धारा का संबंध है वह शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राइब्स से संबंधित है। लेकिन बहुत सी ऐसी शिड्यूल कास्ट्स या ट्राइब्स हैं जिनके पास लाखों की संपत्ति है। अगर हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक के आशय के बिलकुल विपरीत हो जायगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाय जो अपनी जीविका मजदूरी से निभाते हैं। चाहे तो वह फैक्टरी का मजदूर हो या कल्टीवेशन करके अपनी जीविका निभाता हो। श्रीमन् उन्हीं ग़रीब लोगों को मदद करने के मक़सद से यह चीज़ लायी गयी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने विशाल हृदय से सोचेंगे और इन शब्दों पर गौर करेंगे। मैं यह समझता हूं कि वे इस बात को महसूस करेंगे कि "वीकर सेक्शन आफ दि पिपुल" जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमल सिंह]

रक्खा गया है उसको निकाल देना ठीक है। उसके निकाल दिये जाने से मैं समझता हूं दिक्कतें दूर हो जायंगी। क्योंकि हमेशा जो भी ऐक्ट बनाया जाय उसके डेफिनिशन का दायरा इतना बड़ा होना चाहिये कि हर चीज को वह कवर कर सके। इसलिये अगर शब्द "लैंडलेस लेबरर्स ऐण्ड परसंस पर्जोसिंग होल्डिंगलेस दैन ढाई एकड़ आफ लैंड" "वीकर सेक्शन आफ दि पिपुल" की जगह पर रख दिये जायं तो हर चीज कवर हो सकती है। चाहे शेडयूल्ड ट्राइब्स के हों या किसी भी कौम के हों जिनके पास अगर किसी तरह की भी जमीन नहीं है कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें तो मैं समझता हूं कि उनकी हमेशा की नैसेसिटी के लिये जो चीज जरूरी है वह कवर की जा सकती है और उसके लिये लैंड एक्वायर की जा सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रस्ताव का समर्थन तो आप नहीं कर रहे हैं। आप का तो नया अमेंडमेंट ही है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय गेंदा सिंह और माननीय कमला सिंह जी के भाषण को सुनता रहा और इस कोशिश में रहा कि उन लोगों के भाषणों को और उनके तर्कों से कुछ प्रभावित होता लेकिन मुझे खेद है कि मैं उनसे प्रभावित नहीं हो सका। मैं तो यह देखता हूं कि माननीय गेंदा सिंह और माननीय कमला सिंह के जो भाषण हुए हैं और जो उनके संशोधन हैं वे परस्पर विरोधी हैं। उनका यह कहना है कि "वीकर सेक्शन आफ दि पिपुल" के स्थान पर यह रख दिया जाय :—

"लैंड लेस लेबरर्स ऐण्ड पौजैसिंग होल्डिंग लेस दैन ढाई एकर्स आफ लैंड!"

यह तो माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है और कमला सिंह जी कहते हैं कि इसमें "परसंस" शब्द और बढ़ा दिया जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि परस्पर विरोधी हैं। अगर "लैंडलैस लेबरर्स" की जगह पर "लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स" होता तब तो हम कुछ समझ सकते थे कि यह एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिये कहा जाता है लेकिन इसमें दो शर्तें रखी गयी हैं। एक तो यह कि लैंडलेस लेबरर्स हो और दूसरी शर्त यह है कि ढाई एकड़ से कम उसके पास भूमि हो। ये दोनों चीजें संशोधन के अन्दर हैं। मैं तो समझता हूं कि अच्छा यह होता कि आप यह रखते "लैंडलेस लेबरर्स और परसंस पौजैसिंग होल्डिंग लेस दैन ढाई एकर्स आफ लैंड" यह उत्तम होता। मैं भी पहले इस राय का था कि वीकर सेक्शन की परिभाषा यहां कर देना आवश्यक है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया और जो संविधान का हवाला दिया उसके बाद मैं ने अपनी राय बदल दी। कमला सिंह का जो संशोधन है वह भी ठीक नहीं है "वीकर सेक्शन" में सब बातें आ जाती हैं और इसमें ज्यादा लोगों का समावेश हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह उचित है कि वीकर सेक्शन ही रहना चाहिये। यह संशोधन जो उपस्थित हैं वे सब असंगत हैं, परस्पर विरोधी हैं, उनके स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि दोनों माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री चरण सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री व्रजबिहारी मिश्र जी ने जैसा फरमाया मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूं। जैसा उन्होंने बतलाया है कि जो प्रस्तावक महोदय हैं उनके ही मन में इस तरह की बात है पहले तो उनका यह संशोधन है कि खंड १ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय और वीकर सेक्शन से जहां तक सम्बन्ध है उसे बिल्कुल ही निकाल दिया जाय।

अधिष्ठाता— वह चीज खत्म हो गयी। उसे उन्होंने वापस ले लिया है।

श्री चरण सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी तरफ से इस तरह का संशोधन भेजा गया था। खैर, उसको तो छोड़िये, जो कुछ हुआ वह हुआ। अब एक बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर कही गयी है, माननीय राजनारायण जी और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने भी कहा कि साहब गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में क्यों जायं? अब मैं क्या बतलाऊं? मेरी समझ में नहीं आता कि या तो मेरे माननीय मित्रों ने उस पर ध्यान नहीं दिया जो कुछ कि मैंने कहा या उन्होंने उसे सुना ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कहता हूं तो गुस्ताखी हो जायगी। इसलिये शायद मैं ही नहीं समझ पाया हूं। मैं समझता हूं और मेरा ख्याल है कि शायद माननीय मिश्र जी को भी पहले आपत्ति थी। "वीकर सेक्शन आफ दि पीपिल" रखा गया तो कोर्ट्स के मुख्तलिफ इन्टर प्रिटेशन होंगे और झंझट होगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इन्टरप्रिटेशन की नौबत नहीं आवेगी। सेक्शन ६ (३) है उसमें पब्लिक परपज ही फाइनल है जो गवर्नमेंट मान लेती है। मैंने यह भी बता दिया कि हमने यह कांस्टीटयूशन से लिया है और अगर इन्टरप्रिटेशन का ही सवाल है तो जो भी व्यू हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का होवे।

एक सदस्य—यह वेग है।

श्री चरण सिंह—वेग का तो कोई सवाल ही नहीं है। यह तो "वीकर सेक्शन आफ दि पीपिल" एक रिफगनाइज्ड टर्म है, संविधान में इसका प्रयोग हुआ है। हर चीज की डेफिनिशन की जरूरत नहीं होती, बहुत सी चीजें इनडिफाइनेबिल होती हैं और हर केस में उनका मतलब अलग लिया जा सकता है, जैसे लिख दिया जाता है कि "एपरटिनेंट टु हाउस!" हमने तमाम जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में इसका प्रयोग किया है। इसकी कोई डेफिनिशन नहीं है। हर केस में इसका मतलब अलग हो सकता है। यह मकान के पास की जमीन और उसके मुताल्लिक आराजी के लिये भी हो सकती है। यही बहुत एग्जहास्टिव और इलसट्रेटिव है। जब आप सेक्शन ३ की तरफ ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि जिसको हम कह देंगे कि पब्लिक परपज है वही फाइनल होगा। आपसे कहता कौन है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जायं।

रही यह बात कि लैंडलेस लेबरा भी इसमें जोड़ दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय श्री व्रज बिहारी मिश्र ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। इस तरह से उसमें इंडस्ट्रियल लेबरा भी आ जायगा और २०० रुपये पाने वाला जो फैक्टरी का लेबरा है वह भी उसमें आ जायगा, यह भी नहीं बताया गया कि आखिर आप लेबरर की क्या डेफिनिशन करते हैं। लिहाजा वही फाइनल होगा जो गवर्नमेंट पब्लिक परपज मान लेगी। पहले ऐक्ट में जो पब्लिक परपज की डेफिनिशन थी उसमें यह था कि "The expression "public purpose" includes the provision of village-sites in districts in which the Provincial Government shall have declared by notification in the official gazette that it is customary for the Government to make such provision".

इतनी जरा सी बात थी और इतना झंझट खड़ा कर दिया गया। जो कुछ न्याय-शिष्टता के साथ बताया जाय उस पर आप चिरागपा होते हैं।

इसके अलावा मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने यह कब कहा था कि ३ महीने के अन्दर यह वसूली दसगुने की हो जायगी और रुपया किसानों के यहां छप्परों में रखा हुआ है। मैं फिर कहता हूं कि जहां कहीं मैंने कहा हो उसे राजनारायण जी ले आयें और मुझे दिखावें....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं इसका क्या प्रसंग है? क्या हमको भी इसका जवाब देने का मौका दिया जायगा।

श्री चरण सिंह—श्री रामदास जी ने भी कहा था कि लैंडलेस लेबरर रखने की जरूरत नहीं है और वीकर सेक्शन में सब आ जाते हैं। लैंड लेस लेबरर में पता नहीं कौन

[श्री चरण सिंह]

आता है और कौन नहीं आता। जैसी भी जहां सूरत होगी लेकिन हम यह पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, डिफाइन करने में हम अपने हाथ बांध लेते हैं। अब लेबरर की कोई डेफनीशन हो भी नहीं सकती। इसके साथ ही साथ आपने लैण्डलेस लेबरर भी रखा है और जो ढाई एकड़ से कम जोत वाले हैं उनको भी रखा है। तो यह दोनों बेमानी हो जाते हैं।

श्री कमला सिंह ने आर्टिकिल ४६ के लिये कहा कि वह शिडयूल कास्ट्स और शिडयूलल्ड ट्राइब्ज के लिये है। यह ताज्जुब है। इसमें लिखा है "वीकर सेक्शन आफ दि पीपिल और इन पर्टिकुलर शिडयूल्ड कास्ट्स" वह भी उसमें इन्क्लूडेड हैं लेकिन वीकर सेक्शन तो बहुत ज्यादा कम्प्रिहेंसिव टर्म है और उसमें शिडयूल कास्ट्स भी आ जाता है, लेकिन उसको इन पर्टिकुलर करके रख दिया गया। तो इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से यह उम्मीद जरूर की थी कि इस मामले में तो सुलह हो जायगी, लेकिन वह इसको स्वीकार न कर सके और वीकर सेक्शन की गलतफहमी में हम लोगों को छोड़ दिया। मैं कुछ घबड़ाता नहीं हूं लेकिन कितने लोगों को जमीन इससे दिला पायेंगे पहले ही हमको यह निश्चित नहीं है इसलिए यह कहता हूं वैसे मुझे कोई घबड़ाहट नहीं है चाहे वीकर सेक्शन रखें या कुछ रखें लेकिन यह इतना अस्पष्ट है कि इससे यह पता नहीं चलता कि कौन लोग वीकर सेक्शन में आते हैं। इसके अतिरिक्त पैसा कहां से आवेगा देने के लिये। जो जमीन ऐक्वायर की जायगी वह मुफ्त में तो अक्वायर नहीं की जायगी उसके लिये पैसे की जरूरत पड़ेगी। यह बात मैंने अपने पहले भाषण में कही थी, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। यह पैसा वह वीकर सेक्शन वाला देगा या माननीय राजस्व मंत्री जी बन्दोबस्त करेंगे। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ कागजी काम है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। मैं यह तो स्वीकार कर लेता हूं कि अंग्रेजी मैं नहीं जानता और चूंकि अंग्रेजी में यह विधेयक है इसलिये माननीय मिश्र जैसे लोगों से सहायता लेने की जरूरत पड़ती है उसको साफ साफ समझने में इसीलिये कहीं कहीं गलती भी हो जाती है और इसीलिये वह परसन्स का लफ्ज छूट गया। मुझको खुद महसूस हुआ तो उसे हमने स्वीकार कर लिया और इसलिए माननीय मिश्र जी जब बोल रहे थे तब मैंने उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं समझी कि वह तो मैंने मान लिया। लेबरर और लैण्डसेस लेबरर को प्राथमिकता हम देते हैं और जो भूमिहीन हैं उसको प्राथमिकता रहेगी। न शिडयूल्ड ट्राइब्ज, न किसी ब्राह्मण न क्षत्रिय, न कायस्थ किसी से भी मेरी दुश्मनी नहीं है। सब मेरे दोस्त हैं जो निर्धन हैं उसको सब से पहले मिलना चाहिये। जिसके पास नहीं है उसको सब से पहले मिलना चाहिये चाहे वह किसी जाति का हो। अब जब देना हो उस वक्त "वीकर सेक्शन" की परिभाषा ढूंढ़ने बैठें यह दिक्कत तलब सी चीज है। इसीलिये मैं सोचता था कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय।

दूसरी बात कलेक्टर की है। मैं चाहता था कि कलेक्टर साहब की इच्छा पर इस बात को न रखा जाय। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को प्रधानता देना चाहता था,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन वह शायद अपने से ज्यादा कलेक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं क्या करूं, उसमें मेरी कोई खता नहीं है। हां, इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि कहीं कलेक्टर साहबों पर भरोसा करते करते उनका अपने ऊपर भरोसा खत्म न हो जाय यह खतरा है। वह जैसा कि मैं सुना करता हूं कि कभी कभी किसी जमाने में, पुराने जमाने में सोशियालोजी के जो पंडित हैं वह कहते हैं कि मनुष्य के भी दुम हुआ करती थी। लेकिन उसने दुम से काम लेना छोड़ दिया तो दुम भी खत्म हो गई। वैसे ही अगर अपने भरोसा को छोड़ करके माननीय राजस्व मंत्री जी कलेक्टरों के ऊपर भरोसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिये माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं फिर दरख्वास्त करूंगा और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस सूबे के जो कलेक्टर हैं उनसे ज्यादा मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को हृदयवान् समझता हूं क्योंकि कलेक्टरों को तो अपनी नौकरी से मतलब है और आज के जो कलेक्टर हैं उनके बारे में मैं इस वक्त कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं समझता।

अतः मैं यह समझता हूं कि उनकी जितनी दलील थी, मैंने अपने को समझाने की कोशिश की कि उनकी दलील से मैं कायल हो जाऊं लेकिन सिवाय इसके कि उन्होंने यह सोचा कि इस शब्द को जैसे का तैसा मानना चाहिये और इसको मक्षिका स्थाने मक्षिका रखना चाहिये और बिल्कुल मानना नहीं चाहिये तो अब ऐसी हालत में लैन्डलेस लेबरर और ढाई एकड़ में मैं कोई झगड़ा नहीं समझता। मैं इस बात को स्पष्ट कहता हूं कि जिस वक्त वह रूल्स बनावें उस वक्त इस बात की गुंजायश कर दें कि प्राथमिकता भूमिहीन को रहेगी। हमारे शब्दों से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। इसलिये मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

❀श्री चरण सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत से मैं संक्षेप में तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि रुपया कौन देगा। जब पब्लिक परपज के लिये जमीन ली जायगी, तो लोकल अथारिटीज रुपया देंगी या गवर्नमेंट रुपया देगी? उसमें बिल्कुल साफ है कि जब पब्लिक परपज के लिए गवर्नमेंट या लोकल अथारिटी जमीन एक्वायर करेगी तो पब्लिक रेवेन्यूज में से रुपया दिया जायगा। यह तो उनकी पहली आपत्ति का जवाब है।

उनकी दूसरी आपत्ति यह थी कि कलेक्टर के पास इनीशिएटिव छोड़ दिया गया। पहली बात यह है कि अमेंडमेंट हुआ है उसमें गवर्नमेंट आर दि कलेक्टर है। तो इनीशिएटिव गवर्नमेंट के पास भी तो है। दूसरी बात यह है कि अगर गवनमेंट ने भी होती केवल कलेक्टर ही होता तो कलेक्टर तो एक एग्जीक्यूटिव आफिसर है, स्कीम जो बनेगी वह कलेक्टर तो बनायेगा नहीं, वह तो गवर्नमेंट ही बनायेगी। तो जब गवर्नमेंट कोई स्कीम चलायेगी फिर तो इनीशियेटिव गवर्नमेंट का हो रहा। इसलिये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों भ्रम हो रहा है।

आपके जरिये मैं यह भी कह दूं कि वीकर सेक्शन लैन्डलेस लेबरर को रूल आउट तो नहीं करता। वीकर सेक्शन में लैन्डलेस लेबरर तो आता ही है इसलिये मेरे और उनके मंतव्य में कोई भिन्नता नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। और हमारे जो लीगल एडवाइजर थे उनका भी यही कहना था कि यह कांस्टीट्यूशन का ऐक्सेप्टेड टर्म है, यह लैंडलेस लेबरर को इन्क्लूड करता है इसलिये यह ज्यादा अच्छा है और मुझे भी यह जंच गया। माननीय गेंदा सिंह जी भी मानते होंगे कि इस गवर्नमेंट की मंशा है कि लैंडलेस लेबरर्स को जमीन दी जाय, लेकिन फिर इसपर बड़ी भारी बहस हो गई। अगर मैंने कभी कहा हो या मेरी कभी ऐसी मंशा रही हो कि

❀ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

लैंडलेस लेबरर इसके अन्दर न आयें तो उसे बतायें। लेकिन लैंडलेस लेबरर कांस्टिटयूशन में नहीं है और किसी वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह टर्म अच्छा है इ सलिये मैंने कहा कि रख दो। लेकिन हर आदमी को अधिकार है कि जो चाहे कहने लगे और जो चाहे बहस उठा दे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—अब मैं पहले माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची के खंड १ के उपखंड (१) के पैरा (iii) के शब्द "Weaker section of the people" के स्थान पर "Landless labourers and possessing holding less than 2 1/2 acreas of land" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—अब माननीय कमला सिंह जी के संशोधन को लेने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री गेंदा सिंह से) क्या आप यह संशोधन उपस्थित करेंगे; खंड २ के उपखंड (१) व (२) निकाल दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह—जी हां।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। खंड २ पास हो चुका है: खंड २ में कोई उपखंड (१) या (२) नहीं है। अगर अनुसूची के लिये है तो अनुसूची के लिये नहीं कहा गया है बल्कि यह कहा गया है कि खंड २ के उपखंड (१) व (२), और खंड २ पास हो चुका है।

अधिष्ठाता—आप ग़लती कर रहे हैं, अनुसूची में खंड है।

* श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि अनुसूची के खंड २ के उपखंड (१) व (२) निकाल दिये जायं।

मैंने अभी कुछ देर पहले माननीय राजस्व मंत्री जी की सेवा में एक बात कही थी, मैं उसी बात पर फिर कहना चाहता हूं कि जहां पर कलेक्टर का लफ्ज आया है, वह जो कुछ पहले था वह ज्यादा सुन्दर था। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कलेक्टर को ऐसा समझ लिया है कि भगवान का स्थान उसको प्राप्त होता जा रहा है। कलेक्टर जब पहले काम करता था तो सरकार को लिखता था, और सरकार जमीन हासिल करने के लिये कार्यवाही करती थी। सही बात यह है कि कलेक्टर ही सब कुछ करता था, लेकिन जहां कहीं भी कलेक्टर कुछ ज्यादती करने की बात सोचता हो वहां पर इस बात की गुंजायश थी कि सरकार तक पहुंच करके उसमें कुछ राहत हो सकती थी। कलेक्टर के लिये यह बात कही जा सकती है कि वह मौके पर रहता है, इसलिये वह आवश्यकता की बात देखता है। तो मैं राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कलेक्टर चूंकि मौके पर रहता है, इसलिये उसको कुछ जाती तौर पर लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, जाती तौर पर कुछ रंजिश भी हो सकती है, इसलिये कुछ लोगों को परेशानी करने के लिये भी वह ऐसी बात कर सकता है। तो जहां तक कलेक्टर को इनीशिएटिव होने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उसको नहीं देना चाहिये। अगर उसको देना है तो वैसी हालत में हम गांव पंचायतों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे सकते हैं, गांव समाज को दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे सकते हैं और अगर वह इस बात की जरूरत समझें कि जमीन को हस्तगत करना है तो वह सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करें। लेकिन किसी भी हालत में मैं कलेक्टर को यह अख्तियार इनीशियेटिव लेने का और उसी को नोटिफिकेशन जारी कर देने का, जो काम कि सरकार ने अपने जिम्मे रखा था, देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जो इस पर क्या विचार करेंगे लेकिन मेरी समझ में उनकी बात सुनने के बाद ही कुछ सोचना चाहिये इसलिये शुरू में कुछ न कह कर मैं इतना ही कहता हूं कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत हमको नहीं दिखाई देती है कि जिसमें कानून की मंशा गड़बड़ में पड़ जाय इसलिये वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका था और फिर दोहराना चाहता हूं कि कलेक्टर को कोई पावर नहीं दी जा रही है। किसी जमीन की एक वाक़ई जरूरत है किसी सार्वजनिक काम के लिये यह सेक्शन ६ में तय होता है। अब उसको फिर पढ़ने में समय बर्बाद करना पड़ेगा। सेक्शन ६ में यह लिखा है :

"Subject to the provisions of Part VII of the Act when the Provincial Government is satisfied, after considering the report, if any, made under section 5-A, sub-section (2) that any particular land is needed for a public purpose."

यह नोटिफ़िकेशन तो करायेगी बाद में गवर्नमेंट ही उससे। पेश्तर जो यह था....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कुछ सुनायी नहीं दे रहा है।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य लोग कृपया शोर कम करें।

श्री चरण सिंह—मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर माननीय नेकराम जी से कह दिया जाय तो मामला हल हो जायगा।

अधिष्ठाता—मैं भी उनसे दरख्वास्त करना चाहता था मगर मैंने समझा कि शायद वह खुद ही समझ जायंगे।

श्री चरण सिंह—सेक्शन ४ में जो पावर कलेक्टर को दी जा रही है वह गवर्नमेंट को तो है ही और साथ ही साथ हम कलेक्टर को भी दे रहे हैं। उसमें है "Land in any locality is likely to be needed for public purpose." तो "when any particular land is needed for public purpose." तब यह गवर्नमेंट करेगी। मैंने पहले भी समझाया था और अब भी समझा रहा था, शायद मेरे समझाने में कहीं खराबी है, मैं पूछूंगा माननीय श्री गेंदा सिंह से कि बाहर किस तरह से समझाया करूं। तो कहां पावर कलेक्टर को दी जा रही है? दूसरी बात यह कि आपकी समझ में यह तो आता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और म्युनिसिपल बोर्ड को पावर दे दी जाय। वह दरख्वास्त दे तो वह नोटिफिकेशन कर देगा या कलेक्टर को न करे, म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खुद गजट में नोटिफाई कर देगा। कम्पनी को जरूरत पड़ेगी तो कलेक्टर वहां करेगा। आप कहते हैं कि कलेक्टर के पहले कम्पनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दरख्वास्त दे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खुद करे। कम्पनी को अगर जमीन की जरूरत है तो अब जैसा हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कलेक्टर को दरख्वास्त दे। अब तक तो यह था कि कलेक्टर इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट को लिखे और गवर्नमेंट फिर से सेक्शन ४ को नोटिफाई कर दे। अब हम यह कर रहे हैं कि कलेक्टर खुद कर दे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पावर

[श्री चरण सिंह]

दे दी जाय तो कोई स्कूल का मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दरख्वास्त दे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फिर गजट किया करे। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं जंचती है। मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जो भी अगर विचार करेंगे तो वह कहेंगे कि हां, ठीक है। जो संशोधन है वह बहुत ठीक है, तीन चार महीने जो ज्यादा लग जाते थे एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स में वह कट आउट हो जायंगे। मैं गेंदा सिंह जी से यह कहूंगा कि वह यह न समझा करें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आयी है तो उसका विरोध के लिये विरोध करना ही है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन कलेक्टर के अधिकार बढ़ाने के संबंध में जो उन्होंने कार्यवाही की है तो स्पष्टीकरण तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। विशेष रूप से मैं इस रिपोर्ट के पृष्ठ ४ के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें.....मंत्री जी जरा ध्यान देने की कृपा करें।

अधिष्ठाता--मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नारायण दत्त जी कुछ बात कह रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस रिपोर्ट में कहा गया है कि--"to enable a Collector to issue a notification prescribed in sub-section (1) of section 4 of the Act"

वर्तमान संशोधन के द्वारा माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि वह गवर्नमेंट और कलेक्टर दोनों को अधिकार दें कि वह नोटीफिकेशन निकाल सके। रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि कलेक्टर निकालेगा। सेक्शन ५ (ए) और १७ (ए) की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ५ (ए) को देखा जाय तो कलेक्टर को आब्जेक्शन्स लेने में और गवर्नमेंट को सूचना देने में कितनी देर लगेगी। इसको देख कर मंत्री जी का मंतव्य हल नहीं होता है और बिल्कुल जल्दी होने वाली नहीं है। क्योंकि पहले कलेक्टर को इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा कि किस भूमि की आवश्यकता है और इसके बाद कलेक्टर आब्जेक्शन को डिस्पोज आफ करेगा और फिर गवर्नमेंट को लिखेगा तो दोनों बार नोटीफिकेशन हुआ और मंत्री जी कहते हैं कि समय में बचत होने वाली है तो वह बतलायें कि कहां बचत होने वाली है। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि वह कलेक्टर के अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर वह कलेक्टर के केवल अधिकार बढ़ाना चाहते हैं और समय की बचत की मंशा नहीं है तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया होता कि हमारी इच्छा है कि कलेक्टर के अधिकार बढ़ें और यह बात सही है कि समय की बचत नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह गेंदा सिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लें जब कि वह ५ (ए) और १७ (ए) में नहीं कर रहे हैं तो किसी बात की आवश्यकता नहीं है कि धारा ४ में संशोधन करें।

श्री गेंदासिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं भी ऐसा सोच रहा हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी अगर कहीं सोलह आने हठी हों तो मैं ही मान जाऊं। वह असल में प्राविंशियल गवर्नमेंट में और कलेक्टर में कोई भेद समझ में नहीं आता 'लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को इस कागज में रखना जरूरी है कि प्राविंशियल गवर्नमेंट का पट्टीदार है कलेक्टर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये उसका नाम जरूर आये तो मैं इसका लिहाज करता हूं और मैं इस संशोधन को वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री व्रजविहारी मिश्र---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि अनुसूची की मद ४ की पहली पंक्ति में आये हुए शब्द "More" के स्थान पर "Made" रख दिया जाय।

यह शाब्दिक संशोधन है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---स्वीकार है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद ४ की पहली पंक्ति में आये हुए शब्द "More" के स्थान पर शब्द "Made" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री कमला सिंह**---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची की मद ५ में प्रस्तावित नई धारा 12—A के उपखंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४) बढ़ा दिया जाय---

"Where any less amount is proved to have been paid to any person as a result of award under section 11 such person shall be compensated the deficit amount."

जहां तक करेक्शन आफ एवार्ड का सम्बन्ध है, इसमें यह दिया हुआ है कि अगर किसी आदमी को एक्सेस एमाउंट पे कर दिया गया हो तो उस आदमी से वह रिअलाइज होगा एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से। तो जब कि हम किसी चीज की एकाउंटिंग करने जा रहे हैं और उस वक्त हमें यह मालूम हो कि यह एक्सेस में किसी को पे कर दिया गया है और उसकी वापसी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे लिए यह भी जरूरी होता है कि जब कि लेस एमाउंट हो, यानी पेमेंट या वेलुएशन रखा गया हो तो अगर लेस एमाउंट उसका हो तो वह इतना कम हो तो उसको भी वापस करना चाहिये उस आदमी को और मैं समझता हूं कि वह बहुत ही जस्टिस की चीज है और माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कमला सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने इस संशोधन को जानबूझ कर यह सोचा कि ऐसा संशोधन है जिसको माननीय राजस्व मंत्री स्वीकार करेंगे तो मैंने मूव नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं मूव करूंगा तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाय: तो माननीय कमला सिंह जी ने इसको मूव किया है और उचित बात मालूम होती है कि अगर किसी के ऊपर ज्यादा हो तो उससे वसूल किया जाय, तो अगर कम बाकी है तो उसे वापस क्यों न दे दिया जाय। यह सरकार के लिए बड़ी वाजिब बात मालूम होती है। तो इसके मान लेने के लिए बहस करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार के मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी और मैं समझता हूं कि ज्यादा समय न खराब करके तुरन्त स्वीकार कर लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--- श्रीम[illegible] एक शाब्दिक संशोधन माननीय कमला सिंह जी के संशोधन में करना चाहता हूं, ताकि जो मंतव्य उन्होंने बतलाया वह ज्यादा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

स्पष्ट हो जाय। मेरा संशोधन यह है कि जहां पर माननीय कमला सिंह जी ने दूसरी पंक्ति में अपने संशोधन में "award under section 11" रखा है, उसकी जगह बदल कर "correction under sub-section 1" कर दिया जाय, क्योंकि विधेयक में जो उपखंड है उसमें भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि—

"Where any excess amount is proved to have been paid to any person as....."

श्री कमला सिंह—मैं जरा क्लियर कर देना चाहता हूं कि खंड ५ में दिया हुआ है..

अधिष्ठाता—आप बैठ जायं, क्योंकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उनको पहले कहने दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो उसमें यह लिखा हुआ है :

"as a result of the correction made under sub-section (1) such person shall be liable to refund the excess and if he defaults or refuses to pay the same may be realised as an arrear of land revenue".

मैं चाहता हूं कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल यहां भी किया जाय कि—

"Where any less amount is proved to have been paid to any person as a result of award under section 11 such person shall be compensated the less amount."

डेफिसिट के बजाय लेस कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, अगर एवार्ड में कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक रह जाय तो कलेक्टर को यह अधिकार दिया जा रहा है इस संशोधन के जरिये से....

अधिष्ठाता—लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह सेक्शन ११ तो ऑन दी फेस गलत मालूम होता है। यह सेक्शन ११ जो है वह मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, सब-सेक्शन बन होना चाहिए।

श्री चरण सिंह—खैर वह ११ हो या १२ हो इससे तो कोई मतलब नहीं है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो उपधारा है उसका मंशा यह है कि अगर गलती पाये कहीं पर तो कलेक्टर या वह आफिसर एवार्ड को सही कर दे। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि ज्यादा रुपया वह ले गया यानी कम रकम वह तय करते हैं और वह उससे ज्यादा ले गया है, तो वह ज्यादा रुपया उससे वसूल किया जाय और यदि उसको कम मिला है तो वह उसे दिया जाय। मोटी सी बात है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। अब आप यह चाहते हैं कि यह लिख दिया जाय कि जो कम मिला हो वह उसको दे दिया जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रक्खा गया है कि ज्यादा ले लेता है तो उससे लिया जाय, यह भी लिखने की जरूरत न होती अगर हमको यह दिक्कत न होती कि उससे वसूल कैसे किया जायगा। वसूल करने का एक ही तरीका है कि जैसे लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है, वैसे ही हम वसूल कर सकते हैं। इसलिये हमको इस उपधारा को रखने की जरूरत पड़ी। वर्ना इसकी जरूरत नहीं थी और अगर कम मिला है, वह और का इन्टाइटिल्ड है तो जैसे पहली रकम उसने पायी है, उसी तरह [illegible] एवार्ड करेक्टेड हो गया तो अपने आप वह उसी के मुताबिक ले लेगा। उसके यहां एड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह नहीं है कि मेरी और आपकी मंशा में कोई अन्तर है लेकिन उसके लिखने की यहां

जरूरत नहीं है और इसके लिखने की जरूरत यों पेश आती है कि वह वसूल कैसे होगा लैंड रेवेन्यू की शकल में वह वसूल किया जायगा। इसलिये इसके लिखने की जरूरत पेश आती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल अनावश्यक है और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि बाकायदा एक सब-सेक्शन रखा जाय।

श्री कमला सिंह--जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर रूल्स में वह परिवर्तन कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि दोनों का मंतव्य तो यही है। तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वृजबिहारी मिश्र--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुसूची के खंड ६ में म आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं --

क--शब्द "नयी" और अंक "(१ए)" के बीच में शब्द "धारा" के स्थान पर शब्द "उपधारा" रख दिया जाय।

तथा प्रस्तावित संशोधन के अन्त में शब्द "kind" के पश्चात् शब्द "or planned development" बढ़ा दिये जायं।

जो संशोधन है वह शाब्दिक है। "उपधारा" होना चाहिए था "धारा" लिख दिया है। और दूसरा जो (ख) में प्रस्तुत संशोधन है वह इसलिए आवश्यक मालूम होता है कि एक नियमित विकास के लिए भी उसमें प्राविजन होना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक साथ कई संशोधन रखे जा रहे हैं। इसलिये समझ में नहीं आ रहे हैं।

अधिष्ठाता--दो ही तो हैं, "(क)" और "(ख)"।

श्री राजनारायण--वह संशोधन हैं कहां।

अधिष्ठाता--अभी आपकी तरफ से संशोधन मूव हुआ था जो अमेंडमेंट अजेंडा में नहीं था।

श्री राजनारायण--वह तो शाब्दिक था। अगर हम को कापी मिल जाती ...।

अधिष्ठाता--इस प्रकार की बात आप नहीं कह सकते। आपकी तरफ से भी मौखिक संशोधन मूव हुआ है जिसकी अनुमति मैंने दी है। यह संशोधन तो पहले से आया हुआ है। बहुत पहले से आया हुआ है।

श्री राजनारायण-- हमारे पास नहीं है।

अधिष्ठाता--हम आपके पास भेज देते हैं।

जरा माननीय व्रजबिहारी मिश्र जी इसको स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र--मैंने निवेदन किया, अधिष्ठाता महोदय, इसमें जो शब्द आया है वह धारा आया है। मैं मूल अधिनियम का खंड ६ पढ़ रहा हूं। मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित को एक नयी धारा (१ए) के रूप में रख दिया जाय--

यह लिखा हुआ है। इसमें मैंने निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किया है--

"(क) शब्द "नयी" और अंक "(१ए)" के बीच में शब्द "धारा" के स्थान पर "उपधारा" रख दिया जाय।"

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

इसमें सिर्फ हमारा यह तात्पर्य है कि जहां धारा रखा गया है वहां उपधारा रख दिया जाय। इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधा सादा संशोधन है।

अधिष्ठाता---क्या मैं समझूं कि विपक्ष दल के लोग भी इसको मंजूर करते हैं। माननीय राजस्व मंत्री, आपको मंजूर है?

श्री चरण सिंह---यह तो महज शाब्दिक है।

अधिष्ठाता---वह भी मंजूर करते हैं।

श्री राजनारायण--- श्रीमन्, मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि अब मैं उसको पढ़ने के बाद समझ गया। शाब्दिक नहीं है। है तात्विक। लेकिन चूंकि प्लांड डेवलपमेंट के मुताल्लिक माननीय मंत्री जो प्लांड डेवलपमेंट शब्दों को बढ़ा रहे हैं इसलिए हमें कोई ऐतराज नहीं है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुसूची के खंड ६ में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय---

(क) शब्द "नयी" और अंक "(१)" के बीच में शब्द "धारा" के स्थान पर शब्द "उपधारा" रख दिया जाय।

(ख) प्रस्तावित संशोधन के अन्त में शब्द "kind" के पश्चात् शब्द "or planned development" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदा सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि अनुसूची के खंड ७ में प्रस्तावित नया उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

इसी पर अभी पहले बातचीत हम लोगों की हो रही थी और उसमें हमारा यह कहना है कि यह इस तरह से लिख दिया गया है।

"(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Land Reforms Commissioner may where he considers the amount of compensation allowed by the award under section 11 to be excessive require the Collector that the matter be referred by him to the Court for determination of the amount of compensation."

मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई धारा पहले नहीं थी और ऐसी गुंजायश न रहने पर भी काफी देर होगी। यह जिम्मेदारी उस आदमी को है जो जमीन लेता है, जो संस्था लेती है या जो कम्पनी लेती है कि अगर एक्सेसिव एमाउंट उसको चला गया है तो वह अपनी रकम की परवा करे। मैं नहीं समझता कि लैंड रिफार्म कामश्नर को इतनी फुर्सत होगी कि वह बगैर किसी के कहे, बगैर किसी की दरख्वास्त दिये कम्पनी की तरफ से वह फाइल उल्टे और देखे कि कितना ज्यादा पैसा चला गया है और फिर उसकी वसूली के लिये कागजात अदालत में भेजने का प्रबन्ध करे। अदालत में जाने के लिये हाथ पैर बने हुये हैं। उनको अक्ल होनी चाहिये। अगर अक्ल नहीं तो वे भुगतें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सेक्शन के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाने की कतई जरूरत नहीं है। इस विधेयक में जो बार बार यह बात कही गई है और बार बार राजस्व मंत्री जी डाट डपट बतलाते हैं कि देर करते हो तो देर करने की बात वह क्यों करते हैं। आप इसमें लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को इतनी फुर्सत देते हैं कि वह इस काम में लगे। कम्पनी का रुपया चला गया है या किसी और का रुपया चला गया है उसे खुद परवा होनी चाहिये। इसमें बेकार के कागजात खराब होंगे और उनका वक्त भी खराब होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि वह इसको वापस ले लें, क्योंकि इसकी कतई जरूरत नहीं है। नहीं तो समझाने की कोशिश करें कि इससे क्या लाभ होगा।

*श्री कमला सिंह—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें जहां तक संशोधित धारा ७ का सवाल है यह मूल नियम की धारा १८ से संबंधित है। धारा १८ इस प्रकार है :—

"Any person interested who has not accepted the award may by written application to the Collector require that the matter be referred by the Collector for the determination of the court, whether his objection be to the measurement of the land the amount of the compensation the persons to whom it is payable or the apportionment of the compensation among the persons interested."

अब यहां पर यह सवाल होता है कि ऐसे मामले में जहां कम्पेनसेशन के मुताल्लिक या लैन्ड के मुताल्लिक किसी तरह का झगड़ा हो वहां रिफरेंस कोर्ट को होना चाहिये और इसमें सेक्शन दो में दिया हुआ कि—

"The application shall state the grounds on which objection to the award is taken."

इस पर आब्जेक्शन होगा। इसके साथ साथ धारा तीस इस ऐक्ट की रेफर करना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है:—

"When the amount of compensation has been settled under section II if any dispute arises as to the apportionment of the same or any part thereof or as to the persons to whom the same or any part thereof is, payable the Collector may refer such dispute to the decision of the Court."

जब यहां पर सबसे पहले कलेक्टर को पावर दी गई है कि ऐसे मामलों में जहां कोई झगड़ा हो वहां वह कोर्ट को रेफर कर सकता है तो मैं नहीं समझता कि इसकी क्या जरूरत है कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को लिखें कि वह कोर्ट को रेफर करे। जो डिले को आप बचाना चाहते हैं मैं तो समझता हूं कि वह डिले और चौगुनी हो जायगी।

श्री चरण सिंह—मैं जानना चाहूंगा कि कौन से सेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं?

श्री कमला सिंह—चैप्टर चार में सेक्शन ३० को मैं पढ़ रहा था। इसमें कलेक्टर को कोर्ट को रेफर करने का अख्तियार है तो क्या जरूरत है कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को लिखा जाय कि वह कोर्ट में रेफर करे। फिर सेटिलमेंट हो, जो प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं इन शब्दों के साथ उनका समर्थन करता हूं।

*श्री चरण सिंह—बड़े ताज्जुब की बात है कि दफा ३० इस संशोधन के विषय में कैसे लागू होती है। अपोर्शन के सिलसिले में अगर कोई डिस्प्यूट है तो कलेक्टर कोर्ट को रेफर करेगा। अपोर्शन की रकम मुकर्रर हो गयी। उसमें जो रकम पाने वाले हैं जो मुस्तहक हैं उनके मावैन अगर कोई झगड़ा है कि ३, ४ या ५, १९ किसको कितना मिलना चाहिए तो ऐसी हालत में वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

कोर्ट को रेफर करेगा। यहां पर वह रकम कम है या ज्यादा है इसका किस्सा है और इसी में यह अमेंडमेंट है। मान लीजिये कि एक जमीन ५०० रुपये की होनी चाहिये और कलेक्टर ने उसकी कीमत ५ हजार रुपया मुकर्रर करदी तो अब तक जो लैंड रिक्वीजिशन ऐक्ट है उसमें लोकल अथारिटी या कोई कम्पनी उसमें डिस्प्यूट नहीं कर सकती। डिस्पूट क्लेमेन्ट करते हैं जो जमीन वाले हैं अगर वह यह समझते हैं कि हमको मुआविजा कम मिल रहा है। लेकिन लैंड एक्वीजिशन आफिसर या कलेक्टर कोई रकम ऐसी मुकर्रर कर दे कि जिसको जो आदमी एक्वीजिशन सीक करते हैं यानी लोकल अथारिटी या कम्पनी तो वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग भी है सन् १९५३ की कि लैंड एक्वीजिशन आफिसर या कलेक्टर यह सब गवर्नमेंट के एजेंट हैं। तो इनके फैसले के खिलाफ ही वह वहां नहीं जा सकते हैं तो वह तो बाउन्ड हैं। तो अब जहां कहीं कलेक्टर की गलती से बड़ी रकम का अवार्ड कर दिया तो फिर उस अवार्ड को कम करना पड़ेगा यदि कम्पनी यह समझेगी कि इतना रुपया हम नहीं दे सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां नहीं जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि रकम बहुत ज्यादा है तो लैंड रिफार्म्स कमिश्नर कलेक्टर से कहेगा कि वह डिस्ट्रिक्ट जज से कहे कि यह एमाउन्ट घटाना चाहिये। इतनी सी बात है। ताज्जुब है कि सेक्शन ३० यहां पर कैसे लगता है।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री की बात सुनी है और मैंने उससे सम्बन्धित सेक्शन जो है उसको भी पढ़ा है। तो उसमें पहले तो इस बात की गुंजाइश थी कि कलेक्टर से अगर कोई दरख्वास्त करे तो ऐसी हालत में उसकी जांच करा सकता था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कानून में इस बात की गुंजाइश करदें कि जब कोई कलेक्टर साहब को दरख्वास्त करे या लैंड रिफार्म्स कमिश्नर से दरख्वास्त करे तो एक मियाद मुकर्रर हो और उस मियाद के भीतर फिर से उस हिसाब किताब को देख लिया जाय। अगर वह कम्पेन्सेशन किसी ने ज्यादा लगा दिया है तो उसके लिये अदालत में वह रेफर करदे। मैं तो कहता हूं कि लैंड रिफार्म कमिश्नर इसी काम के लिये नहीं बैठता है। मैं तो यह समझता हूं कि लैंड रिफार्म कमिश्नर इस काम के लिये कोई कहे या न कहे अगर वह यह समझता है कि एक्सेसिव हो गया तो वह भेज दिया करे। मैं लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को जमीन पाने वालों का वकील बनाने की सलाह नहीं दे सकता। उनको आजादी होनी चाहिये कि वह जहां पर जाना चाहें वहां जायें। लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के पास इतना काम है कि जिसकी वजह से उसको फुरसत नहीं है। इसलिये मैं यह उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यदि वह इस संशोधन को स्वीकार करें तो बहुत अच्छा है। और अगर वह स्वीकार नहीं करते तब भी मैं इस बात पर राजी नहीं हो सकता कि लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को इसी काम के लिये बैठा दिया जाय।

*श्री चरण सिंह—अब साहेब, मैं क्या कहूं, एक कहावत मुझे याद आजाती है लेकिन उसे कहता हूं तो गड़बड़ हो जायगी, इसलिये उसे नहीं कहता हूं। अब मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वह जरा इसे पढ़कर तो देखें। वह यह है कि,

"Without prejudice to the privisions of sub-sections (1) the Land Reforms Commissioner may where he considers the amount of compensation allowed by the award under section 11 to be excessive require the Collector that the matter be referred by him to the Court for determination of the amount o compensation."

तो कलेक्टर को वह कहेगा कि भाई तुम गवर्नमेंट की तरफ से यह कर दो। लैंड रिफार्म्स कमिश्नर थोड़े ही जायगा। लेकिन यह कि रुपया ज्यादा है या नहीं, यह फैसला लैंड रिफार्म्स

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमिश्नर करेगा आन बिहाफ आफ गवर्नमेंट। इतना काम उनके पास है कि वह हर बात को खुद नहीं देख सकता है। फिर अभी माननीय गेंदा सिंह जी खुद कह रहे थे कि कलेक्टर तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता ही है। तो फिर क्या यहां ये कोई मिनिस्टर जायगा? इसमें साफ है कि "He may require the Collector"।

श्री गेंदा सिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अधिष्ठाता—हां, पूछ सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये लोगों के इस तरह से अवार्ड में डूब गये? अगर यह बता दें तो मैं अपने को समझा सकूं कि अपना संशोधन वापस ले लूं।

***श्री चरण सिंह**—लैंड रेवेन्यू मैनुअल में कुछ उसूल बताये हुये हैं कि किसी जायदाद दरख्त कुएं या मकान की कीमत किस तरह आंकी जायगी, लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर की गाइडेंस के लिये। लेकिन अगर वह आफिसर गलती कर जाय और अवार्ड कई गुना ज्यादा दे दे तो अब तक कोई रास्ता गवर्नमेंट के लिये नहीं था सिवाय इसके कि या तो ज्यादा रूपया दे या एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स ड्राप करदे। यह जरूर था कि वह जायदादवाला फिर से मामले को सुनवाई करवा सकता था लेकिन अगर उसे ज्यादा रुपया मिल रहा है तो वह क्यों फिर से मामले को चलावेगा? हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग्स हैं कि गवर्नमेंट डिसप्यूट नहीं कर सकती अगर लैंड एक्वीजीशन आफिसर ज्यादा रुपया निर्धारित करदे। सन् १९३३ का इलाहाबाद आल-इंडियां रिपोर्टर देखें। इसमें है। अब हमने यही रखा है कि अगर अवार्ड हायर एमाउन्ट का हो जाय तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रेफरेंस करदे। इतनी मोटी सी बात है।

श्री गेंदा सिंह—मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची के खंड ७ में प्रस्तावित नया उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री कमला सिंह**—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची के खंड ७ में प्रस्तावित नये उपखंड की चौथी पंक्ति में शब्द "excessive" और "require" के बीच में शब्द "or less" बढ़ा दिये जायं। फिर इस तरह से हो जायगा :—

"Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Land Reforms Commissioner may where he considers the amount of compensation allowed by the award under section 11 to be excessive or less require the Collector that the matter be referred by him to the Court for determination of the amount of compensation."

इसमें मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब ऐक्सेस एमाउंट के लिये रक्खा गया है तो 'लेस, अमाउन्ट के लिये भी रक्खा जाय। क्योंकि जब आप ऐक्सेस एमाउन्ट के लिये किसी को फोर्स करना चाहते हैं तो 'लेस' एमाउन्ट के लिये भी आपको फोर्स करना चाहिये। इसी के लिये वह अमेंडमेंट रक्खा गया है। आशा है माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मालूम होता है कमला सिंह जी ने इसके आशय को समझा ही नहीं है। यहां देने की तो बात है ही नहीं। यहां तो यह कहा गया है कि अगर लैंड रिफार्म्स कमिशनर यह समझे कि एमाउन्ट ज्यादा है तो वह कलेक्टर को कोर्ट में जाने के लिये कहेगा। लेकिन 'लेस' की सूरत में वह कैसे जायगा। यह तो मोटी सी

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

बात है कि जिसका एमाउन्ट कम है वह कोर्ट में जाना चाहिये न कि दूसरी पार्टी जाय । इंटरेस्ट जिसका होता है वही जाता है ।

श्री कमला सिंह---माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसको मैंने समझा है । लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोनों के इंटरेस्ट को क्यों नहीं देखते ।

अधिष्ठाता---आप जो अमेंडमेंट कह रहे हैं, आप उसको देख लीजिये, वह फिटइन नहीं होता है ।

श्री कमला सिंह---मै इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया)

श्री कमला सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन यह है कि अनुसूची के खंड ८ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय–

"In consideration to the market value of the land as above provided the court shall in cases where the persons effected with the acquisition proceeding has no other sufficient land for his maintenance he would be rehabilitated."

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---पाइंट आफ आर्डर सर, मै यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन की भाषा अजीब सी है । कोई भी ला कोर्ट इसके माने नहीं समझ सकता । क्या ऐसा संशोधन नियमित हो सकाता है ? इसकी दूसरी लाइन में 'शैल' आया है उसका कोई वर्ब नहीं है । फिर तीसरी लाइन में 'अफेक्टेड' होना चाहिये । इसके बाद आखिर में जो शब्द 'ही उड बी' आये हैं वे भी ठीक नहीं मालूम होते और 'शैल' के साथ फिट इन नहीं करते हैं ।

अधिष्ठाता---इसमें वर्ब गायब है आप उसको ठीक कर लीजिये ।

श्री कमला सिंह---हरएक को संशोधन करने का अधिकार है ।

अधिष्ठाता---ऐसी बात नहीं है, कोई भी संशोधन यहां मूव नहीं हो सकता । मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप उसको कमप्लीट करें अथवा मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

(कुछ ठहर कर)

इसको आप वापस ले रहे हैं ?

श्री कमला सिंह---जी नहीं ।

अधिष्ठाता---तो 'शैल' के बाद कौन वर्ब आया इसको आप बतलावें । यह संशोधन जो है या तो आप इसको साफ करें नहीं तो मैं इसको अस्वीकृत कर दूंगा ।

श्री कमला सिंह---तब तक आप दूसरा ले लें, अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूं ।

अधिष्ठाता---श्री कमला सिंह जी, इसमें दिक्कत यह पड़ती है कि जब मैं आगे चला जाता हूं तो फिर पीछे नहीं आ सकता अगर आप समय चाहते हैं तो मैं एक दो मिनट समय दे सकता हूं । आप अपने मित्रों से मिल कर के इसे ठीक कर लें लेकिन इसे बिना डिसाइड (निश्चित) किये हुए आगे नहीं जा सकता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अधिष्ठाता महोदय, जब दोनों पक्ष सहमत हैं तो इसे पोस्टपोन किया जा सकता है । इसके पहले भी ऐसा हुआ है । इसे बाद में ले लिया जायगा ।

अधिष्ठाता—हां, जब सदन सहमत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन सदन सहमत कैसे होगा इसको भी हमें सोचना है । जब माननीय मंत्री जो इसको अपोज कर रहे हैं तो सदन का सहमत होना बड़ा मुश्किल है ।

श्री चरण सिंह—मैं तो अपोज करता हूं । इसे मंजूर कैसे कर सकता हूं, अगर इसकी भाषा सही हो जाय तो भी वह ठीक नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसको करेक्ट कर देता हूं ।

श्री रामनरेश शुक्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज असेम्बली का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह बिल पास न हो जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं इससे एग्री करता हूं ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि जब तक यह बिल पास न हो जाय आज ५ बजे के बाद तक यह सदन बैठे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमला सिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत हो तो तब तक मैं शुरू करूं । इस बीच में करेक्ट हो रहा है ।

अधिष्ठाता—जीनहीं, मैं यह अनुमति नहीं दे सकता हूं और यह भी मैं बतला दूं कि आप इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं । बर्ब तलाश करके आप लायें तो मैं अनुमति दे सकता हूं वरना बड़ा मुश्किल होगा ।

श्री कमला सिंह—मैं शुरू से पढ़कर बताये देता हूं ।

'.In consideration to the market value of the land as above provided the court shall in cases where.....

अधिष्ठाता—इस तरह से मैं इस को अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री गेंदा सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

अनुसूची के खंड ८ के उपखंड (२) के स्थानपर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"Provided that the land acquisition for any purpose made herein has not been utilized within three years for the aforesaid purposes it would be returned to the original owner as if no acquisition proceedings has taken place."

जहां पर इस में ओरिजनल ओनर हैं वहां हम चाहते है कि वहां उस का "वारिश" भी बढ़ा दिया जाय ।

श्री अब्दुल मुईज खां—अधिष्ठाता महोदय, बिल्कुल उन्हीं, ग्राउन्ड्स पर जिन पर पिछला संशोधन गिरा है इस के मानी भी साफ़ नहीं है ।

"Provided that the land acquisition for any purpose made herein has not been utilized within three years for the aforesaid purposes it would be returned to the original owner as if no acquisition proceedings has taken place."

अगर "प्रोवाइडेड दैट" के बाद "इफ़" रख दिया जाय तब तो वह बात आ सकती है । और आगे "एक्वीजिशन" की जगह अगर "लैंड एक्वायर्ड" हो तब ठीक होता है । और आगे का हिस्सा भी ऐसा करने से फ़ाजिल हो जाता है ।

श्री गेंदा सिंह---श्रीमान् जी, इस सदन की भाषा हिन्दी है। मगर हमारे संशोधन की भाषा गलत है और हमारी स्पिरिट सही है तो मैं प्रार्थना आप से करता हूं कि आप भाषा ठीक कर दें और मेरे ऊपर इस समय अंग्रेजी ठीक करने का दबाव न डालें।

अधिष्ठाता---मैंने आप का मतलब समझ लिया। मैं ने यही समझकर अभी श्री कमला सिंह को मौका दिया था कि वह अपनी भाषा ठीक कर लें लेकिन दूसरे लफ्ज ला कर इस समय नहीं जोड़े जा सकते हैं। अगर भाषा की थोड़ी बहुत गलती हो तो ठीक की जा सकती है और अगर कुछ मतलब फंस रहा है तो मित्रों से आप मदद ले सकते हैं इस में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---मैं तो आप को ही अपना सब से बड़ा मित्र समझता हूं।

अधिष्ठाता---मैं तो आपका भी मित्र नहीं हूं और उनका भी मित्र नहीं हूं। मैं तो एक निष्पक्ष व्यक्ति की भांति यहां हूं। मैं तो न आपकी और न उनकी मदद इस समय कर सकता हूं। हां इतना अवसर मैं आपको दे सकता हूं कि नारायण दत्त जी या श्री रामनारायण जी आप की सहायता कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--- श्रीमन्, आप इसे अनियमित भले ही करार दे दें लेकिन मैं अपने मित्रों से सहायता नहीं ले सकता। मैं तो आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप नियम में इजाजत दे पावें या नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे दिमाग में जो कुछ था वह मैंने लिखा, मैं कभी अंग्रेजी भाषा का पंडित होने का दावा नहीं करता। मैंने तो यह नहीं लिखा, मित्रों की ही सहायता से लिखा है... (हंसी)।

मैंने कभी यह दावा नहीं किया है कि मैं अंग्रेजी का पंडित हूं। आप चाहे जितनी भी ताली पीटिये मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मैं कभी भी अपने बारे में ग़लतफहमी में नहीं हूं। जिसको गलतफहमी हो वह ताली पीटने से घबड़ा जाय। आप इसको अनुचित करार दे दीजिये लेकिन मेरे भाव जो हैं उन्हें मैं व्यक्त कर सकता हूं भाषा न ठीक हो तो उसके लिये मैं मजबूर हूं। मैंने जो आपको मित्र कहा है वह इसलिये कहा है कि मैं आपको कभी भी अपना शत्रु कहने के लिये तैयार नहीं हूं। आप हमारे भी मित्र हैं और उनके भी मित्र हैं। अगर इस हैसियत से आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं और दुरुस्त करते हैं तब तो ठीक है। मेरे संशोधन का अर्थ केवल इतना है कि जिनकी जमीन निकल गई है और जिनके पास जीने के लिये साधन नहीं है उनको जीने के साधन पहुंचाने के लिये उनको रिहैबिलिटेट किया जाय। हमारा संशोधन जो है वह ठीक नहीं है और अगर हमारी सहायता आप नहीं कर सकते तो आप इसको अनियमित करार दे दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---पांच मिनट के लिये हाउस स्थगित कर दिया जाय तो मैं इसकी भाषा ठीक कर दूं।

अधिष्ठाता---वह नहीं किया जा सकता है। जहां तक इस प्रश्न की बात है यह बिल्कुल सही है कि इस सदन की भाषा हिन्दी है लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह ओरीजिनल बिल अंग्रेजी में है इसलिये उसका अमेंडमेंट अंग्रेजी में मूव किया जाता है और जो अमेंडमेंट मूव किये जाते हैं उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे वह पास होने के बाद जो काम करने वाले हैं वह अच्छी तरह से समझ सकें कि उसका क्या अर्थ है। डिफीकल्टी जो है उसके लिये मैंने पहले भी कमला सिंह जी का जो संशोधन था उसके लिये अवसर दिया था। मैं अब भी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप किसी अपने मित्र से सहायता ले लें और मेरे लिये कि आपको कोई

सलाह में दूं और अमेंडमेंट को ठीक करूं वह इस स्थान से मेरे लिये उचित नहीं है। इसलिये जो परिस्थिति है उससे बाध्य होकर मैं इस संशोधन को अनियमित करार देता हूं।

श्री चरण सिंह---क्या आपने अनियमित करार दे दिया। मैं तैयार हूं उनकी मदद करने के लिये।

अधिष्ठाता---अब नहीं हो सकता।

प्रश्न यह है कि अनुसूची जिस प्रकार से यह तरमीम हुई है इस विधेयक का अंग बने?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

१---(१) यह अधिनियम लैण्ड एक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारंभ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग बने?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

लैंड एक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के लिए लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ को, जहां तक ऐक्ट १, १८९४ उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहांपर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यह ऐक्ट १, १८९४ आवश्यक है कि लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बनें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लैंड एक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि विधान सभा ने पारित किया है, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि लैण्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३१ मार्च, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ..१६९ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिला	संस्था का नाम	स्वीकृत अनुदान की धनराशि
१	२	३	४
			रुपये
१	देहरादून	महिला आश्रम लक्ष्मण चौक	५००
२	,,	श्रद्धानन्द अनाथ वनिताश्रम	१,०००
३	सहारनपुर	अनवारे मुस्तफई आरफनेज	५००
४	मुजफ्फरनगर	सेवा समिति अनाथालय	२५०
५	बुलन्दशहर	हिन्दू आरफनेज ..	५००
६	मथुरा	किशोरी अनाथालय ट्रस्ट, गोवर्द्धन	५००
७	,,	हिन्धी कृष्णासिंह ट्रस्ट ..	२५०
८	आगरा	सेन्ट जोजेफ आरफनेज एण्ड गर्ल्स स्कूल ..	१,०००
९	,,	सेंट विन्सेन्ट्स होम फार आरफन्स एण्ड फाउंडलिंग्स	५००
१०	,,	श्रीमद् दयानन्द अनाथालय ..	१,०००
११	,,	विधवा आश्रम ..	२५०
१२	बरेली	आर्य समाज आरफनेज ..	१,०००
१३	,,	मुस्लिम आरफनेज ..	२५०
१४	शाहजहांपुर	श्रीमद् दयानन्द आरफनेज	२५०
१५	कानपुर	यतीमखाना इस्लामिया ..	१,५००
१६	,,	हिन्दू अनाथालय ..	१,५००
१७	इलाहाबाद	स्ट्रैन्जर्स होम ..	२५०
१८	,,	हिन्दू आरफनेज एण्ड बेनेवोलेंट इन्स्टीटयूशन	१,०००
१९	झांसी	दीन हितकारिणो सभा ..	५००
२०	बांदा	बुन्देलखंड आरफनेज ..	२५०
२१	बनारस	काशी अनाथालय एसोसियेशन ..	१,५००
२२	,,	भिनगा राज अनाथालय ..	५००
२३	,,	काशी सेवा समिति आरफनेज ..	१,०००
२४	जौनपुर	मदरसा खुदामुल मुसलमीन ..	५००
२५	गोरखपुर	रायबहादुर दुर्गा प्रसाद पुअर हाउस एण्ड आरफनेज	२५०
२६	,,	गुरुकुल आरफनेज ..	२५०
२७	,,	अन्जुमन इस्लामियां आरफनेज ..	२५०
२८	बस्ती	श्रीमद् दयानन्द आरफनेज ..	२५०
२९	अल्मोड़ा	कुमाऊं आर्य अनाथालय ..	२५०
३०	लखनऊ	श्रीराम इन्डस्ट्रियल आरफनेज	२५०
३१	,,	किंग्स पुअर हाउस ..	२५०
३२	,,	सेवा सदन ,,	५००
३३	,,	महिला आश्रम ..	५००

क्रम-संख्या	जिला	संस्था का नाम	स्वीकृत अनुदान की धनराशि
१	२	३	४
			रुपये
३४	लखनऊ	अन्जुमन इस्लाहुल मुसलमीन ऐंन्ड मुस्लिम आरफनेज	२५०
३५	,,	दयानन्द आरफनेज ..	२५०
३६	,,	आल इंडिया शिया आरफनेज काज़मैन ..	२५०
३७	गोंडा	मैकडोनेल आरफनेज बलरामपुर ..	२५०
		योग ..	२०,०००

विधान मंडल

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १७० पर)

सीतापुर के साल्ट नामिनी की सूची, जिनका सन् १९५२ ई० में नमक एलाट किया गया

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	कुल एलाटमेंट
		(एम० जी० वैगन में)
१	मेसर्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन	११२ एडहाक १००
२	,, आत्माराम नन्द किशोर . .	५४
३	,, मूसा राम भगवान दास . .	५४
४	,, बसन्तलाल रूपचन्द . .	५४
५	,, इफतखार अहमद ऐंड कम्पनी	५४
६	,, गोविन्द राम मूलचन्द . .	५४
७	,, कस्तूरमल लक्ष्मीचन्द . .	४२
८	,, बृजलाल राधा किशन . .	३६
९	,, राधेश्याम टंडन . .	३०
१०	,, मूलचन्द मथुरा प्रसाद . .	३०
११	,, विलास राय पूरनमल . .	२४
१२	,, जैसुख राय भैरव प्रसाद . .	२४
१३	,, गौरीशंकर सोहनलाल . .	२४
१४	,, वृद्धीचन्द प्रेम सुख . .	२४
१५	,, रघुबर दयाल राम प्रसाद . .	१८
१६	,, मक्का लाल भगवानदीन . .	१८
१७	,, लालता प्रसाद बद्री प्रसाद . .	१८
१८	,, गुरमुख राय फतेहचन्द . .	१८
१९	,, गुलाब राय यतेश्वर कुमार. .	१८
२०	,, पोखर मल आशा राम . .	१८
२१	,, कस्तूर मल गोविन्द राम . .	१८
२२	,, सूरजमल गोवर्द्धन दास . .	१८
२३	,, माखन लाल शिवराम दास . .	१८
२४	,, मूसा राम गजानन्द . .	१८
२५	,, गोपी कृष्ण शम्भूनाथ . .	१२
	योग	८०८
	१०० वैगन एडहाक	

सीतापुर के साल्ट नामिनी की सूची जिनको सन् १९५३ ई० में नमक एलाट किया गया

क्रम-संख्या		फर्म का नाम	कुल एलाटमेंट (एम० जी० वैगन में)	(रेगुलर+एडहाक)
१	मेसर्स	आत्माराम नन्द किशोर ..	१२४	(५१+७३)
२	,,	मूसा राम भगवान दास ..	७५	(५१+२४)
३	,,	गोविन्द राम बूलचन्द ..	७२	(५३+१९)
४	,,	बसन्त लाल रूपचन्द ..	६८	(५१+१७)
५	,,	इफतखार अहमद ऐंड कम्पनी	६६	(५१+१५)
६	,,	कस्तूर मल लक्ष्मी चन्द ..	४६	(३९+ ७)
७	,,	बृजलाल राधेकिशन ..	३८	(३४+ ४)
८	,,	मूलचन्द मथुरा प्रसाद ..	३३	(२८+ ५)
९	,,	राधे श्याम टंडन ..	३१	(२८+ ३)
१०	,,	बुद्धी चन्द प्रेम सुख ..	३०	(२३+ ७)
११	,,	बिलास राय पूरनमल ..	२८	(२३+ ५)
१२	,,	जैसुख राय भैरव प्रसाद ..	२८	(२३+ ५)
१३	,,	मक्कालाल भगवान दीन ..	२४	(१७+ ७)
१४	,,	डी० सी० डी० एफ० सीतापुर	२३	(१२+११)
१५	,,	गौरीशंकर सोहनलाल ..	२३	(२३+ ०) (मुअत्तल)
१६	,,	पोखरमल आशाराम ..	२१	(१७+ ४)
१७	,,	कस्तूरमल गोविन्द राम ..	२१	(१७+ ४)
१८	,,	सूरजमल गोवर्धन दास ..	२१	(१७+ ४)
१९	,,	नाखनलाल शिवराम दास ..	२१	(१७+ ४)
२०	,,	मूसाराम गजानन्द ..	२१	(१७+ ४)
२१	,,	लालताप्रसाद बद्री प्रसाद ..	२०	(१७+ ३)
२२	,,	गुरमुख राय फतेहचन्द ..	२०	(१७+ ३)
२३	,,	गुलाब राय यतेश्वर कुमार..	२०	(१७+ ३)
२४	,,	रघुबर दयाल राम प्रसाद ..	२०	(१७+ ३)
२५	,,	गोपीकृष्ण शम्भूनाथ ..	१५	(१२+ ३)
		योग ..	९०९	(६७२+२३७)

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४पर)

उत्तर प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं में मेहतरों के मकान बनवाने की प्रस्तावित योजना का विवरण

क्रम-संख्या	नगरपालिका	जिला		मकानों की संख्या
१	देहरादून	देहरादून	..	२०
२	मसूरी	,,	..	५८
३	ऋषिकेश	,,	..	२०
४	देवबन्द	सहारनपुर	..	१०
५	रुड़की	,,	..	१०
६	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	..	१४
७	मेरठ	मेरठ	..	६०
८	बरौत	,,	..	१४
९	गाजियाबाद	,,	..	३४
१०	हापुड़	,,	..	१०
११	खुरजा	बुलन्दशहर	..	२०
१२	कोयल (अलीगढ़)	अलीगढ़	..	५०
१३	सिकन्दराराउ	,,	..	३०
१४	मथुरा	मथुरा	..	३०
१५	आगरा	आगरा	..	१००
१६	फिरोजाबाद	,,	..	२४
१७	मैनपुरी	मैनपुरी	..	१०
१८	शिकोहाबाद	मैनपुरी	..	१४
१९	एटा	एटा	..	१०
२०	बरेली	बरेली	..	७०
२१	उझानी	बदायूं	..	१०
२२	चन्दौसी	मुरादाबाद	..	२४
२३	हसनपुर	,,	..	१०
२४	रामपुर	रामपुर	..	५०
२५	इटावा	इटावा	..	५०
२६	औरैया	इटावा	..	१०
२७	कानपुर	कानपुर	..	४००
२८	इलाहाबाद	इलाहाबाद	..	२००
२९	झांसी	झांसी	..	२४
३०	कालपी	जालौन	..	१०
३१	राठ	हमीरपुर	..	१२
३२	बनारस	बनारस	..	२००
३३	जौनपुर	जौनपुर	..	२०
३४	बलिया	बलिया	..	२४
३५	गोरखपुर	गोरखपुर	..	५०

क्रम-संख्या	नगरपालिका	जिला		मकानों की संख्या
३६	पडरौना	देवरिया	..	१४
३७	आजमगढ़	आजमगढ़	..	१०
३८	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	..	२४
३९	नैनीताल	नैनीताल	..	३०
४०	हलद्वानी	,,	..	४०
४१	लखनऊ	लखनऊ	..	२००
४२	विसवां	सीतापुर	..	१०
४३	हरदोई	हरदोई	..	१०
४४	बाराबंकी	बाराबंकी	..	१०
			योग	२,१५०

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६ एल० ए०—१९५४—८५० ।